खण्ड-210, अंक-9
सोमवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(7 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 210 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ७ मार्च, १९६०

विधान सभा की बठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामन रायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५१

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़फ़ूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री

गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जगुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर , श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री

मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राम अभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदान, श्री

रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री

सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ७ मार्च, १९६०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जेल के वार्डर श्री रामधारी सिंह का अनशन

१—श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को सूचना है कि गोरखपुर जेल के वार्डर श्री रामधारी सिंह ने गत २५-१-६० को जेल वार्डरों की कुछ मांगों के लिये अनशन आरम्भ किया था? यदि हां, तो क्या सरकार श्री रामधारी सिंह की मांगें सदन के सम्मुख रखेगी ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—जी हां, सरकार को प्राप्त सूचना के आधार पर श्री रामधारी सिंह ने २७ जनवरी, १९६० से अनशन आरम्भ किया था यद्यपि उनका कहना है कि उन्होंने अनशन २५ जनवरी से आरम्भ किया था। उनकी मांगों को सदन के सम्मुख रखना जनहित में तथा शासकीय कर्मचारियों में अनुशासन वृत्ति बनाये रखने के हित में नहीं होगा।

२—श्री मदन पांडेय**—क्या यह सत्य है कि अनशनकारी श्री रामधारी सिंह जेल वार्डर को अनशन आरम्भ करने के अनन्तर गिरफ्तार कर लिया गया तथा इस समय उनको गोरखपुर सदर हवालात में बन्द रखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनकी गिरफ्तारी किस दफा में की गई है तथा वर्तमान समय में उनकी क्या हालत है ?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—जी हां। उनकी गिरफ्तारी भारतीय दंड विधान की धारा ३०९ के अन्तर्गत की गई है। उनके स्वास्थ्य पर सहायक मेडिकल आफिसर की दिनांक २९ फरवरी, १९६० की रिपोर्ट संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८३० पर)

३—श्री मदन पांडेय**—क्या यह सत्य है कि वर्तमान समय में उनको फोर्स फीड किया जा रहा है तथा उनकी मांगों को समझा-बुझा कर अनशन समाप्त कराने का प्रयत्न सरकार की ओर से नहीं किया गया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी हां, उनकी अनुशासनहीनता को देखते हुए समझाने-बुझाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उनकी मांगों में यह दो मांगें भी हैं जैसे एक यह कि उनसे बनारस में कैदियों ने खाने की शिकायत की थी उसकी सूचना वहां के जेल अधिकारियों को उन्होंने दे दी थी, उसकी बुनियाद पर उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी तनख्वाह से एक चौथाई काट लिया गया और दूसरे यह कि काराध्यक्ष के पास जो सर्विस बुक रहती है वह न रखी जाय बल्कि किसी दूसरे अधिकारी के पास रखी जाय ? यदि ऐसा है तो उन पर क्या विचार किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि ऐसी चीज सदन के सम्मुख रखना उचित नहीं है, तो ऐसी हालत में इस प्रश्न की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री मदन पांडेय--मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दो प्रार्थनायें किस प्रकार जनहित के विरुद्ध हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--इसके लिए तो उनको अधिकार है। मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, कि जो मांगें रामधारी सिंह जी ने रखी हैं वह तो पब्लिक के सामने हैं, तो अब सरकार कैसे कहती है कि जनहित में वह नहीं है। इसका फैसला सरकार कैसे कर लेती है कि यह चीज जनहित में नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष--उन्होंने कहा कि जनहित में इसलिए नहीं है कि कर्मचारियों में अनुशासन-हीनत फैलती है और अगर माननीय सदस्यों को मालूम ही है तो पूछना बेकार है।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह १३ मांगें जो उन्होंने रखी हैं उनमें से कोई एक भी मांग ऐसी है जिसको स्वीकार करने में सरकार को कोई गुरेज नहीं होगा ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)--यदि कोई हमारा अधिकारी कोई मांग रख कर भूख हड़ताल करता है तो वह स्वयं अपने केस को खराब करता है और उन मांगों को भी बिगाड़ता है। मांग रखने के और दूसरे तरीके हैं। यदि कोई ऐसी बात है तो आवेदन-पत्र के रूप में अपने विभागीय अधिकारी के जरिये से भेजी जा सकती है। लेकिन इस तरह से कोई मांग नहीं रखी जा सकती और इस तरह से रखी हुई मांग को सरकार कभी भी स्वीकार नहीं करेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय समाज सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो वैसे जनहित में हैं जिनको कि किया जाना चाहिए और वह प्रशासन के हित में भी है कि वह सुधार किया जाय, लेकिन दुर्भाग्य से इस आदमी ने गलती कर दी कि अपनी मांगों में उसे रख दिया और अनशन कर दिया तो क्या सरकार इस मांग के अलावा स्वतंत्र रूप से इस पर विचार करके कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अवश्य, जो मांगें ऐसी हैं यदि मांगों के रूप में न आकर उस प्रकार से आयें और ऐसे जनहित के कुछ कार्य हैं तो उनके सम्बन्ध में तो सरकार के पास कई प्रकार से वह मांगें आती हैं लोगों की और सरकार उसकी जानकारी भी हासिल करती है और उसमें जो कार्य करने को होता है उसको सरकार जरूर करती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस समय सदर हवालात गोरखपुर में जो जेल अधिकारियों द्वारा फोर्स फीडिंग हो रही है उससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत भारी असर पड़ा है और उनका जीवन खतरे में है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जी नहीं, इसके बरअक्स उनका स्वास्थ्य दिन प्रति दिन आजकल काफी अच्छा होता जा रहा है। जो फोर्स फीडिंग उनको की जाती है अगर न की जाय तो उस पर वह कुछ दुख प्रकट करते हैं। रोज इच्छा प्रकट करते हैं कि उनको फोर्स फीडिंग की जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि इसके पहले रामधारीसिंह ने सरकार के पास अपनी मांगों के सम्बन्ध में मांग भेज कर सुझाव दिया था और जब सरकार ने नहीं माना तो उन्होंने अनशन किया ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जी नहीं, सरकार की तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं दिया गया। उन्होंने अनर्गल रूप से एक दम यह रवैया अख्तियार किया। इसके लिये कोई कारण उनके पास नहीं था।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रामधारीसिंह वार्डर की सर्विस कितने दिन की थी और गोरखपुर में पिछली किस जेल से ट्रान्सफर होकर आये हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--इनकी लगभग सवा ५ साल की सर्विस है और इन्होंने सुसाइड करने के लिये जो अनशन किया उसी के कारण इनको जेल में रखा गया है।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जो उन्होंने फोर्स फीडिंग की बात कही तो क्या उसने सरकार को लिख कर भेजा है कि फोर्स फीडिंग नहीं की जाती ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--जी नहीं, जिस वक्त उनको खाना समय पर नहीं दिया जाता है और देर हो जाती है तो वह नाराजगी प्रकट करते हैं कि क्यों नहीं खाना आया।

श्री उग्रसेन--क्या यह सही है कि जब मैंने उनको रामधारीसिंह के अनशन के बारे में पत्र लिखा तो ११ फरवरी को उन्होंने यह लिखा कि गोरखपुर में इस मामले को देखा जा रहा है और उनकी मांगों पर नियमानुसार विचार किया जायगा तो क्या नियमानुसार विचार किया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यही विचार किया गया कि यदि कोई सरकारी अधिकारी इस प्रकार की मांग करे तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

****४-५--श्री गौरी शंकर राय** (जिला बलिया)--[स्थगित किये गये।]

साउथ कैमूर रेंज

****६--श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साउथ कैमूर रेंज को मिर्जापुर जिले से अप्रैल, १९५६ में अलग कर दिया गया है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--जी नहीं।

****७-- श्री राजनारायण** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि अभी तक उक्त रेंज को किसी भी जिले में नहीं जोड़ा गया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--यह प्रश्न नहीं उठता है।

****८--श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)--[स्थगित किया गया।]

मथुरा जिले में चूहा मारने का काम

****९--श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला मथुरा में दिन पर दिन चूहों का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है जिससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाय हैं ?

कृषि उप मंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)--सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। प्रश्न नहीं उठता ।

श्री टीकाराम पुजारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन सूचनाओं को जल्द से जल्द मंगाया जायगा और जांच की जायगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--अवश्य मंगाया जायगा ।

श्री टीकाराम पुजारी--क्या सरकार को पता है कि जिला मथुरा में चूहों द्वारा किसानों का बहुत काफी नुकसान हुआ है ? इसके लिये जांच करके मंत्री जी किसानों के लिये आबपाशी और मालगुजारी में छट देने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--मान्यवर, कोई शिकायत तो नहीं आई, लेकिन आदरणीय पुजारी जी की सूचना के लिये यह बता दूं कि जो हमारा साधारण कार्यक्रम चलता है वह पौधा संरक्षण समिति के द्वारा चलता है । उसमें हमने ३७७.५० एकड़ पर चूहों को मारने का प्रयत्न किया है और उसमें करीब-करीब दो जगह पूरा काम हुआ है । गोबर्धन ब्लाक में और मथुरा ब्लाक में। चार गांव गोबर्धन ब्लाक में हैं और ११ गांव मथुरा सिटी ब्लाक में । इसके अलावा नन्दगांव, बरसाना, चेतपुर और महाबन आदि ब्लाकस में भी हुआ है । इन सारी जगहों पर कार्य किया गया है लेकिन कोई शिकायत नहीं आई । यह वहां पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है । केवल जो साधारण कार्य चलता रहता है वह किया गया । १६ फरवरी को कलेक्टर साहब दौरे से लौटकर आये हैं । उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके कारण नुकसान होने की बात हो ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन जगहों पर उन्होंने चूहों को मारने का प्रयोग किया गया वहां उस प्रयोग में कितना रुपया उनका खर्च हुआ और उसके परिणामस्वरूप कितने चूहे मरे ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि सब जगह से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि कितने चूहे मरे । लेकिन उनकी तादाद लाखों में होगी, मरने वाले चूहों की । कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इसलिये जो भी खर्च होगा, यह काम किया जायेगा । लेकिन अगर यह सदन यह हुक्म दे कि यह चूहे न मारे जायं तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

चरथावल में जयहिन्द हायर सेकण्डरी स्कूल तथा गांधी इण्टर कालेज की सहायता रोकना

****१०--श्री राजेन्द्र दत्त** (जिला मुजफ्फर नगर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जय हिन्द हायर सेकेण्डरी स्कूल, चरथावल व "गांधी इण्टर कालेज, चरथावल" जिला मुजफ्फरनगर को सन् ५६-५७ की grant-in-aid अब तक नहीं दी गई ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)--जी हां , १९५६-५७ का अनुपालन अनुदान नहीं दिया गया है ।

****११--श्री राजेन्द्रदत्त**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन दोनों संस्थाओं की उक्त साल की ग्रान्ट इन एड की धनराशि क्या है और उसे देने का सरकार का विचार है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जयहिन्द हायर सेकेन्डरी स्कूल को १,८१७ रुपये की धनराशि तथा गान्धी इन्टर कालेज को ३,६४१ रुपये की धनराशि देना बाकी है । इसे सरकार का अब देने का विचार है और आवश्यक आदेश शिक्षा संचालक को निर्गत हो चके हैं ।

श्री राजेन्द्रदत्त---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---कारण यह है कि पहले यह दोनों स्कूल अलहदा-अलहदा थे, अब उन्होंने विभाग की अनुमति के बिना दोनों को मिला लिया है आपस में । तो यहां से ग्रान्ट बन्द कर दी गई । फिर एक महीना बाद उन्होंने फिर से अलहदा-अलहदा कर लिया और इसलिये उस साल की ग्रान्ट रोक दी गई है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित]

*१-२---**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)---[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*३-४---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*५---**श्री गौरी शंकर राय**---[स्थगित किया गया ।]

तारांकित प्रश्न

*१-२---**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा)---[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

राजकीय कृषि कर्मशाला, तालकटोरा, लखनऊ की 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना'

*३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या सहकारिता मंत्री राजकीय कृषि कर्मशाला, ताल कटोरा, लखनऊ के कर्मचारी भविष्य निधि योजना (इम्प्लाईज प्राविडेंट फंड स्कीम) को वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---श्रीमन्, इस बारे में इतना और निवेदन कर दूं कि नियमानुसार यह १८ मई से लागू हुआ लेकिन इसका सेक्शन २४ जो है उसके अनुसार अगले महीने से उनको इस स्कीम का फायदा मिलेगा इसलिये १-६-५८ से यह लागू होगा। यह संशोधन मैं आपकी आज्ञा से कर रहा हूं ।

श्री कालीचरण अग्रवाल---राजकीय कृषि कर्मशाला तालकटोरा लखनऊ में दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना (इम्प्लाइज प्रोविडेन्ट फंड स्कीम) १८ मई, १९५८ से लागू हो चुकी है ।

*४---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री कृपया उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें बतायेंगे और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त योजना में सरकार अपना आर्थिक अंश भी देगी ? यदि हां, तो यह धनराशि कितनी होगी ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---योजना की मुख्य बातें संलग्न पत्र में दी हुई हैं ।

इस योजना में कर्मचारी तथा सरकार को हर महीने बराबर-बराबर अंशदान देना होता है। सरकार को अपने अंश के अतिरिक्त कुल धन का (जिसमें कर्मचारियों तथा सरकार का अंशदान

सम्मिलित है) ३ प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी देना होता है । सरकार ने अब तक अपने अंशदान तथा प्रशासनिक व्यय को मिलाकर निम्नलिखित धन दिया है :

वर्ष	धन रु०
१९५८-५९	.. ९,५४०
१९५९-६०	.. १९,०८०

वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के बजट में १९,००० रुपये की धनराशि इसके लिये सम्मिलित कर ली गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३१ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---श्रीमन्, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने प्रश्न ३ का पढ़ा है वह मेरे पास नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष---आप प्रश्न पूछिये । उन्होंने उत्तर में कुछ इजाफा किया है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---सरकार की सद्भावना होते हुये क्या सरकार को ज्ञात है कि संबंधित अधिकारीगण विभागीय बचत दिखलाने के हेतु इन दैनिक कर्मचारियों को २४० दिन पूरे होने के पूर्व ही बदल कर दूसरे कर्मचारी रखने की नीति अपनावेंगे ? इसके लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री उपाध्यक्ष---जब ऐसी नीति अपना लेंगे तो दूसरे प्रश्न का नोटिस दे दीजियेगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---संशोधित ऐक्ट १९५७ में पास हुआ तो १९५८ से उन कर्मचारियों को उसका फायदा मिलेगा इसका क्या कारण है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---इसमें प्रेसीडेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है । इसके बाद विशेष परिस्थितियां भी कुछ होंगी । यह लागू क्यों नहीं हुआ, इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी और इसका उत्तर इस समय मैं पूर्णरूप से दे भी नहीं सकता ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि "प्रेसीडेंट" से उनका मतलब राष्ट्रपति से है या गवर्नर से ?

श्री उपाध्यक्ष---वह तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति से है ।

अलीगंज क्षेत्र के कोआपरेटिव कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*५---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला में तहसील अलीगंज से क्षेत्र अलीगंज की जनता ने क्षेत्र अलीगंज के कोआपरेटिव के सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ फरवरी, १९५९ ई० में जिलाधीश व बी० डी० ओ० व डी० पी० ओ० को दरख्वास्त दी थी कि ईंट देने के लिये उन लोगों से पेशगी रुपया ले लिया गया है और ईंट नहीं दी गई है और न रुपया ही वापस किया गया है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)---जी नहीं, ऐसी कोई भी दरख्वास्त फरवरी, सन् १९५९ ई० में एटा जिले में तहसील अलीगंज से क्षेत्र अलीगंज की जनता ने क्षेत्र अलीगंज कोआपरेटिव के सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नहीं दी थी ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार मेरी सूचना को सही मानकर कि दयाराम, ग्राम तमरौरा, पोस्ट खरसुलिया से रुपया लिया गया और उसके पास उसकी रसीद है, उसने जो शिकायत की है इसकी जांच सरकार कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यह शिकायत फरवरी के महीने में नहीं आयी थी, बल्कि १६-१२-५८ को इस प्रकार की शिकायत की गई थी । उसकी बाकायदा जांच करायी गई और अगर वे कोई सप्लीमेंटरी पूछेंगे तो मैं उसके बारे में बता दूंगा ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--यह जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और उसका क्या नतीजा हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्षेत्रीय विकास अधिकारी, असिस्टेंट विकास अधिकारी और जिला कोआपरेटिव अधिकारी के द्वारा । इस आदमी को तीन बार अवसर दिया गया कि अपनी रसीदात लेकर वह उपस्थित हो, लेकिन किसी भी मौके पर नहीं आये । उनके भाई मेवाराम हैं जो उस भट्ठे में मैनेजर थे उसके लिये खिलाफ चोरी कागजात के सिलसिले में मुकदमा चलाया गया था । तो उस मैनेजर से शिकयत कराई गई थी । फिर भी इस शिकायत के आधार पर ३ बार मौके दिये गये लेकिन किसी भी मौके पर अपनी रसीदात लेकर वह उपस्थित नहीं हुये । ६-१-६० को उनसे फिर कहा गया कि ११-१-६० को जिला सहकारी अधिकारी के सामने उपस्थित हों । जिला अधिकारी वहीं जिले में उपस्थित रहे, लेकिन बावजूद इसके भी वह कोई रसीदात नहीं दिखला सके ।

सहकारी कृषि समितियां

*६--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में कितनी कृषि सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उसमें कितनी कृषि सहकारी समितियां बन चुकी हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--चालू वित्तीय वर्ष (१९५९-६०) में २० (बीस) सहकारी कृषि समितियों के बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । ३१ अक्तूबर, १९५९ तक ३० (तीस) सहकारी कृषि समितियां बन चुकी हैं ।

*७--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन सहकारी समितियों की जोत में कितनी भूमि है तथा इनकी पूंजी तथा ऋण कितना है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--इन नवनिर्मित सहकारी कृषि समितियों के अन्तर्गत ५,२४३ (पांच हजार दो सौ तैंतालिस) एकड़ भूमि है । इन समितियों के हिस्से की पूंजी ३२,०५१ रुपये (बत्तीस हजार इक्यावन रुपये) है ।

चूंकि ये समितियां नवनिर्मित हैं और अभी गत महीने में ही बनी हैं । अतः इनकी पूंजी व ऋण के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

*८--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान समय में कुल कितनी कृषि सहकारी समितियां हैं ? क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन समितियों में से कुल कितनी संयुक्त कृषि समितियां हैं, कितनी सामूहिक कृषि समितियां हैं, कितनी काश्तकार कृषि समितियां हैं तथा कितनी उन्नत कृषि समितियां हैं तथा उनमें कितनी सदस्य संख्या, पूंजी तथा भूमि है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--सहकारी कृषि समितियों की कुल वर्तमान संख्या (३१-१-६० तक) ३६० (तीन सौ साठ) है । उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है :--

(१)	संयुक्त सहकारी कृषि समितियां	२४८
(२)	सामूहिक सह० कृषि समितियां	१९
(३)	काश्तकार सह० कृषि समितियां	१
(४)	उन्नतिशील सह० कृषि समितियां	९२
	कुल योग ..	३६०

इन समितियों की कुल सदस्य संख्या ८,६९४ (आठ हजार छः सौ चौरानबे), हिस्से की पूँजी २३,५१,४८२ रुपये (तेइस लाख इक्यावन हजार चार सौ बयासी रुपये) तथा भूमि ७९,२८४ (उन्यासी हजार दो सौ चौरासी) एकड़ है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है और उसके लिये जो फंड्स की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न अभी उपस्थित नहीं होता। मैंने अक्सर देखा है कि सरकार अभी इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के विचाराधीन है। तो मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना बन जाये तो इस तरह के सवाल किये जा सकेंगे। तब तक सुझाव देने के लिये पूछे जा सकते हैं सवाल और उस समय तक फैक्ट्स के बारे में सवाल न पूछें।

श्री मदन पांडेय—जो संख्या सरकारी समितियों की उन्होंने मुझे सवाल के जवाब में दी है इसमें नागपुर के कांग्रेस के प्रस्ताव के पश्चात् कितनी बनी हैं और उसके पहले कितनी बनी थीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैंने परसों बजट भाषण के अवसर पर कहा था कि १९५७–५८ में २६२ सहकारी समितियां थीं। उसके बाद जितनी भी बनी हैं फरवरी, १९५९ के बाद वह सब बाद की हैं।

श्री मदन पांडेय—प्रश्न ८ के उत्तर में मंत्री जी ने चार प्रकार की समितियों के निर्माण की बात कही है तो मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से किस प्रकार की समितियां ऐसी हैं जिनको वर्तमान वातावरण में अधिक अनुकूलता प्राप्त हो रही है और जिनकी तरक्की के लिये सरकार ज्यादा जोर देने का प्रयास कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—संयुक्त कृषि सहकारी समितियां।

शक्कर के मूल्य में वृद्धि

*९—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि (१) अप्रैल, १९५९ में, (२) मई-जून १९५९ में और (३) नवम्बर, १९५९ में शक्कर के प्रति सेर बाजार भाव क्या थे तथा सरकार की ओर से क्या भाव नियत किये गये ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३२ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, कि मई १९५९ में चीनी की दरों में ९८ नये पैसे लेकर १ रु० ४४ नये पैसे यानी ४६ न० पैसे (लगभग ८ आने) का अन्तर था जब कि बाकी चारों महीनों में कभी भी इतना अन्तर नहीं रहा है तो इतना अधिक अन्तर रहने का क्या कारण था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसकी वजह यह है कि एक रुपये ८५ नये पैसे प्रति मन की वृद्धि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ऐक्स-मिल प्राइस पर कर दी है और फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेज लगने की वजह से कहीं ९७ नये पैसे पड़ता है और कहीं पर दूरी की वजह से चूंकि ट्रान्सपोर्ट चार्जेज बढ़ जाते हैं, वह ज्यादा हो जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—नवम्बर, १९५९ के सम्बन्ध में सरकार के आंकड़े हैं कि एक रुपये से लेकर एक रुपये २५ नये पैसे तक बाजार भाव था और सरकार का भाव ९७ न० पै० से लेकर एक रुपया और एक रुपया एक नया पैसा था। तो सरकार ने बाजार भाव से भी अधिक रेट क्यों रखा, क्योंकि एक रुपया एक न० पै० तो एक रुपया बाजार भाव से भी अधिक हो गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—शुगर में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, बढ़िया क्वालिटी की ज्यादा एक्स मिल प्राइस होती है । इसके अतिरिक्त आप समझिये की थोक व्यापारी को भी कुछ देना पड़ता है, थोड़ा सा रिटेलर को भी देना पड़ता है, कहीं कहीं पर चुंगी भी देनी पड़ती है, इन सब चीजों का हिसाब लगाकर हर जगह क्वालिटी का दाम बढ़ा हुआ है ।

*१०—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

प्रस्तावित सहकारिता कानून

*११—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि राज्यपाल महोदय ने २७ जुलाई, १९५९ को विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के सामने जो अभिभाषण दिया उसमें जो यह बात कही थी कि प्रस्तावित सहकारिता कानून में "सहकारी समितियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों पर या उनके प्रबन्ध पर कर्मचारियों के हस्तक्षेप को कम करने की व्यवस्था" की जावेगी उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—एक सहकारिता अधिनियम तैयार किया जा रहा है उसमें ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों का सहकारी समितियों के दिन प्रति दिन के कार्य-संचालन में हस्तक्षेप न्यूनतम हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह अधिनियम कब से तैयार किया जा रहा है और कब तक तैयार हो जाने की आशा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसके शुरू किये हुये कुछ दिन हो गये हैं, इसमें कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर बहस हुई और हो रही है और आशा है कि शीघ्र ही सदन के सामने पेश होगा।

ग्रामोन्नति सहकारी भण्डार, कमल सागर का बकाया धन

*१२—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमलसागर, पो० रामपुर, जिला आजमगढ़ का केन डेवलपमेंट का रुपया बेतालपुर, सरदार नगर, भटनी तथा देवरिया चीनी मिलों के विकास परिषदों के जिम्मे गत कई वर्षों का बाकी है ? यदि हां, तो कितना कितना और क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमलसागर, पोस्ट रामपुर जिला आजमगढ़ का केन डेवलपमेंट कमीशन बेतालपुर, सरदार नगर, भटनी तथा देवरिया चीनी मिलों पर बाकी नहीं है। अतः दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, सवाल में है कि चीनी मिलों के विकास परिषदों के जिम्मे रुपया बाकी है और उत्तर मिला है कि चीनी मिलों में बाकी नहीं है तो मैं विकास परिषदों के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—बेतालपुर में परिषद् के ऊपर कोई कमीशन बाकी नहीं है। देवरिया चीनी मिल ने ग्रामोन्नति सहकारी भंडार को, जो रुपया उन पर बाकी था, वह दे दिया था। इसके अतिरिक्त भटनी शुगर फैक्टरी ने और सरदारनगर शुगर फैक्टरी ने जितना रुपया बाकी था भटनी विकास परिषद् को दे दिया था और उनसे आशा व्यक्त की थी कि वह अपनी विकास योजनायें बना कर भेजें ताकि उनको विकास कार्य का यह रुपया दे दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उत्तर में मंत्री जी ने क्यों कहा कि विकास परिषदों के जिम्मे बाकी नहीं है जब कि बाकी था ?

श्री उपाध्यक्ष—बाद में उन्होंने सुधार दिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि देवरिया चीनी मिल के विकास परिषद् ने भी रुपया अदा नहीं किया और भटनी और सरदारनगर सभी के जिम्मे बाकी है और वहां के भंडार ने स्कीम बनाकर भेजी, फिर भी रुपया नहीं दिया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन—जब देवरिया और सरदारनगर ने पैसा दिया है तो क्यों नहीं वह विकास के काम में लगाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—विकास के कामों का प्रश्न नहीं उठता।

*१३-१४—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[१० मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में सहकारी अधिकारियों का स्थानान्तरण रोकना

*१६—**श्री राम सुन्दर पांडेय**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में किन-किन सहकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का स्थानान्तरण इधर १६ मास के अन्दर हुआ है और होने के बाद वह रोका गया है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी इन तबादलों के रोकने के क्या-क्या कारण थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—ऐसे कर्मचारी-अधिकारी केवल तीन हैं :—

१—श्री रामखिलावनसिंह .. सहकारी पर्यवेक्षक
२—श्री दरोगासिंह .. ,,
३—श्री मूलचन्द्र उपाध्याय निरीक्षक।

इन तबादलों को साधारण प्रशासन की दृष्टि से रोका गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कर्मचारी आजमगढ़ जिले में कब से हैं और इनके तबादले का हुक्म कई-कई बार गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—श्री उपाध्याय तो काफी समय से हैं, लेकिन ठीक समय बताने के लिये सूचना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीगण से निवेदन करूंगा कि जितने सम्भव सप्लीमेंटरी हो सकें उनकी तैयारी करके आना चाहिये। तबादले के सवाल में अवधि भी मालूम होनी चाहिये। भविष्य में कृपया ध्यान रखें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इनका तबादला सरकार से किया गया था या रजिस्ट्रार साहब के यहां से ? और किसने रोका ?

श्री मोहनलाल गौतम—इन्सपेक्टर के और नीचे के अधिकारियों के तबादले रजिस्ट्रार से होते हैं। तबादला कैंसिल नहीं बल्कि पुलतवी हुआ है। उसका एक कारण तो यह है कि हम यह चाहते हैं कि कर्मचारियों के तबादले जनवरी, फरवरी और मार्च में इस तरह से न हों क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत होती है। हमारी कोशिश यह है कि मई, जून और जुलाई में तबादले अमल में आवें। उपाध्याय के ऊपर एक मुकदमा चल रहा है जिसे विभाग डिफेंड नहीं कर रहा है। मानहानि का मुकदमा है और उससे कहा गया है कि वह स्वयं उसे बचावें। इसलिये हम चाहते हैं कि वह डिफेंड करने की पोजीशन में वहां हों।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ दरख्वास्तें भी आयीं जिनकी जांच नहीं कराई गई और तबादला भी बार-बार करने से रोका गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह उन्होंने बतला दिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उनके विरुद्ध कुछ दरख्वास्तें आई थीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—दूसरों को बेईमानी पकड़ते हैं उनके खिलाफ दरख्वास्तें आती ही हैं। इसलिये हमें देखना पड़ता है कि कर्मचारियों का तबादला बेईमानियां पकड़ने के लिये न हो जाय।

*१७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[१ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१८-२०—**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

खाद्यान्नों के ले जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

*२१—**श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने किसी आदेश के जरिये एक खाद्य क्षेत्र से दूसरे खाद्य क्षेत्र में गल्ला ले जाने तथा ले आने की रोक लगा दी है ? अगर हां, तो इस आदेश का कितने व्यक्तियों ने शुरू से अब तक उल्लंघन किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। कुछ खाद्यान्नों पर कुछ स्थानों से दूसरे स्थानों को आने जाने पर प्रतिबन्ध है।

४३४ व्यक्तियों ने।

*२२—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों ने आदेश का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और कुछ के विरुद्ध जांच की जा रही है।

*२३—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों ने इस आदेश का उल्लंघन किया उनका कितना गल्ला जब्त किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—१,९७१ मन ३८ सेर ४ छटांक।

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री जी इस आदेश की मुख्य-मुख्य बातें बतावेंगे और साथ ही यह भी कि उक्त आदेश में कौन-कौन से क्षेत्र दिये गये हैं जहां से गल्ला ले आने और ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और किस किस्म के गल्ले पर प्रतिबन्ध लगाया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रतिबन्ध कई जिलों में गेहूं, चावल और धान पर है। उल्लंघन में लाइसेंसिंग आर्डर है और कंट्रोल आफ मूवमेंट आर्डर है, और चावल और गेहूं के सम्बन्ध में है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या यह आदेश पर्वतीय और सीमावर्ती जिलों के लिये भी है ? यदि हां, तो क्या इसे हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पर्वतीय जिलों में लागू नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—यह प्रतिबन्ध बैलगाड़ियों द्वारा ले जाने पर भी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—चावल के लिये स्टेट में कहीं प्रतिबन्ध नहीं है। प्रतिबन्ध १० मन से ऊपर है। ट्रांसपोर्ट का कोई सवाल नहीं है।

श्री अमरनाथ—कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है और कितने अभी तक दंडित किये जा चुके हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—४३४ ने आर्डर कन्ट्रावीन किया। उनमें से ३९३ प्रासीक्यूट किये गये। ३५ का इनवेस्टीगेशन हो रहा है। ७ छूट गये हैं। १२८ कनविक्ट हो गये और ८ केसेज अभी तक हमने चलाये नहीं हैं।

श्री हिम्मतसिंह—ये व्यक्ति कब से कब तक गिरफ्तार किये गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष—यह समय बताना बड़ा मुश्किल है।

मिर्जापुर जिले में सहकारी बीज भण्डारों का बकाया

*२४—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में सहकारी बीज भंडारों का कितना रुपया कृषकों पर ३१-१२-५९ को बकाया था?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—५,२८,९५३ रुपये (पांच लाख अट्ठाइस हजार, नौ सौ तिरपन रुपये।)

*२५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार उपरोक्त कर्जों के write off करने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो वसूल किये जाने के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जी नहीं write off करने का कोई विचार नहीं है। लोगों को समझाया जा रहा है। सालसी कार्यवाही भी की जा रही है और आवश्यक स्टाफ (कलेक्शन अफसर, कुर्क अमीन आदि) वसूली के लिये नियुक्त किये गये हैं।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—४, ५ महीने पहले भी यह जवाब दिया गया था और आज भी, इसका क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष—उन्नति न होने का क्या कारण है, यह आप बता दें?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—वसूलयाबी में उन्नति की जा रही है।

*२६-२७—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*२८-२९—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३०—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३१—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में प्राइवेट भट्ठे

*३२—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बाराबंकी में सन् १९५७, १९५८ और १९५९ में कुल कितने किन-किन स्थानों पर प्राइवेट भट्ठे चल रहे थे और प्रत्येक भट्ठे को कितना कोयला दिया गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८३३-८३४ पर)

जालौन जिले के भट्ठों को कोयला

*३३—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला जालौन में कुल कितने भट्ठे हैं और उनमें से तहसीलवार कितने सहकारी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कुल १२ भट्ठे हैं। जिनमें से २ सहकारी भट्ठे निम्नलिखित तहसीलों में स्थित हैं—उरई १, जालौन १।

*३४—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारी भट्ठों को १९५९ में कितनी-कितनी गाड़ी कोयला दिया गया और प्राइवेट भट्ठों को कितना दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सहकारी भट्ठों को २८ वैगन तथा प्राइवेट भट्ठों को ११७ वैगन कोयला दिया गया।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या खाद्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो १० प्राइवेट और २ सहकारी भट्ठे हैं वे देहाती क्षेत्र में भी हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—देहाती क्षेत्र में प्राइवेट भट्ठे तो बहुत कम हैं, लेकिन जहां तक इनका ताल्लुक है उनमें ऐसे देहाती क्षेत्र में नहीं हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह—मेरी सूचना है कि अधिकतर ये भट्ठे शहरी क्षेत्र में ही हैं, इसलिये अधिक भट्ठे देहाती क्षेत्र में खोले जायं और क्या प्रत्येक विकास केन्द्र में एक-एक भट्ठा खोलने का मंत्री जी प्रयत्न करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मेरा अनुमान है कुछ कोआपरेटिव भट्ठे देहात में हैं। करीब दो कोआपरेटिव भट्ठे हम और दे रहे हैं। अब यह फूड ऐडवाइजरी कमेटी पर मुनहसिर करता है कि वह यह तय करें कि उनको कहां लोकेट किया जाय।

*३५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३६—श्री गेंदा सिंह—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३७-३८—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[२१ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*३९—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[हटा दिया गया।]

*४०—श्री गौरीशंकर राय—[हटा दिया गया।]

कोंच में सरकारी गल्ला सड़ जाना

*४१—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सन् १९५९ ई० में म्युनिसिपल बोर्ड कौंच, जिला जालौन, में सरकार ने गेहूं और चने की खरीद की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

*४२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि वहां के व्यापारियों के कहने के बावजूद सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने उस गल्ले को खारिज शुदा खत्तियों में भरवा दिया था जिसमें बरसात में पानी गया और १,५०० मन गल्ला गेहूं व चना सड़ गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं, सीनियर मारकेटिंग इंस्पेक्टर से व्यापारियों ने ऐसी कोई बात नहीं कही। कुछ खत्तियों में बरसात का पानी आ गया था जिसके फलस्वरूप गेहूं तो नहीं किन्तु ५० मन चना खराब हो कर भागड़ बन गया।

*४३--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या यह सही है कि उपर्युक्त सड़े गल्ले को सुखाते समय फैली बदबू को समाप्त करने के विषय में कोंच म्युनिसिपैलिटी ने नोटिस दी थी? यदि हां, तो फिर उस सड़े गल्ले का क्या हुआ और इस प्रकार कुल कितना गल्ला बरबाद हुआ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--म्युनिसिपल बोर्ड ने नोटिस अवश्य दिया था परन्तु वह नोटिस ५० मन चने के विषय में नहीं था। उक्त नोटिस ५० नम्बर की खत्ती के गेहूं के विषय में था जो बाहर सुखाया गया था। यह गेहूं केवल सील गया था और सुखाने के बाद इस्तेमाल करने लायक हो गया था। इसलिये प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये जो गेहूं और चना भरा गया था वह खारिज शुदा खत्तियों में भरा गया था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--बरसात में पानी आ जाता है, वह आगया होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस गेहूं के बारे में नोटिस म्युनिसिपल बोर्ड, कोंच ने दिया था कि गल्ला सड़ा है, गन्दगी फैल रही है, उस गेहूं को कहां हटा कर रखा गया?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--गल्ला बाहर सूख रहा था, नजदीक के लोगों ने शिकायत की कि बदबू आ रही है, इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड ने उसको नोटिस दिया, लेकिन सूखने के बाद गल्ला ठीक हो गया।

श्री शिव प्रसाद नागर--माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि ५० मन चना सड़ा, गेहूं नहीं सड़ा और इसके बाद जवाब दिया कि गेहूं सुखाया जा रहा था तो क्या यह सही है कि चना सड़ा और गेहूं सिर्फ गंधाना?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि ५० मन चना जो खराब हो गया वह बाहर सूखा या नहीं और गेहूं बाहर सूखा, यह बदबू दोनों की थी या एक की जिसकी शिकायत हुई?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--गेहूं में सीलन थी, सिर्फ उसी के बारे में शिकायत थी।

फरेंदा तहसील में गल्ले की दुकानों के एलाटमेंट के सम्बन्ध में शिकायत

*४४--**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में सस्ते गल्ले की दुकानों के एलाटमेंट के सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार को अगस्त, १९५९ में प्राप्त हुई थी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां।

*४५--**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच की गई और जिलाधीश द्वारा की गई व्यवस्था उचित पाई गई।

*४६--श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपरोक्त तहसील के लक्ष्मीपुर बाजार में किसी व्यक्ति ने दिसम्बर, १९५९,में कोई शिकायती पत्र पूर्ति विभाग (Supply Department) के खिलाफ दिया तो सरकार ने इस शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी हां, शिकायत मुख्यतः सस्ते गल्ले की दुकानों के एलाटमेंट से सम्बन्धित है। जिलाधीश से आख्या मांगी गई है ।

देवरिया जिले में उत्तरी-पूर्वी सीमा पर खाद्यान्नों के आयात-निर्यात पर प्रतिबंध

*४७--श्री उग्रसेन--क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या देवरिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर उन्होंने 'कारिडर एरिया' के बाजारों में खाद्यान्न २० सेर से अधिक लाने तथा वहां से ले जाने पर रोक लगा दी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ऐसा तो नहीं है पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उनके अनुसार स्वयं बोर्डर क्षेत्र के अन्दर तथा वहां के बाहर भीतर खाद्यान्नों का आयात-निर्यात निम्नलिखित परिस्थितियों के अतिरिक्त नहीं किया जा सकता है--

१--सरकार द्वारा भेजे गये खाद्यान्नों पर।

२--मिलिट्री क्रैडिट नोट्स पर भेजे गये खाद्यान्नों पर ।

३--बार्डर क्षेत्र में उसी गांव या कस्बे में ।

४--बार्डर क्षेत्र में किसी गांव या कस्बे से निकटतम मंडी में चाहे वह बार्डर क्षेत्र के अन्दर हो या बाहर ।

५--बार्डर क्षेत्र के नागरिकों पर यदि उनके साथ निजी उपभोग निमित्त २० सेर तक खाद्यान्न हों ।

६--वास्तविक यात्री यदि उसके पास ५ सेर तक खाद्यान्न हो आवश्यक खाद्यान्नों को राज्य के बाहर जाने से रोकने के लिये तथा उसके फलस्वरूप वहां के निवासियों को आसानी से उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाने के लिये ही यह रोक-टोक लगायी गई है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रतिबन्ध कब लगाया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह प्रतिबन्ध गत वर्ष लगाया गया। ठीक तिथि के लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भाटपार, भटनी, और तमकुही रोड बाजार के व्यापारियों ने उनके पास कोई स्मृति-पत्र दिया है कि यह जो प्रतिबन्ध लगाया गया है इससे यहां की जनता को खाद्यान्न पहुंचाने में कठिनाई हो रही है और उसको हटा दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--कठिनाई काहे को होगी, वहां तो दुनिया भर की दुकानें खोल दी गयी हैं ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तमकुही रोड बाजार में कितनी दुकानें खुली हुई हैं ? और जो बोर्डर एरिया के बाजार क्षेत्र है उनमें कितनी दूकानें खुली हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये नोटिस चाहिये ।

खीरी उपनिवेश योजनान्तर्गत समिति के सदस्य तथा ऋण

*४८—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी उपनिवेश योजना के अन्तर्गत जो सेटलरों को रुपया दिया गया है वह दान में या सहायता में दिया है या रुपया कर्जे के रूप में और यदि कर्जे के रूप में है तो उसकी कितनी किस्तें वसूल की गई हैं और कितनी बकाया हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—खीरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत सेटलरों को बैल तथा कृषि यन्त्र आदि खरीदने के लिये ३,७५,००० रुपये नकद ऋण के रूप में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उनको ५,४०,००० रुपये का ऋण तथा ३,३७,५०० रुपये की सहायता मकानों के रूप में दी गयी है। १,१८,०७५ रुपयों की देय किस्तों में से १४,४१९ रुपये वसूल हो चुके हैं और वसूली जारी है।

*४९—श्री बंशीधर शुक्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी उपनिवेश योजना की कमेटी में कितने सदस्य हैं और कितने एम० एल० ए० किस जिले के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—खीरी उपनिवेशन योजना की कमेटी में निम्नलिखित पांच सदस्य थे:—

१—जिलाधीश खीरी	..	चेयरमैन
२—उपनिवेशन अधिकारी	..	मेम्बर सेक्रेटरी
३—परगनाधीश निघासन	..	मेम्बर
४—श्री बंशीधर मिश्र	..	कोआप्टेड मेम्बर
५—श्री करनसिंह	..	कोआप्टेड मेम्बर

कमेटी बनते समय अन्तिम दो सदस्य जो जिला खीरी के थे, एम० एल० ए० थे। इन दो सदस्यों को एम० एल० ए० होने के नाते कमेटी में शामिल नहीं किया गया था। इसलिये बाद में जब यह लोग एम० एल० ए० नहीं रहे तब भी यह लोग अन्तिम समय तक इस कमेटी के सदस्य बने रहे। यह कमेटी अपना सेटलरों को जमीन देने का कार्य समाप्त कर चुकी है।

झांसी जिले में साण्डालयों का निर्माण

*५०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में नियोजन विभाग द्वारा बनाये गये संडालय कितने कितने एरिया में हैं व उनके लिये जमीन कहां से प्राप्त की गई तथा प्रत्येक साण्डालय पर कितना रुपया मासिक व्यय होता है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—झांसी जिले में नियोजन विभाग द्वारा ९ साण्डालय, समथर, बड़ौदा, फतेहपुर, जौरा (मोठा तहसील में), धवाकर, सत्यबाड़ा (मऊरानीपुर), टहरौली, और भसनेह (गरौठा तहसील) स्थानों पर बनवाये गये हैं। प्रत्येक साण्डालय के लिये लगभग १० एकड़ जमीन संबंधित ग्राम समाज अथवा सहकारी समितियों द्वारा दानस्वरूप प्राप्त हुई है। जौरा केन्द्र को छोड़ कर प्रत्येक साण्डालय में हरियाना व मुर्रा नस्ल के सांड रखे गये हैं। प्रत्येक साण्डालय पर ३० रुपये प्रति माह प्रति सांड़ के हिसाब से चारे व दाने के लिये धनराशि पशु पालन विभाग द्वारा दी जाती है। इन सांड़ों की देखभाल के लिये प्रत्येक साण्डालय पर एक-एक सांड़ सेवक नियुक्त किये गये हैं जिनको ४९ रुपये ५० नये पैसे वेतन मासिक दिया जाता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—माननीय मंत्री जी के उत्तर में साण्डालयों की संख्या ९ दी हुई हैं और स्थान ८ लिखे हुए हैं, तो वे बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-सा स्थान रह गया है।

श्री कालीचरण अग्रवाल---जो जौरा स्थान है वहां कृत्रिम गर्भाधान सेंटर चालू हुआ है, उसे लेकर संख्या ६ हो जाती है।

श्री शिव प्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस नस्ल के अलग-अलग साण्डालय बने हैं?

श्री कालीचरण अग्रवाल---जहां तक गाय के सांड़ों का सवाल है वे तो हरियाना नस्ल के हैं और जहां तक भैंसों के सांड़ का सवाल है वे मुर्रा नस्ल के हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सभी सांडालयों में सांड़ हैं? यदि नहीं, तो किन-किन में नहीं हैं?

श्री कालीचरण अग्रवाल---सभी सांड़ालय में सांड़ हैं। यदि आप उसका डिटेल चाहते हैं तो यह भी बताया जा सकता है कि किस-किस में कितने-कितने सांड़ हैं।

सरकारी दुकानों पर खाद्यान्नों के भाव

*५१---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश में १९५८ के नवम्बर के महीने में (१) गेहूं, (२) चावल, (३) चना, (४) मक्का और बाजरे के थोक भाव क्या थे और १९५९ के नवम्बर में क्या थे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३५ पर)

*५२---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पहली सितम्बर, १९५९ से लेकर १ दिसम्बर, १९५९ तक किन-किन जिलों में सस्ते गल्ले की दुकानें घटीं या बढ़ी हैं और कितनी-कितनी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---१ सितम्बर, १९५९ से १ दिसम्बर, १९५९ तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बढ़ी अथवा घटी दुकानों की संख्या की तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८३६ पर)

*५३---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार ने उपर्युक्त तीन महीनों में सस्ते गल्ले की दुकानों से मिलने वाले गल्ले आदि की मात्रा और किस्म में कुछ हेर-फेर किया है? अगर हां, तो क्या-क्या?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां, सरकर ने प्रति दिन प्रति दुकान पर विभिन्न गल्लों की अधिकतम बिक्री की मात्रा निर्धारित कर दी है। इस मात्रा के अन्तर्गत समय-समय पर गल्ले की स्टाक की स्थिति देखते हुए आर० एफ० सी० को आवश्यकता नुसार परिवर्तन करने का अधिकार है। यह परिवर्तन भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हो सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९५९ में गेहूं का थोक भाव इस तालिका के अनुसार प्रति मन अधिकतम १६ रुपया था, लेकिन उसका फुटकर भाव उसी मास में अधिकतम २३ रुपया रहा, तो यह ड्योढ़ा अन्तर होने का क्या कारण है इस अधिकतम थोक भाव और फुटकर भाव में?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस का कारण यह है कि दस मन के नीचे छूट दे रखी है और कोई भाव निर्धारित नहीं है, यह आमद पर माल की निर्भर है, वह बढ़िया किस्म का फार्म का गेहूं भी हो सकता है, इन्हीं कारणों से अन्तर हो जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इसी तरह से जो यह चावल का भाव एक जगह १६.७५ दिया है और उसी चावल का भाव नवम्बर मास में २५ रुपया है और यह ५० प्रतिशत से ज्यादा है और ८ रुपया मन का अन्तर है, तो क्या इसका कारण भी वहीहै जो गेहूं का है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, इसका भी वही कारण है, दस रुपये मन के नीचे छूट रहती है और वह दूर-दूर के स्थानों में ले जाते हैं।

अजीतमल सहकारी संघ संबंधित गबन का मुकदमा

*५४---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के अजीतमत सहकारी संघ का २१ हजार रुपये गबन का मामला सन् ५४ से असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव इटावा के यहां चल रहा है? उसमें अब तक फैसला न होने का क्या कारण है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यह मामला २६-५-५५ को आरबिट्रेशन (arbitration) के लिये जिला सहकारी अधिकारी, इटावा के सामने आया अब उसका फैसला सहायक निबन्धक फर्रुखाबाद ने कर दिया है।

*५५---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---क्या सरकार को विदित है कि उपरोक्त मामला पहले उरई में चला, फिर इटावा में और अब फर्रुखाबाद के असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव के यहां चल रहा है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी नहीं, परन्तु समयानुसार भिन्न-भिन्न अफसरों के सुपुर्द उनके स्थानान्तरण व अन्य प्रशासनीय कारणों से किया जाता रहा।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो सरकार ने उत्तर दिया है कि मुकद्दमे का फैसला हो गया है तो वह किस तारीख को हुआ और उसका क्या नतीजा हुआ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सन १९५९ के अन्तिम मास में इसका फैसला हुआ था और उनको दोषी ठहराया गया था।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने व्यक्ति दोषी ठहराये गये और उन पर कितने की डिग्री हुई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---३ व्यक्ति, डिग्री कितने की हुई, यह सूचना इस समय नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सिविल लायबिलिटी के अलावा क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट भी हुआ और अगर हुआ तो क्या उस का भी मुकदमा चला और उस में कितनों को सजा हुई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यह केस पुलिस के लायक नहीं था इसलिये इस का आर्बिट्रेशन कराया गया।

कृषि विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के सेवा नियम

*५६---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग के अराजपत्रित प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति, ड्यूटी व पद वृद्धि आदि के नियम सरकार के पास अब तक नहीं हैं? यदि हां, तो नियमों के अभाव में सरकार किस प्रकार उक्त विषयों में कार्य करती है? यदि नियम है, तो क्या उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री कालीचरण अग्रवाल---कृषि विभाग के अराजपत्रित प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति आदि के नियम हैं। नियमों की केवल एक प्रति उपलब्ध है जो कि विधान पुस्तकालय में अवलोकनार्थ रख दी गई है। इन नियमों का संशोधन हो रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, मैंने 'नियुक्ति', 'ड्यूटी' व 'पद वृद्धि' ये तीन शब्द रखे थे तो सरकार के जो नियम हैं वह इन तीनों विषय में हैं या सिर्फ नियुक्ति के संबंध में हैं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--नियुक्ति इमालूमेण्ट्स वगैरह के संबंध में है, लेकिन ड्यूटी के संबंध में अभी तक कोई नियम नहीं है, वह बन रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जो नियम इस वक्त उपलब्ध हैं वह किस समय बनाये गये थे और उनको सदन की मेज पर रखा गया या नहीं ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--यह तो बहुत पुराने हैं, सन् ३७ के हैं। जब बने होंगे तब रखे गये होंगे सदन की मेज पर।

पवा निवासी लाड़ले काछी के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत

*५७--**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री लाड़ले काछी तनय टूड़े काछी, ग्राम पवा, परगना तालबेहट, जिला झांसी ने २७-६-५९ को जिलाधीश झांसी को एक प्रार्थना-पत्र देकर यह शिकायत की थी कि सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने कर्जा वसूली करते समय उसकी औरत को और उसे मारा-पीटा, गालियां दीं और मुर्गी-मुर्गा बनाया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जी हां। ऐसी शिकायत सदस्य महोदय के नोट दिनांकित ३०-६-५९ के साथ जिलाधीश झांसी को प्राप्त हुई, इसकी जांच जिला कोआपरेटिव अफसर व जिला नियोजन अधिकारी के द्वारा करवाई गई। जो सूचना मिली है उससे श्री लाडले काछी की धर्मपत्नी पर सख्ती की शिकायत सत्य नहीं लगती हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--'सत्य नहीं लगती है' इससे क्या मतलब है ? कृपया स्पष्ट उत्तर दें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--सत्य सिद्ध नहीं हुई।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या यह सही है कि उक्त शिकायत की जांच बिना प्रार्थी से किये ही उसको फाइल कर दिया गया था और जब दोबारा प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजा गया और माननीय उपमंत्री जी दिसम्बर में पहुंचे तब पुनः जांच कराई गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जो शिकायत कुनिन्दा ४ आदमी थे उन सभी को अवसर दिया गया था। एक दिन पेश्तर उनको इत्तला भी करा दी गई थी। जितने भी शिकायत कुनिन्दा उस तिथि पर पहुंचे और जो सरपंच वगैरह थे उनके सामने जांच कराई गई और निराधार पाकर ही उसको फाइल किया गया।

जिला सहकारी विकास संघ, आजमगढ़ के अन्तर्गत ईंटों के भट्ठे

*५८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या जिला सहकारी संघ, आजमगढ़ द्वारा खोले गये ईंटे के भट्ठों के सम्बन्ध में क्या सहकारिता मंत्री २१-१२-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ और १४ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि दस हजार नौ सौ पच्चीस रुपये अठारह नये पैसे की आय में क्या कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है तथा अलग-अलग भट्टों की आय क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--सूचना एकत्र की जा रही है।

*५९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० सी० एफ० आजमगढ़ द्वारा चलाये जाने वाले भट्ठों से बनी ईंटों की दर व्यक्तिगत भट्ठों की ईंटों से अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*६०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी० सी० एफ० आजमगढ़ द्वारा कोयले का व्यापार भी किया जाता है ? यदि हां, तो किस भाव पर प्रति टन खरीदा एवं बेचा जाता है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इसकी सूचना ५-६ महीने में इकट्ठा न होने का क्या कारण है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जब यह जवाब दिया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से तब सूचना नहीं आई थी । अब आ गई है आज ही हमको मिली है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या इस सूचना में देरी का यह भी कारण है .....

श्री उपाध्यक्ष—पांडेय जी, मेरा खयाल है कि यह प्रश्न फिर लिस्ट करा दीजिये । आपको सूचना दे दें माननीय मंत्री जी तो अच्छा होगा ।

श्री मोहनलाल गौतम—तो यह कल के लिये रहा ?

श्री उपाध्यक्ष—जी हां ।

कुक्कुट पालन योजनान्तर्गत दी गयी सहायता पर आपत्ति

*६१—श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)—गत दो वर्षों में Poultry Scheme के लिये दी गयी सहायता तथा कर्ज से सम्बन्धित २१-१२-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुक्कुट पालन योजना के अन्तर्गत जो अनुदान तथा कुक्कुट गृहों के सुधारार्थ अनुदान एवं छात्रवृत्ति दी गई वह किन किन लोगों को दी गई ? सरकार उसकी पूरी लिस्ट, दी गई सहायता, छात्रवृत्ति की रकम तथा पूरे पते के साथ देने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—आवश्यक सूचना †संलग्न तालिका में दी हुई है ।

गोरखपुर जिला सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन के अन्तर्गत हैदर बाजार में गबन

*६२—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा (श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिला सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा स्थानीय हैदर बाजार में चलायी गयी कपड़े की दूकान में ढाई लाख रुपये का गबन हो गया है ? क्या इस गबन की रकम में १ लाख ६० हजार का गबन १९५४ के पहले का है ? सरकार ने अब तक इस मामले में क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—७४, ६६० रुपये ५२ न० पै० के गबन की सूचना है । १९५४ के पहले के कथित १,६०,००० के गबन की कोई सूचना सरकार को नहीं है । ७४, ६६० रुपये ५२ न० पै० के गबन को पुलिस के सिपुर्द कर दिया गया है । पुलिस ने दुकान के मुनीम श्री कुलनन्दनसिंह तथा मैनेजर श्री महेन्द्रसिंह को गबन की धारा के अन्तर्गत १५-१२-५९ व २०-१२-५९ को क्रमशः गिरफ्तार किया है तथा मामले की पुलिस और छानबीन कर रही है ।

---

†सूचना छापी नहीं गई ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---२ सज्जन जो गिरफ्तार किये गये हैं वह क्या जमानत पर छूट गये हैं या हवालात में हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जमानत पर छूट गये हैं।

श्री ऊदल---जैसी कि मैंने सूचना दी है १ लाख ८ हजार का गबन स. ५४ का है। क्या उसकी जांच कराई या नहीं ? यदि नहीं कराई, तो कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यह तो अभी उत्तर में बताया कि पुलिस उसकी जांच कर रही है।

श्री मदन पांडेय---मंत्री जी बतायेंगे कि जिस फेडरेशन में गबन का जिक्र है उसके संचालक मंडल को निलम्बित कर दिया गया ? यदि हां, तो किन आरोपों के आधार पर ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां, निलम्बित कर दिया गया उन्हीं आरोपों के आधार पर आइमा-फेसी केस समझ कर ।

बस्ती जिले में कृषि फार्मों के लिए भूमि का क्रय

*६३---**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सरकारी कृषि फार्म किन-किन तहसीलों में हैं और कहां-कहां खोले गये हैं ?

*६४---प्रत्येक फार्म में कितनी एकड़ जमीन ली गई है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---वांछित सूचना तालिका 'क' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८३७ पर)

*६५---**श्री राजाराम शर्मा**---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जमीन का जो मूल्य दिया गया वह स्थानीय रेट से अधिक है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---केवल एक फार्म की जमीन खरीदने में स्थानीय रेट से सिर्फ १५ रुपये प्रति एकड़ अधिक दिया गया है।

श्री राजाराम शर्मा---मंत्री जी बतायेंगे कि जिस फार्म के लिये जमीन स्थानीय रेट से १५ रुपया प्रति एकड़ अधिक दाम दे कर ली गई उसका क्या नाम है और अधिक दाम क्यों दिया गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---फार्म का नाम खैरोला है जो डुमरियागंज तहसील में है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के पहले मूल्यांकन नहीं भेजा गया था। ३०५ रुपया ऐक्वीजीशन रेट था और मार्केट रेट ७८५ रुपया था। मालिक १,००० रुपया प्रति एकड़ से कम पर देने को तैयार नहीं था। इसलिये फार्म खरीदने के लिये जो कमेटी थी उसने मार्केट रेट और मालिक द्वारा मांगे गये दामों की दर की परीक्षा की और चूंकि जमीन अच्छी थी इसलिये उसको मार्केट रेट से १५ रुपया प्रति एकड़ ज्यादा दे कर खरीद लिया।

श्री राजाराम शर्मा---मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कोई फार्म खलीलाबाद तहसील में भी खुलेगा ? यदि हां, तो कहां और कब ?

श्री उपाध्यक्ष---इससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। वैसे अगर मंत्री जी को कोई सूचना हो तो दे दें।

श्री कालीचरण अग्रवाल---हम हर ब्लाक में कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही उचित और ठीक जमीन मिल जायगी खोल देंगे।

तिलहर तहसील में गेहूं व चने की उपज

*६६--श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में कितने क्षेत्रफल में गेहूं व चना अलग-अलग बोया गया है और उनकी अलग-अलग उपज कितनी हुई है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--तहसील तिलहर में सन् १९५७-५८ में गेहूं ५६,०२९ एकड़ में और चना ३३,८५६ एकड़ में तथा १९५८-५९ में गेहूं ५३,९२७ एकड़ में और चना ३८,४२८ एकड़ में बोया गया। उपज के आंकड़े तहसीलवार नहीं रखे जाते।

फसल प्रतियोगिता में पुरस्कृत व्यक्ति

*६७--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेशीय फसल प्रतियोगिता में गत १९५७-५८ और १९५८-५९ में किन-किन काश्तकारों ने किस-किस फसल में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--सूचना संलग्न नत्थी में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८३८-८३९ पर)

श्री होरीलाल यादव--गेहूं के प्रथम इनाम पाने वाले और धान के प्रथम इनाम पाने वाले काश्तकारों ने प्रति एकड़ कितनी पैदावार की ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--१९५७-५८ धान प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री जयराम वर्मा को दिया गया, इन्होंने ७६ मन १६ सेर १३ छटांक एक एकड़ में पैदा किया--दूसरा इनाम श्री केशरीसिंह को, इन्होंने ७१ मन १५ सेर ५ छटांक पैदा किया और तृतीय इनाम श्री श्यामलाल को मिला इन्होंने ७० मन ३१ सेर १२ छटांक एक एकड़ में पैदा किया।

इसके बाद १९५८-५९ में प्रथम इनाम श्री श्यामलाल को इन्होंने ७२ मन १९ सेर १० छटांक पैदा किया, द्वितीय इनाम पाने वाले ने ७२ मन ९ छटांक और तृतीय प्रतियोगिता में ७१ मन २६ सेर १४ छटांक पैदावार हुई। यह है धान के बारे में। इसके बाद १९५७-५८ में गेहूं की प्रतियोगिता में प्रथम पैदावार ४९ मन ३८ सेर १२ छटांक हुई और द्वितीय पैदावार ४९ मन, ८ सेर, ८ छटांक हुई। इसी तरह से १९५८-५९ में गेहूं की प्रतियोगिता में प्रथम पैदावार ४९ मन, ३३ सेर, १२ छटांक हुई और द्वितीय पैदावार ४९ मन, २१ सेर, ८ छटांक हुई। इसी तरह से आलू तथा दूसरी प्रतियोगिताओं में पैदावारें ज्यादा हुईं और अगर आप अलग-अलग आंकड़े मांगेंगे तो वह भी दे दिये जायंगे।

गोरखपुर जिले के सहकारी बीज भण्डारों द्वारा खाद व बीज का वितरण

*६८--श्री अमरनाथ--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अलग-अलग सहकारी बीज भंडारों ने कुल कितना अलग-अलग खरीफ तथा रबी का बीज वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसानों को बांटा ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना संलग्न सूचियां (क) व (ख) में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८४०-८४१ पर)

नोट:--तारांकित प्रश्न ६७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*६९—श्री अमरनाथ—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अलग-अलग सहकारी बीज भंडारों ने कुल कितने रकम की अलग-अलग किस्मों की खाद वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसानों को बांटी ?

श्री मोहनलाल गौतम—कितनी-कितनी खाद बंटी उसकी सूचना संलग्न सूची (ग) में दी हुई है। इनके दाम हर गोदाम की बिक्री के उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। कुल दाम हर प्रकार की खाद के निम्नलिखित हैं:—

	रु०
अमोनियम सलफेट	४,१२,१२०
सुपर फास्फेट	२६,७७५
युरिया	३२,०८८
मिक्सचर	२६,८७५

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८४२-८४३ पर)

भाग्यनगर विकास खण्ड के सहकारी भट्ठे

*७०—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि विकास खंड भाग्यनगर, जिला इटावा में सहकारी संघ द्वारा कितने ईंटों के भट्ठे चलाये जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—पांच।

*७१—श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस विकसित खंड में १ जनवरी, सन् ५७ से ३० दिसम्बर, ५९ तक कितने वैगन कोयला कितना-कितना किस-किस संघ को प्राप्त हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम—
सहकारी संघ, दिवियापुर—१३० वैगन (२,८४४ टन)।
सहकारी संघ, भाग्यनगर—९३ वैगन (२,०४९ टन)।
सहकारी संघ, देवरपुर—४६ वैगन (१,००७ टन)।

*७२—श्री भजनलाल—क्या यह सही है कि इस विकास खंड में कुछ कोयला ब्लैक से भी बेचा गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को स्थगित करने पर सम्बन्धित मंत्री की आपत्ति

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—अल्पसूचित प्रश्न का नोटिस हमारे माननीय गौरी शंकर राय जी ने दिया था और आज का दिन निश्चित था। लेकिन उन्होंने श्रीमन् की सेवा में प्रार्थना भेजी कि उनके प्रश्न को मुल्तवी कर दिया जाय और मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। हमें तो यहां रहना पड़ा। अगर हम को इत्तला मिल जाती तो हम भी अपने काम से जा सकते हैं। इस तरह से हम भी बन्दिश में पड़ जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने समय से सूचना नहीं दी और आपको असुविधा हुई, इसके लिये हमें खेद है।

प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलने के संबंध में आपत्ति

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। केवल उत्तर यह दिया गया कि धर्मपत्नी के साथ सख्ती नहीं की गयी और उसके साथ जो सख्ती की गयी उसका उत्तर नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप इसे बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न फिर से पूछ लें, मंत्री जी जवाब दे देंगे। उसका अब समय नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—लेकिन मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका पूरा उत्तर दिया ही नहीं केवल धर्मपत्नी के सम्बन्ध में बतला दिया गया...

श्री उपाध्यक्ष—आप दोबारा प्रश्न कीजिये। मेहरबानी करके बैठें और स्थान ग्रहण करें।

कार्यक्रम में परिवर्तन के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं यह जानना चाहता था कि इस हफ्ते का प्रोग्राम क्यों बदल रहा है? इस पर कुछ प्रकाश डाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप धैर्य रखें। सब मालूम हो जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास दफा ५२ के अन्तर्गत ७ प्रश्न हैं। इनमें से ४ तो ऐसे हैं जिनको माननीय अधिष्ठाता ने कल अस्वीकार कर दिया था, लिहाजा फिर उन पर पुनर्विचार करने का प्रश्न नहीं उठता। बाकी ३ में से श्री रामसुन्दर पांडेय जी का एक प्रश्न है जिसमें कुछ जिलों में ओला पड़ने की बात कही गयी है। मैं उसको इतने महत्व का नहीं पा रहा हूं कि उसको दफा ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया जाय। तो मैं माननीय पांडेय जी को सलाह दूंगा कि वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछें और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि परसों इसका जवाब दे दिया जाय।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—परसों के बजाय नरसों कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—देवरिया में जो भीषण डकैतियां पड़ती हैं उनके बारे में.....

श्री उपाध्यक्ष—शार्ट नोटिस क्वेश्चन पूछिये और यह कह दिया जाय कि इतने दिन के अन्दर जवाब दिया जाय। मैं व्यवस्था कर दूंगा।

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्री जी नोटिस ले लेते तो....

श्री उपाध्यक्ष—सदन का समय व्यर्थ न लें। आप कृपया बैठिये।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक प्रश्न भेजा था।

श्री उपाध्यक्ष—जो प्रश्न अस्वीकृत कर दिये जायं उन पर किसी प्रकार से बाद में वाद-विवाद न किया जाय। उनके लिये अलग से कमरे में आकर बात कर लें और मेरा ध्यान आकृष्ट करें।

कार्यक्रम में परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास एक पत्र आया है जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं का समर्थन प्राप्त है कि १० को सदन समाप्त न करके ११ को बैठा जाय और उसके बाद १६ और १७ मार्च को सदन न बैठे और सदन की कार्यवाही ११ मार्च को चले। मैं समझता हूं चूंकि सभी इसमें सहमत हैं इसलिये मैं इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—समय का बंटन भी है।

श्री उपाध्यक्ष—उसके बारे में उचित व्यवस्था करके समय बढ़ा दिया जायगा।

श्री राजनारायण—क्योंकि मैंने देखा है कि रामस्वरूप जी ने जो लिखा है उसमें पूरा लिख दिया था कि जो उपर्युक्त बंटन है समय का उसी पर हम सहमति दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—९, १० तथा ११ मार्च को एक-एक घंटा बढ़ा दिया जायगा। लेकिन यकबयक हमने निश्चय किया है इसलिये ११ तारीख को प्रश्न नहीं रखे जा सकेंगे, केवल शार्ट नोटिस क्वेश्चन लिये जा सकेंगे। ११ तारीख को चूंकि एक सार्वजनिक छुट्टी है इसलिये नियमानुकूल तो उसके लिये एक प्रस्ताव आना चाहिये था, लेकिन चूंकि सब की सहमति है इसलिये मैं समझता हूं कि वह नियमानुकूल ही हो गया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि ११ तारीख को सदन न बैठे। हमारे पश्चिम में होली का बहुत महत्व है। हम लोग होली के दिन १० बजे पहुंचेंगे इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सदन ११ तारीख को न बैठे।

श्री उपाध्यक्ष—यह सर्वसम्मति से निश्चय हो गया है।

मथुरा नगर में डाक्टर गणपतराय का मकान पुलिस द्वारा जबरदस्ती खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—एक प्रश्न माननीय गोविन्दसिंह विष्ट का मथुरा के बारे में है। माननीय खाद्य मंत्री का उत्तर शायद तैयार होगा। कृपया वे सूचना दें।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा में "गुप्ता निवास" नाम के ६ मकान हैं और वे लगभग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और उनमें अलग-अलग किरायेदार रहते हैं। एक मकान में एक कस्टोडियन रहते थे। उनका कार्यालय बन्द हो रहा था तो मकान खाली था। डी० एम० ने उसका एलाटमेंट कर दिया। इसके पूर्व उसके ओनर, डाक्टर गणपत राय जी ने उसके रिलीज की दरख्वास्त दी। डी० एम० ने उनकी सब बातें सुनने के बाद रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के मातहत उनकी नीड को जेनुइन न समझ कर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उसका एलाटमेंट डी० एस० पी०, के० पी० राय के नाम कर दिया। २६ जनवरी को के० पी० राय ने उसका पजेशन ले लिया। मगर उस मकान के दो हिस्से थे। आफिस-कम-रेजिडेन्स होने की वजह से रेजीडेन्शल पोर्शन का तो उन्होंने कब्जा ले लिया और उसमें अपना ताला लगा दिया, लेकिन आफिस वाला हिस्सा २९ तारीख को खाली होने वाला था। कायदा यह है कि रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के मातहत अगर किसी की रिलीज की एप्लीकेशन डी० एम० ने रिजेक्ट कर दी हो तो फिर या तो अपील में गवर्नमेंट के पास आयें या कमिश्नर के पास जायं। लेकिन वे (मकान मालिक) इस कायदे को न अपना कर २८ तारीख को जबरदस्ती लैचेज को हटा कर आफिस के रास्ते से अन्दर दाखिल हो गये। यह पता चला है कि इस बारे में उन्होंने कुछ लोगों से राय भी ली। उन्हीं के एक मकान में एक मुन्सिफ किराये-

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

दार हैं और एक में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल किरायेदार हैं। इन दोनों से उन्होंने राय ली तो उन्होंने कहा कि आपका यह ऐक्ट बहुत ही इल्लीगल है, कायदे के मुताबिक अगर डी० एम० ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है तो आपको गवर्नमेंट या कमिश्नर के पास जाना चाहिये और आप जबरदस्ती न घुसिये। मगर उन्होंने इनकी सलाह नहीं मानी और २८ तारीख को आफिस के रास्ते से उसके अन्दर दाखिल हो गये। डी० एस० पी०, के० पी० राय आगरा गये हुये थे। उनकी एबसेन्स में यह काम हुआ। तो कस्टोडियन का जो चपरासी था उसने पुलिस में रिपोर्ट की, क्योंकि आफिस २९ तारीख को बंद होना था कि डाक्टर गणपतराय फोरसिबली मकान के अन्दर घुस गये। खैर रिपोर्ट लाज हो गई। डिप्टी सुपरिन्टेंडेण्ट पुलिस रात के ११ बजे आगरा से लौटे तो उनको पता चला कि इस तरह से जबरदस्ती उनके मकान पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन रात को क्या कहते। सुबह को वह वहां पर गये और जाकर के उन्होंने डाक्टर साहब से कहा कि आपने बड़ा अनुचित काम किया कि आप इल्लीगिली मेरे मकान में मेरे पीछे घुस गये। खैर, इस पर कहा सुनी हो गई। इस पर दो वर्जन हैं। डाक्टर साहब का कहना है कि २० पुलिस के सिपाहियों के साथ डिप्टी साहब आये और लोगों का और गवाहों का कहना है कि ६–७ आदमी पुलिस वाले थे। खैर, वहां पर कहा सुनी होने के बाद उन्होंने कहा कि देखिये आप ट्रेसपासर हैं और कायदे के मुताबिक आपको निकाला जा सकता है। इस पर दो एक बातें हुईं। उन्होंने कहा कि मान लीजिये किसी के प्राइवेट घर में दूसरा घुस जाय तो क्या करना होगा। इस तरह से कहा सुनी होती रही। इसके बाद कहा कि आप अरेस्ट हो सकते हैं, मेहरबानी करके यह मकान छोड़ दीजिये। यह बात उन्होंने कही इस पर उनकी धर्मपत्नी जो, जो वहीं पर खड़ी थीं, उन्होंने बात बढ़ते देखी तो उन्होंने लड़की मंजू से कहा कि चाची वगैरह से कहो कि जल्दी बाहर चलो और इस घपले वगैरह में न पड़ो। वह अन्दर गई और चाची वगैरह बाहर आ गईं। इसके बाद यह मामला वहां शांत हो गया और बहुत से लोग जुट गये और मामला वहां खत्म हो गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––चाचा कहां थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी––जरा सुन लीजिये। इस पर सवाल यह आया, जैसा कि प्रश्न में भी था, कि उनके हथकड़ी डाली गई और कोतवाली ले जाया गया यह चीज आपके प्रश्न में भी थी। लेकिन यह कोई बात नहीं हुई क्योंकि मुंसिफ साहब जो वहीं रहते थे उस समय वहां पर थे और गवर्नमेंट कौंसिल भी जो इनके किरायेदार थे, उन्होंने कहा कि हथकड़ी वगैरह जैसी कोई चीज नहीं हुई। सिर्फ यह जरूर कहा कि आप इसमें अरेस्ट हो सकते हैं। डाक्टर गणपतराय जी ने स्वयं इन्क्वारी के समय कहा, यानी उनके शब्द ये थे कि "हैंडकफ तो करीब करीब कर ही दिया, मुंह से कह दिया तो हो गया"। उनके कहने का यह तात्पर्य था। लेकिन जितने भी आदमी वहां पर थे, प्रिंसिपल गर्ग और डाक्टर वगैरह सब ने कहा कि हथकड़ी वगैरह नहीं पड़ी और न कोतवाली ले जाया गया। यह बात बिलकुल साफ उन्होंने बताई और जैसा कि मैंने आपके द्वारा सदन से अर्ज किया वह जबरदस्ती वहां मकान में घुस गये थे।

अब इसके बाद यह भी शिकायत की गई कि कि लेडीज के साथ डिसग्रेसफुल बिहैवियर हुआ बल्कि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया कि धक्कमधुक्का होने के कारण उनको एबारशन वगैरह की तकलीफ हो गई। लेकिन यह कोई बात नहीं है। इस संबंध में वहां पर एक लेडी डाक्टर मिस सुशीला आनन्द हैं उनका बयान लिया गया कि यह कहां तक सही है। उन्होंने कहा कि डाक्टर साहब अपनी पत्नी सहित रात के ८, ९ के बीच में आये थे और उन्होंने कहा कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट दे दीजिये। मैंने कहा कि एक्जामिन किये बिना मैं मेडिकल सर्टीफिकेट नहीं दूंगी। इसलिये वह वापस चले गये। इसके बाद डाक्टर साहब से कहा गया कि आपके पास किसी और डाक्टर का कोई प्रमाणपत्र है, वह भी नहीं था। जब उनकी धर्मपत्नी का बयान लेने गये तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई स्टेटमेंट वगैरह अपने पति की आज्ञा के बिना नहीं देना है। प्रिंसिपल गर्ग भी कहते हैं कि जिस समय मैं गया हूं उनकी धर्म-

पत्नी ठीक खड़ी थीं, अच्छी हालत में थीं। उन्होंने कोई तकलीफ नहीं बतायी। जो जांच करायी गयी और जो आन दि स्पाट थे उनमें से किसी ने यह बयान नहीं दिया जिससे यह साबित हो कि उनकी धर्मपत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। श्री केदारनाथ भार्गव एक डेपुटेशन के साथ फिर उनसे मिले और उसमें सभी राजनीतिक दलों के आदमी, सिवा जनसंघ के, सम्मिलित थे। उन्होंने कहा कि चूंकि अब सही वाकया पब्लिक की नोटिस में आ गया है तो हम सारी दुनिया और सारे शहर को बतलाएंगे कि असली वाकयात क्या हैं। अब उनको कोई शिकायत नहीं है। यह कहानी कि औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया पब्लिक की सिम्पैथी अट्रैक्ट करने के लिए रची गयी थी। ये रिपोर्ट हैं जिनके आधार पर इस घटना को मैंने सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---सरकार ने जो सूचना सदन में दी है उसके सम्बन्ध में पहला सवाल तो यह है कि जो आरोप था कि धक्का दिया गया डाक्टर साहब की पत्नी को, गर्भपात चाहे न हुआ हो और दुर्व्यवहार न किया गया हो, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो जांच करायी है, उसमें इसकी सूचना है कि धक्का दिया गया या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---धक्का देना तो दूर, उनकी शान के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा गया। जो आई विटनेस हैं, उनका यह बयान है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---बयानों में एक वर्जन यह है कि २० कांस्टेबिल थे और दूसरा वर्जन यह है कि ६ कांस्टेबिल थे, तो जो पुलिस कांस्टेबिलों के द्वारा घर का सामान निकाल कर फेंकवाया गया उसके बारे में आपकी जांच के द्वारा क्या रिपोर्ट आयी है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---बहुत से आदमियों का कहना है कि ६, ७, ८ आदमी थे। सिर्फ प्रिंसिपल साहब का कहना है कि २० आदमी थे।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आप पहले कह चुके हैं। सवाल यह है कि सामान फेंका गया या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वहां थोड़ा-सा सामान था। हमारी रिपोर्ट के अनुसार डाक्टर साहब ने यह कहा कि इसको ले जाने के लिए मेरे पास कोई मीन्स नहीं हैं, तो पुलिस ने बाहर लाकर रख दिया।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मकान खाली करवाया गया है यह मकान ६-७ साल पहले अप `लिये खाली करवाया गया था, और उसको फिर किराये पर रख दिया गया, क्या यह सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, यह बात थी। इस मकान का पहले २५ रुपये किराया था। उन्होंने यह बहाना बना कर कि मुझे इसमें आना है इसको खाली करवाया और उसको ३५ पये पर उठा दिया। अब फिर भाई का नाम लेकर रिलीज करवाना चाहते थे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहले दिन उन्होंने जो यह फरमाया था कि कोई पुलिस नहीं गयी और आज यह कहते हैं कि ६ कांस्टेबिल गये थे, इस उल्टे वर्जन का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने प्रश्नोत्तर में इस बात को स्पष्ट किया था कि जहां तक रेंट कंट्रोल की कार्यवाही का ताल्लुक है, २६ तारीख तक कोई पुलिस यूज नहीं हुई। यह तो बाद की घटना है जब इंस्पास किया उन्होंने (डाक्टर गणपतराय) उनके (डी० एस० पी०) घर में।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---माननीय मंत्री जी ने कहा कि डाक्टर सुशीला आनन्द के पास यह जो अपना परीक्षण कराने के लिए या सर्टिफिकेट लेने के लिए जब डाक्टर गणपतराय और उनकी पत्नी गईं तो उन्होंने कहा कि परीक्षण के बगैर हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो क्या यह बात सही नहीं है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने उनके ऊपर दबाव डाला सर्टिफिकेट न देने के लिए और इसलिए उन्होंने मना कर दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं कभी यह यकीन नहीं कर सकता कि इतनी स्टैंडिंग के डाक्टर उनकी धमकी में आ जायं।

श्री राजनारायण---मान्यवर, एक प्रश्न में स्पष्ट कराना चाहता हूं। डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस मिस्टर राय को मकान एलाट था और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वहां पर डाक्टर साहब चले गए थे, तो डी० एस० पी० ने कानून को अपने हाथ में कैसे ले लिया और वह पुलिस कैसे अपने साथ ले गए ? क्या केवल डी० एस० पी० होने के नाते ले गए या जितने भी लोगों को मकान एलाट किया जायगा उनके साथ पुलिस जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---रिपोर्ट तो उसने लाज कर दी थी कस्टोडियन के चपरासी ने कि जबर्दस्ती इनके कई आदमी आपके घर में घुस गए हैं। तो उस कम्प्लेंट पर वह गए होंगे। मगर फिर भी इस बात को मानना होगा कि उन्होंने इस बात को कहा---यह जो सिपाही वह ले गए उसके लिए कहा और कमिश्नर के सामने कहा कि अगर डाक्टर साहब को मेरी किसी बात से दुख हुआ हो तो मुझे बड़ा अफसोस है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा प्रश्न दूसरा था...

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपा करके बैठिए। अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी यह और बतला दें कि यह सिपाही जो वहां गए वह किसी कम्प्लेंट पर किसी आफिसर की आज्ञा से एन्क्वायरी के लिए गए या डी० एस० पी० खुद ले गए थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ये डी० एस० पी० तो खुद आफिसर हैं।

एक सदस्य---तो वही ले गए थे न ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां।

श्री राजनारायण---अब ये डी० एस० पी० वहां एलाटी की हैसियत से गए थे या डी० एस० पी० की हैसियत से किसी कम्प्लेंट की जांच करने के लिए गए थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---२६ तारीख को तो प्राइवेट हैसियत से गए, २८ को जब गए होंगे तो अब उनकी कैपेसिटी को कैसे डिफरेंशियेट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी, 'गए होंगे' का सवाल नहीं है। आपको सूचना हो तो आप निश्चित बताइए....

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं निवेदन कर रहा हूं कि सिपाहियों को साथ लेकर गए।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो वह पुलिस कांस्टेबिल और दरोगा वगैरह को लेकर गए तो किसकी आज्ञा से लेकर गए, अपनी खुद की निजी आज्ञा से या किसी उच्च अधिकारी की आज्ञा से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह जैसे भी गए, यह इन्डिस्क्रीट ऐक्शन था, इसको तो हम खुद भी मानते हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि ऐक्ट के मातहत जिसको मकान एलाट होता है अगर उसको कब्जा नहीं मिल पाता है तो वह फिर रेंट कंट्रोल आफिसर को दरख्वास्त देता है कि हमको कब्जा दिलाया जाय, तो क्या यह दरख्वास्त दी गई या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो प्रश्न ही नहीं उठा । कब्जा तो मिल गया था ।

श्री राजनारायण--माननीय मंत्री जी ने कहा कि डी० एस० पी० का कार्य विवेकपूर्ण नहीं था । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब डी० एस० पी० का कार्य अविवेकपूर्ण था तो उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि उन्होंने कमिश्नर के सामने उसके लिए डाक्टर साहब से अफसोस जाहिर किया । मगर डाक्टर साहब ने कहा कि मैं कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं हूं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो डाक्टर साहब ने दरख्वास्त दी थी रेंट कंट्रोल के अन्दर कि उनका मकान छोड़ दिया जाय वह कब खारिज हुई और डी० एस० पी० को एलाट कब हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--२६ तारीख को खारिज हुई और २६ तारीख को ही एलाटमेंट हुआ ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)-- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चौकीदार ने जो रिपोर्ट दाखिल की थी थाने में उसकी रिपोर्ट इंडियन पेनल कोड की धारा ४४७ और ४४८ में थी और उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मकान के अन्दर से सामान को निकाला जाय और उसे बाहर कर दिया जाय, तो इस प्रकार का काम पुलिस को लेकर के जिस किसी ने किया उसके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी-- अब यह तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि आपके कमरे में आकर हम बैठ जायं तो क्या हो, यह तो बहुत ला प्वाइंट का सवाल है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय खाद्य मंत्री जी को यह ज्ञात है कि पब्लिक ने, पुलिस ने जो वहां कार्यवाही की, उसकी फोटो ले ली और चूंकि वह फोटो उनके पास है तो यह मालूम होने पर पुलिस वालों ने यह वरजन जो अब भेजा है वह इसलिये भेजा कि अब वह इन्कार नहीं कर सकते थे कि ऐसा नहीं किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो पुलिस वालों के बयान पर बिल्कुल आधारित नहीं है । यह हमारी उस रिपोर्ट में है कि डाक्टर गणपतराय ने यह कहा कि मैंने तो एक कमेटी के सिपुर्द यह मामला कर दिया है । मेरे हाथ में कुछ नहीं है ।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)-- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कमिश्नर साहब ने बयान लिया--मैं मथुरा में मौजूद था इसके सम्बन्ध में फोटो अध्यक्ष के पास दिया है--उन बयानों में, जो रामजी दास और सत्यनारायण आई विटनेस थे, उनके बयान भी कमिश्नर साहब ने लिये या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जी नहीं, उनका बयान कोई नहीं लिया गया ।

श्री मलिखानसिंह--तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय कमिश्नर साहब अपनी इन्क्वारी कर रहे थे उस समय गणपतिराय ने कमिश्नर साहब से यह कहा २६ तारीख को कि न्याय नाम की भी कोई चीज है ? उस पर कमिश्नर

[श्री मलिखार्नासिह]

साहब चुप रहे और कलेक्टर साहब भी चुप रहे? तो उस कमिश्नर साहब की रिपोर्ट में क्या लिखा है?

श्री उपाध्यक्ष---यह ब्यौरे का प्रश्न है। मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि २८ तारीख को डी० एस० पी० को पुलिस ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---२८ तारीख को वह गये ही नहीं। वह मैंने २६ तारीख को कहा था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय मंत्री जी ने कहा कि डी० एस० पी० ने कमिश्नर के सामने अपना अफसोस जाहिर किया तो डाक्टर ने उसको माफ कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस डी० एस० पी० ने जो अपने पद का दुरुपयोग किया और उसके बदले में उन्होंने दूसरे व्यक्ति के सामने अफसोस जाहिर किया तो क्या इससे सरकार का कानून नहीं टूटा?

श्री उपाध्यक्ष---यह राय की बात है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जब २६ तारीख को ही एलाटमेंट हुआ और २६ को ही कैंसिल हुआ और अभी यह बतलाया गया कि रायसाहब आगरा आये हुये थे तो कानूनन इस हाउस का पजेशन डाक्टर साहब के हाथ में था या रायसाहब के?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने यह कहा है कि २६ को कैंसिल हुआ, उनकी (डाक्टर गणपतराय की) एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई और फिर एलाटमेंट हुआ और पजेशन भी।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २९---लेखा शीर्षक ४३---उद्योग तथा अनुदान संख्या ४९---लेखा शीर्षक ७२--- औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९---उद्योग--- लेखा शीर्षक ४३--- उद्योग (Industries) के अन्तर्गत ६,०९,४३,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९--- औद्योगिक विकास---लेखा शीर्षक ७२--- औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १,२५,१२,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने अनुदानों की मांग को पेश करते हुये मैंने बराबर यह नियम रखा कि शुरू में कुछ न कह कर इस माननीय सदन का समय न लूं। मैं समझता हूं यह आज भी उचित होगा। जो कुछ यहां पर सुनूंगा उसको सुनने के बाद जो मुझे कहना होगा, कहूंगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान २९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

राज्य के सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना और छोटे उद्योगों को व्यापक पैमाने पर सहकारिता के आधार पर चलाना, वर्तमान उद्योग नीति की आलोचना करना और सुझाव प्रस्तुत करना।

मैं आपकी आज्ञा से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान ४९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सम्भावनाओं के अन्वेषण हेतु अलग विभाग की स्थापना, खनिज पदार्थ की शोध कराना तथा बड़े पैमाने पर विकास हेतु उपाय वर्तमान नीति की आलोचना एवं सुझाव।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में हमारा प्रदेश एक अत्यन्त पिछड़े हुये भागों में है। हमारे यहां नान-एग्रीकल्चरल आकुपेशन में बहुत सूबों से कम आदमी लगे हुये हैं। १९५१ की जन-गणनानुसार पश्चिमी बंगाल में जब कि १५.४ परसेंट हैं, बम्बई में १३.८ परसेंट आदमी लगे हुए हैं। मद्रास में, जो काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, उसमें भी १२.३० परसेंट आदमी लगे हुये हैं, हमारे प्रदेश में केवल ८ प्रतिशत आदमी ही इन कामों में लगे हुये हैं ।

पर कैपिटा इनवेस्टमेंट भी हमारे यहां अन्य सूबों के मुकाबिले बहुत कम है। बम्बई में जब कि यह ६८ रुपये है, बंगाल में ६३ रुपये है, हमारे सूबे में केवल १२ रुपये है। आज जो उद्योगीकरण में बढ़ती हो रही है उसकी रफ्तार भी हमारे प्रदेश में बहुत से सूबों से कम है। बिहार में जब कि ९४ प्रतिशत बढ़ती हो रही है, मद्रास में ५५ प्रतिशत हो रही है, बम्बई में ५१ प्रतिशत हो रही है, उस समय हमारे सूबे में केवल २०.६ प्रतिशत बढ़ती हो रही है। हमारे प्रदेश में उद्योग-उत्पादनों में भी पौने चार प्रतिशत से अधिक बढ़ती नहीं हुई है जब कि यह बढ़ती सोवियत यूनियन में पांच गुनी हो रही है और कम्युनिस्ट चीन में दसगुना हुई है जो १९४९ में हमारे प्रदेश से भी पिछड़ा हुआ भाग था। कुल मिला कर इन ३ वर्षों में, सन् ५७, ५८ और सन् ५९ में, ११ हजार से ऊपर आदमी उद्योग धन्धों में नहीं लगाये जा सके। यह चित्र है, जिसकी पृष्ठभूमि में हमें उद्योग की सब बातों पर विचार करना होगा।

सरकार की नीति उद्योग धंधों के क्षेत्र में, यह रही है कि कुटीर उद्योग धंधों को बलिदान कर दिया जाय प्राइवेट और बड़े उद्योगपतियों के सामने, खांडसारी को बलिदान करके चीनी के चन्द उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जाय, और सूती मिलों के सामने उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भाग के हथकरघा उद्योगों का बलिदान कर दिया जाय। इसका परिणाम यह हो रहा है कि बेकारी बढ़ रही है, इसका नतीजा यह हो रहा है कि देहाती जनता शहरों की तरफ भाग रही है, दो रोटी के लिये और आगे भी भागेगी। इसका नतीजा यह हो रहा है कि शहरों में बड़ी-बड़ी पूंजी वाले शैतानों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है और उनको सस्ते दामों पर मजदूर मिल रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि श्रम का शोषण घनीभूत हो रहा है और धनी और गरीब के बीच का अन्तर बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा। प्रमाणस्वरूप आप देखें, हमारे प्रदेश में कुटीर उद्योगों में ३० लाख आदमियों से अधिक लोग लगे हुये हैं जो कुल मिला कर २५ प्रकार के काम करते हैं। केवल हैंडलूम में ८ लाख से ऊपर आदमी लगे हैं और यह २० लाख गज कपड़ा तैयार करते हैं, २४ करोड़ का माल तैयार करते हैं, लेकिन सरकार का रुख कितना उदासीन है, इसका प्रमाण मैं पेश करना चाहता हूं। पहले पहल ११४४.४२ लाख रुपया काटेज इंस्ट्रीज के लिये तय हुआ था, उसको घटा कर फिर ९२६.२२ कर दिया गया। यह २१८.२ की कमी इस बात का एक प्रमाण है कि हमारी सरकार हमारे प्रदेश की काटेज इंडस्ट्रीज का बलिदान करके कुछ उद्योगपतियों का भरणपोषण करना चाहती है।

[श्री झारखंडे राय]

सरकार की नीति ने और सरकार ने बड़े-बड़े प्राइवेट उद्योगपतियों के सामने घुटने ही नहीं टेके हैं बल्कि पूरी तरह से सरेण्डर भी किया है। इसका एक ही प्रमाण है। सन् १९५६–५७ में जब प्राइवेट सेक्टर के लिये साढ़े ५ करोड़ रुपये रखे गये थे तब १९५८–५९ में ४ करोड़ ७७ लाख रुपये हो गये और अन्त में १९५९–६० में उससे भी घट करके ४ करोड़ ६७ लाख ८५ हजार रुपये रह गये। यह दिशा किधर है? साफ है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के सामने घुटने ही नहीं टेक रही है बल्कि पूरी तरह से उसने अपना और जनता का भी हाथ पैर बांध कर उनके सामने ड ल दिया है कि वे जितना चाहें मनमाने ढंग से लाभ उठावें और शोषण करें। इस तरह से हमारे प्रदेश की सरकार ने सेकेन्ड फाईव ईयर प्लान के जो घोषित उद्देश्य थे उनको भी पूरी तरह से छोड़ दिया है। आप प्रमाणस्वरूप देख सकते हैं । पिछले तीन-चार वर्षों के अन्दर जितने भी प्राइवेट सेक्टर में कारखाने खोलने की बात कही गयी थी और इसी सदन के अन्दर वित्त मंत्रियों ने जो बड़े-बड़े एलानात किये थे, बरेली की सिंथेटिक रबर फैक्टरी, मिर्जापुर अल्मूनियम फैक्टरी और देहरादून की सीमेंट फैक्टरी, आज इन सबका कहीं पता नहीं है और अगर है तो वह पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ाने के लिये उन्हीं को दे दी गई हैं और इसी वजह से एक सांठ-गांठ शासक पार्टी और शोषक लोगों में है और उनकी सांठ-गांठ फलवती सिद्ध हो रही है। वजह यही है कि उन शोषकों की थैली का मुंह शासक पार्टी की ओर खुला हुआ है। जब एक तरफ से दिया जायगा तो दूसरी तरफ से मिलेगा यह अनिवार्य नियम है और इसी लिये धूर्त शिरोमणि मूंधड़ा ने १ लाख रुपया कांग्रेस फंड में चन्दा दिया और टाटा ने १० लाख ३० हजार रुपये दिये सन्, १९५६–५७ में––जिसमें सेन्ट्रल कांग्रेस फंड को ६ लाख रुपये, बिहार कांग्रेस पार्टी को ३ लाख ३० हजार रुपये और उड़ीसा कांग्रेस को १ लाख रुपये दिये। श्रीराम देहली क्लाथ मिल वालों ने ५ लाख ५७ हजार रुपये कांग्रेस के कोष में दिये। यह सर्वविदित बात है कि पिछले आम चुनाव के मौके पर हमारे प्रदेश के ६९ चीनी मिल मालिकों ने कुल मिला कर ३५ लाख रुपये कांग्रेस फंड को दिये थे। वह इसलिये कि उनका भला जब यहां से होता है तो इनका भला वहां से होता है। यह अनिवार्य नीति है।

आप भी श्रीमन्, ८ वर्ष से यहां देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जिन पब्लिक सेक्टर के उद्योग की बात हर बजट में और कांग्रेस के हर दस्तावेज में की जाती है वह है चुर्क सीमेंट फैक्ट्री और लखनऊ की औजार वाली प्रेसीजन फैक्टरी।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी का सीमेंट सारे हिन्दुस्तान में महंगा है। आप देखें तो ए० सी० सी० का दाम ५५.०२ है, तो पटियाला का ४५.९०, डालमिया का ४७.६२ है, तो रोहतास का ५९.३, मैसूर का ५८.८१ और हिन्दुस्तान इंडिया का ६०.८७, तो चुर्क का ६५.७२ है। यह पब्लिक सेक्टर का हाल है जो हमारे नियंत्रण में चल रहा है। इतनी बदइन्तजामी है।

औजार के कारखाने की कुव्यवस्था की बात क्या है ? पांच वर्ष पहले ३ हजार जलमापक यंत्र बनते थे और आज भी वही है संख्या । कोई बढ़ती नहीं हुई ।

एक काम इस सरकार ने शुरू किया है यू० पी० हैंडीक्राफ्ट का । सारे हिन्दुस्तान में उसकी दूकानें खुली हुई हैं । उसमें भी हर साल घाटा। उसमें भी अंधेर है । लूट मची हुई है । आग लगने का बहाना बना कर न मालूम कितना माल किनके मकानों में पहुंच जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है । जो उत्पादन का कार्य है वह बढ़ा नहीं । सन् १९५७ में जो २१ लाख था, वह १७ लाख का १९५८ में हो गया । आगे १९५९ में वह घटकर १३ लाख का रह गया है। उसमें एक सज्जन है, आप नाम तो लेने नहीं देंगे, लेकिन एक सज्जन हैं जो दक्षिण में हैदराबाद की दूकान के इंचार्ज थे उन्होंने १४ हजार रुपये का गोलमाल किया। कुम्भ का मेला, जिसमें एक बहुत बड़ी ट्रैजिडी हो गई थी और करीब एक हजार आदमियों की जानें गई थीं, उसमें भी यही सज्जन इनचार्ज थे और वहां भी एक हजार रुपये का गोल माल किया था । उन्होंने

८०० रुपये एक मामूली टी पार्टी में गोल कर दिया । ऐसे आदमियों के जिम्मे भी काम दे दिया जाता है जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं इस तरह के गोल माल में और साथ ही सरकार भी उनकी पदोन्नति में तरक्की करती जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी देशों की बढ़ती के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें कहीं, मैं बहुत नहीं कहना चाहूंगा । हमारे प्रदेश में उद्योग धंधों की क्या हालत है और सोवियन रूस में और चीन में किस तरह से बढ़ती हो रही है, इसकी मैंने चर्चा की है । सरकार की पूरी गलत नीति का नतीजा यह है कि उद्योग उत्पादन घटता जा रहा है । मैं विस्तृत आंकड़ों में नहीं जाऊंगा चूंकि समय का अभाव है, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भी चीनी की पैदावार घटी है, सूती वस्त्र की पैदावार घटी है, लोहे की पैदावार घटी है, सीमेंट की पैदावार घटी है, वनस्पति की पैदावार घटी है पिछले तीन वर्षों में, जूट की पैदावार घटी है । हां, मद्यशालाओं की पैदावार जरूर बढ़ गई है जिसको महात्मा गांधी नहीं चाहते थे । मानो उनको प्रसन्न करने के लिये इसमें अवश्य बढ़ती की गई है । इंडस्ट्रियल ट्यूशनल क्लासेज की संख्या भी पिछले तीन सालों में १,२०७ से ६१३ रह गई है । गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी विद्यार्थियों की संख्या १,०८३ से घटकर १,००७ रह गई है । अलीगढ़ के ताला-उद्योग में घटती हुई है और उसके टोटल मूल्य में घटती हुई है । फीरोजाबाद में चूड़ियों के व्यापार में जोकि हजारों आदमियों को कारोबार देता था उसमें भी पिछले तीन वर्षों में कमी हुई है । मिर्जापुर के ऊनी कालीन जिनके लिये हमारा प्रदेश और देश मशहूर था, उनमें भी कमी हुई है । रुड़की में ड्राइंग वगैरह के जो यंत्र बनते हैं उनमें भी तीन वर्षों में कमी हुई है । इसके अलावा कोल्हू जिनसे खंडसारी बनती है देहातों में, और जिन पर बहुत से लोगों की जीविका निर्भर थी, वह भी पिछले तीन वर्षों में १,३०२ से घटकर ५२८ रह गये क्योंकि सरकार ने उन पर भी प्रतिबन्ध लगाना शुरू कर दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से हमारे प्रदेश में अनेक चीजों का उत्पादन घटा है ।

सरकार ने पिछले तीन वर्षों में जो बड़े लम्बे-लम्बे दावे किये थे वह सब गलत सिद्ध हुये हैं। आगरा में जूतों का जो एक प्रमुख उद्योग था उसको भी विदेशी मोनोपोलिस्टों ने चौपट कर दिया है । आगरे का जूता उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है और मजाक यह है कि जब विदेशों से उसके लिये आर्डर बढ़ते जाते हैं, मांग बढ़ती जा रही है उस समय वह उद्योग एक गम्भीर संकट में पड़ा हुआ है । कारण सिर्फ एक है कि इस उद्योग का सम्बन्ध ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन से है । मेसर्स एलेन कूपर जो उत्तर भारत में सबसे बड़ा जूता उद्योगपति हैं उन्होंने हाल में ही आगरे की २० शाखाओं को बन्द कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक हजार मजदूर बेकार हो गये ।

मैं एक तरफ सरकार का और ध्यान खींचना चाहता हूं । हमारे देश को एक बहुत बड़ा खतरा है । इस से हमारे राष्ट्रीय अर्थ तंत्र को धक्का लग सकता है । और उसमें हमारा प्रदेश भी शामिल होगा । विदेशी पूंजी का शिकन्जा हमारे देश और प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और उस ओर गम्भीर दृष्टि से हमारे देश के जो कर्णधार हैं उन्हें विचार करना पड़ेगा । मैं कुछ बातें इस सम्बन्ध में आपके सामने रखना चाहता हूं । सन् १९४८ के अन्त में हमारे यहां केवल अमरीका की पूंजी ११,१७,००,००० रुपये की थी जो सन् १९५६ में बढ़कर ४६,८४,००,००० रुपये हो गई । आज हमारा देश विदेशी पूंजी की ओर झुकता जा रहा है, हमें डर है कि कहीं इसका भयावह परिणाम न हो जाय। उसके बाद १९५६ के अन्त से १९५८ तक के दो सालों में १९१ करोड़ रुपया अमेरिका का, ८९ करोड़ अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, ८६ करोड़ विश्व बैंक का और ८८ करोड़ रूस, जरमनी (पश्चिमी) और पोलैंड का ३ इस्पात कारखानों में लगा है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भी विदेशों का ८७ करोड़ रुपया लगा है । इस खतरे की ओर

[श्री झारखंडे राय]

मैं आपका और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहूंगा कि मौजूदा सरकार इसकी ओर ध्यान दें ।

हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनायें काफी हैं । यह बात नहीं है कि हमारे प्रदेश में रा मैटीरियल न हो । एक पावर एलकोहल ही की बात है । हमारे यहां तीन करोड़ टन से अधिक ईख पेरी जाती है, जिसका लाखों टन शीरा होता है, जिसका इस्तेमाल पावर अलकोहल बनाने में किया जा सकता है तथा उससे बहुत सी अन्य केमिकल इन्डस्ट्रीज खोली जा सकती है । हमारे प्रदेश के हजारों आदमियों को उससे काम मिल सकता है और प्रदेश की सम्पत्ति बढ़ सकती है । हां, केवल एक बात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्द्ध बुभुक्षित जीवों को उस दशा में वह शीरा प्राप्त नहीं होगा, अच्छी बात है ।

पेपर मिल्स और एसबसटास इन्डस्ट्रीज की भी यहां बहुत सी संभावनायें हैं । हमारे चीनी मिलों का खोइया और बांस तथा भाभर घास काफी तादाद में पायी जाती है । इस सबका प्रयोग पेपर उद्योग में होना चाहिये ।

प्लास्टिक की बढ़ती हुई इंडस्ट्री को जरा रोकना होगा । अगर यह नहीं होगा तो फीरोजाबाद की चूड़ी का काम समाप्त प्रायः हो जायगा और अगर कहीं मिलेगी भी तो बहुत ज्यादा दामों पर । संभल का कंघी का काम तो समाप्त ही हो गया है । इसलिये अपने यहां के गृह उद्योग धधों को कायम रखने क लिय प्लास्टिक के काम में हमें रोक लगानी होगी ।

हैंडलूम का काम करने वालों को सस्ता सूत मुहैया करना होगा । उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये इलाके मऊ में एक सूती मिल खुलने वाली थी, समझ में नहीं आता कि उसकी हत्या हो गई अथवा विचारों में उसका सृजन ही नहीं हुआ । सरकार को हैंडलूम वालों को सस्ता सूत देने की जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि इस उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको रोजी मिल सके । सरकार को इस बात का भी उपाय करना होगा कि मिल वालों से उनका फ्री कम्पीटीशन न हो और हैंडलूम वाले बरबाद न हों । जरूरत इस बात की है कि जो मीडियम और कोर्स किस्म का कपड़ा है उसको पूरी तरह से हैंड लूम के जिम्मे कर दिया जाय, बैड शीट्स भी हैंडलूम को दे दी जायं । इससे मिल के साथ जो उनका कम्पीटीशन होता है, वह न होगा । इसके अतिरिक्त वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी जायं और जो बड़ी सोसाइटीज पावर लूम के लिये सप्लाई करें उनको पावर लूम लगाने की इजाजत आसानी से दी जाय ।

इन्डस्ट्रीयल सर्वे की ओर सरकार ने समुचित ध्यान नहीं दिया । पहाड़ी क्षेत्रों गढ़वाल आदि में आयरन और माइका और सोप स्टोन आदि से संबंधित बहुत से उद्योग खोले जा सकते हैं और इन इलाकों का उत्थान किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूंगा । पंडित जवाहरलाल जी ने एक बात अभी हाल ही में कही है :—

"I will like to have millions of revolutions in this country than have millions of our peasantry living on the verge of starvation."

यह सही है, हम चाहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पार्टी तथा उनकी सरकार और यह सरकार भी उसको अमल में लाकर, नागपुर प्रस्ताव पर जो प्राइवेट सेक्टर और रिएक्शनरी फोर्सेज का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसको नाकाम करनें की चेष्टा करें । अन्यथा उनकी पार्टी तथा उनकी सरकार का अन्त हो जायगा । इन शब्दों के साथ मैं यह कटौती का प्रस्ताव आपके सामने पेश करता हूं ।

*श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे अवसर दिया है इस सदन के समक्ष इस अनुदान के सम्बन्ध में निवेदन करने का । मैं इस प्रस्तुत अनुदान के लिये माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं जिनकी योग्य संरक्षता में हमारा यह प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जा रहा है । मान्यवर, अभी इस सदन के समक्ष माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी के भाषण को मैंने सुना और बहुत ध्यानपूर्वक सुना । हम लोग इस सदन में सत्य का शोधन और सत्य का अन्वेषण करने के लिये बैठते हैं । सत्य का शोधन या सत्य का अन्वेषण निरर्थक बातों से नहीं होता । बल्कि उसके लिये ईमानदारी से कदम बढ़ाना होता है । अभी उन्होंने अपने भाषण द्वारा समाजवादी देशों में क्या हो रहा है, उसकी ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया । हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो समाजवादी व्यवस्था वह स्थापित करना चाहते हैं या उनके सहयोगियों ने स्थापित की है, उसमें क्या हो रहा है । मैं आशा करूंगा कि भविष्य में यहां पर जो भी तर्क उपस्थित किये जायं वे औचित्यपूर्ण हों और जिनका सम्बन्ध उद्योग से हो और इस प्रकार इस सदन के बहुमूल्य समय का सदुपयोग हो सकेगा ।

मान्यवर, किसी देश के औद्योगीकरण में उस देश के विकास की शृंखला होती है जिसमें उस देश की आर्थिक और सामाजिक समस्यायें आपस में सम्बद्ध रहती हैं। यह सही है कि किसी देश के औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक होता है कि उस देश में प्राकृतिक क्षमता हो, परन्तु यह भी सही है कि कोई भी देश औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता है और उस देश में आसमान जमीन की तरह आर्थिक विषमता हो । यदि उस देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जर्जर हो चकी है और उस देश के प्रत्येक मनुष्य को उचित अवसर न प्रदान हो सका हो । मान्यवर, जहां भी कहीं उद्योग का विकास हुआ है वहां उन उद्योग की योजनाओं के साथ और भी जो उस देश की अन्य योजनायें कार्यान्वित होती हैं, उनका सम्बन्ध रहता है । उसके लिये अन्यान्य योजनाओं का सहारा आवश्यक होता है । श्रीमन्, संसार में जहां कहीं भी औद्योगीकरण हो रहा है, वहां जो योजनायें चला करती हैं अन्यान्य क्षेत्रों में उन्हें उनके सहारे की आवश्यकता होती है । जहां भी जिस देश ने अपनी क्षमता के अनुसार नहीं बल्कि उससे ज्यादा जाकर अपनी औद्योगिक योजनाओं को कार्यान्वित करने की कोशिश की है वहां उससे खतरा हुआ है और वहां उस देश की समृद्धि नहीं हुई है बल्कि उससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है । और इस के प्रत्यक्ष उदाहरण इटली, नीदरलैंड और बेलजियम आदि देश हैं । माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने जो समाजवादी देशों की बात कही है उस के सम्बन्ध में मैं उन को एक बड़े फिलास्फर की बात बताना चाहता हूं वह है कार्लमार्क्स । उन्होंने लिखा है कि—

"In an under-developed country, the expansion of industry should be accelerated strictly in accordance with the nation's potentialities. For the sake of speed, it is dangerously bad to stake the national resources for nothing."

मैं आपकी आज्ञा से हिन्दी में इस का अनुवाद भी किये देता हूं । किसी अविकसित राज्य में, उद्योग के विकास की प्रगति उस देश की क्षमता के अनुसार होनी चाहिये । केवल जल्दबाजी के लिये राष्ट्र की सम्पत्ति को व्यर्थ में नष्ट करना बहुत खतरनाक बात है ।

मान्यवर, इसी सीद्धान्त को सामने रखते हुये हमारी राष्ट्रीय सरकार और विशेषकर हमारे प्रदेश की सरकार इस नीति का अनुसरण कर रही है कि हमारी जो आर्थिक क्षमता है और प्राकृतिक क्षमता है उस के अन्दर ही हम अपनी विकास की योजनायें चला रहे हैं । क्या यह सही नहीं है कि इस प्रदेश में पिछले वर्ष की अपेक्षा स्टील में १९ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है ? क्या यह सही नहीं है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ५९ फीसदी मेटल की बढ़ोत्तरी हुई है ? क्या यह सही नहीं है कि सूत में भी इस वर्ष २९ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है ? क्या यह भी सही नहीं है कि प्रदेश में अल्मूनियम का कारखाना, सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर और गवर्नमेंट प्रिसिजन फैक्टरी के विस्तार की बात चल रही है और सम्भवतः कुछ दिनों में यह कार्य हो जायेंगे ?

[श्री अमरेशचन्द्र पांडेय]

यह भी सही है कि इस प्रदेश में इन उद्योगों का ही नहीं, बल्कि कुटीर उद्योगों का भी विकास किया गया है और इस क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। मैं समझता हूं कि जो योजनायें उद्योग विभाग द्वारा चलाई गई हैं वह बहुत ही उचित हैं और आशा है कि उन के तहत में इस प्रदेश का अधिक लाभ होगा । आजादी के पहले तो कभी इस देश में उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ सोचा ही नहीं गया था ।

सन् १९४४ में श्री दलाल के सभापतित्व में एक कमेटी बनाई गई थीं प्लानिंग एन्ड डेवलपमेंट के लिये । उसने इस देश के औद्योगिक विकास के लिये जो रिजोलूशन पास किया था उस के सेलीयेंट फीचर्स दो थे । पहला तो यह था कि उस में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की परिभाषा स्पष्ट की गई और दूसरा यह था कि जो उद्योग गांव में सेन्ट्रेलाइज हो रहे थे जैसे उत्तरी भारत और बिहार में चीनी की मिलों का बाहुल्य था, बंगाल में तमाम पेपर मिल्स खुली थीं और साउथ में टैक्सटाइल मिल्स खुली थीं, तो इस सेन्ट्रेलाइजेशन को रोकने के लिये एक कमेटी की व्यवस्था की गई और उस से लाभ भी हुआ । उसके बाद जब देश आजाद हुआ और जब हमें अपने देश में अपना राज्य स्थापित करने का अवसर मिला तब राष्ट्रीय सरकार ने सन् १९४७ में एक कमेटी बनाई और एक रिजोल्यूशन सन् १९४८ में संसद में पेश हुआ, वह हमारे देश का सब से पहला औद्योगिक नीति का प्रस्ताव था, उस में हमारे उद्योगों को ४ कैटेगरीज में बांटा गया था । पहली कैटेगरी, एटामिक एनर्जी और आर्म्स एम्युनीशन की जो फैक्टरीज थीं उनमें स्टेट की मनोपोली निश्चित की गई । दूसरी कैटेगरी, जो स्टील इत्यादि की विग इंडस्ट्री होगी उसे सब चला सकते हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजर भी स्टेट की परमीशन से चला सकते हैं । तीसरी कैटेगरी, फर्टीलाइजर और ट्रैक्टर वगैरह भी प्राइवेट कनसर्न बना सकती है और चौथी कैटेगरी में बाकी सब प्राइवेट इंटरप्राइज के लिये है ।

इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो पास हुआ इस क्षेत्र में, वह सन् १९५६ का गवर्नमेंट आफ इंडिया का इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन था । वह हमारे देश का इकोनामिक कांस्टीट्यूशन बन गया है और उसकी तहत में सरकार ने जो प्राइवेट और पब्लिक इंटरप्राइज का भेद इस देश में बढ़ता जा रहा था उसे समाप्त किया और तीन कैटेगरी की इंडस्ट्रीज बनाई । पहली जिसमें स्टेट की मनोपली पूर्ण रूप से थी जैसे, एटामिक एनर्जी, स्टील आदि । दूसरी और तीसरी कैटगरीज की जो इंडस्ट्रीज थीं उनके संबंध में सरकार ने निर्णय किया कि कोई भी प्राइवेट इन्टरप्राइज वाला आदमी उन्हें खोल सकता है सरकार की आज्ञा से और उसमें कोई मुमानियत नहीं है । जहां तक इंडस्ट्री के नेशलाइजेशन का प्रश्न था, उसका त्याग किया गया । सन् १९५६ के प्रस्ताव के तहत में ही सारे प्रदेश में इंडस्ट्रीज की योजना चल रही है । मैं समझता हूं कि इस दिशा में हमारे देश में और विशेषकर हमारे प्रदेश में काफी तरक्की हुई है । और प्रदेशों में बड़ी इंडस्ट्रीज अवश्य खोली गई है, हमारे यहां केवल सीमेन्ट फैक्टरी है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में और चेष्टा करें । जैसे कि एक फर्टीलाइजर फैक्टरी आ रही है वैसे ही और भी लाने की कृपा करेंगे ।

अन्त में मैं दो शब्द अपने जिले के बारे में भी कहना चाहता हूं । मिर्जापुर जिले में मेटिल इंडस्ट्री की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है । जो थोड़े से लोग हैं, जिन्होंने मनोपोली बना ली है, वे लोग अपना एलाटमेन्ट लेते हैं और उसको लेकर बड़े ऊंचे भाव से एक मिडिल मेन प्राफिट करते हैं । यह बुरी बात है । न्यू कमर्स जो होते हैं उनको कोई एलाटमेन्ट नही होता । तो जो न्यू कमर्स हों और काम करना चाहें, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

मिर्जापुर की कालीन के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं । वहां की कालीन सारे संसार में मशहूर है । उससे बहुत सा पैसा मिलता है । इसलिये अगर उसकी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी तो हमारे जिले का बड़ा नुकसान होगा । इस ओर भी सरकार को प्रशस्त कदम उठाना चाहिए । जैसे मुरादाबाद में जहां मैटिल वर्क्स है, आपने एक संस्था खोली है, और ट्रेनिंग देते

हैं उसी प्रकार से मिर्जापुर में भी एक संस्था खोल दें ताकि नवयुवकों को जो दूसरे इंडस्ट्रीज में दिलचस्पी रखते हों ट्रेनिंग मिल सके और वह देश की सेवा कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के सम्बन्ध में जब कभी बजट पर चर्चा होती है तो सूबे के जो पिछड़े हुए खित्ते हैं उनमें इस आशा का संचार होता है कि अब कुछ काम धंधे हमारे यहां स्थापित होंगे। परन्तु दूसरी योजना भी समाप्त होने वाली है लेकिन कुछ ऐसे अभागे जिले हैं जिनकी ओर न तो अंग्रेजों के समय में, न इस सरकार के समय में ही ध्यान दिया जा रहा है और पहले जैसे कानपुर वगैरा में उद्योगों का केन्द्रीकरण होता था वैसे ही इस समय भी बनारस में होने लगा है। पिछड़े इलाकों में, न तो रेल का प्रबन्ध किया जाता है, सड़कों के बारे में जब पी० डब्लू० डी० से कहा जाता है तो कहते हैं कि दूसरी योजना में बनेंगी, फिर कहा जाता है कि तीसरी योजना में और फिर कहते हैं कि अब नहीं बन सकतीं। न रेल है, न सड़क है, न खान है, यह कह दिया जाता है कि इन हिस्सों में उद्योग धंधे नहीं खोले जा सकते। केवल कुछ ऋण वगैरा देकर संतुष्ट कर दिया जाता है। इस तरह से उन क्षेत्रों में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी ओर सरकार का ध्यान कम जा रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि कुटीर उद्योगों की ओर दिलचस्पी के साथ ध्यान दिया जाय।

मूल्यांकन कमेटी, सर्वेक्षण कमेटी के बारे में कहा गया है कि उनके आंकड़े तैयार हो रहे हैं लेकिन १०–१२ साल हो गये आजमगढ़ में कोई भी इंडस्ट्री नहीं दिखायी दे रही है। सिवाय मऊ पावर हाउस के। इंदारा में बहुत दिनों से चीनी मिल खोलने की बात चल रही है, जिस समय इस सम्बन्ध में जिलाधीश के यहां बात हुई तो पता चला कि साढ़े सात लाख रुपया इकट्ठा करना होगा। लेकिन माननीय बहुगुणा जी जब बजट पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि १५ लाख रुपया चाहिये। तो जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पर इतनी रकम जमा नहीं हो सकती। इसलिये जरूरत इस बात की है कि इंदारा में एक सहकारी चीनी मिल खुलनी चाहिये। सूती मिल के सम्बन्ध में सुना था कि पूर्वी जिले और बुन्देलखन्ड के लिये कुछ पैसा मिलेगा और सूती मिल खुलेगी। लेकिन अभीतक कुछ नहीं हुआ। मुबारकपुर, मऊ में बुनकरों की बहुत बड़ी संख्या है जिनको सूत की जरूरत है। हम सोचते थे कि मिल खुलने पर १२०० आदमी मिल में काम करेंगे और सस्ता सूत मिलेगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

हमारे यहां जो शाहगंज चीनी मिल है वह ४० मील का एरिया कवर करती है। उसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिये। शाहगंज के पास ही जौनपुर और आजमगढ़ में ऊसर का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें रेह बहुत होती है तो वहां पर एक ग्लास की फैक्टरी खुलनी चाहिये।

इसके अलावा जो २७ करोड़ की लागत से उर्वरक खाद का कारखाना खुलने वाला है वह बहुत अच्छी बात है और हम लोग आशा लगाये बैठे हैं कि यहां ही खुलेगा। लेकिन आशंका इतनी ही है कि कहीं सूती मिलों की तरह यह कारखाना भी खटाई में न पड़ जाय। मैं मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि यह कारखाना पूर्वी जिलों में और खासकर पिछड़े हुए खित्ते में खोला जाय।

घाघरा के किनारे जूट की पैदावार बहुत होती है बड़े व्यापक क्षेत्र में और हमारे जिले में तो कई तहसीलों में सन की बड़ी जबरदस्त काश्त होती है। वह सन सब कलकत्ता चला जाता है। सन फैक्टरी हमारे यहां खोली जाय क्योंकि बहुत ज्यादा सन हमारे यहां पैदा होता है। जूट भी काफी पैदा होता है और उसका बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है।

निजामाबाद में मिट्टी के बर्तन बनते हैं। वहां के कुम्हारों को मशीनों के लिये पैसा देने को कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। २ आफिसर बैठे हुए हैं। लोग शोरूम की तरफ देखकर चले जाते हैं। इस तरफ सरकार का अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

[श्री विश्रामराय]

बोन डाइजेस्टरों का कोई प्रयोग देश में नही किया गया। दक्षिण में चले जाइये, वहां हड्डी की मिलें हैं, खाद बनती है लेकिन यहां कुछ नहीं होता। चमड़े का कारोबार देहातों में बहुत चलता है लेकिन इस साल बजट में इसके लिये भी कम रुपया रखा गया है और चमड़े का कारोबार खत्म होता जा रहा है। इसको बढ़ाने की जरूरत है।

खांडसारी के उद्योग के बारे में सरकार को क्या कहा जाय? इसमें नीति बिल्कुल उलटी हो गई है। सरकार खांडसारी को बर्बाद करना चाहती है और यह कानून बन गया है कि कोल्हू कोई बिना लाइसेंस के नहीं ले सकता। बराबर बंदिशें लगती जा रही हैं।

कुटीर उद्योगों को आप पनपाना चाहते हैं और दूसरी ओर मिलमालिकों को आप खुश करना चाहते हैं, लेकिन बराबर खांडसारी पर पाबन्दी लगती जा रही है। अगर आप खांडसारी तथा चीनी के उद्योग को जिन्दा रखना चाहते हैं तो उनको अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिये और कम्पीटीशन फ्री होना चाहिये।

रिहन्द बांध से बिजली मिलने वाली थी। कहा जाता था घर-घर रेडियो हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—बहुत जल्दी आप रेडियो के लिये आर्डर दे दीजिये। (हंसी)

श्री विश्रामराय—आर्डर आप दीजिये। हमारे पास रेडियो है नहीं। कुटीर उद्योगों को बिजली न मिल कर बड़े-बड़े पूंजीपतियों को मिल रही है। अल्मुनियम का कारखाना खुल रहा है लेकिन देहात के अन्दर जो आशा थी वह थरमल पावर से दी जायगी और रिहन्द की सब पूंजीपतियों को दी जायगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब समाजवादी व्यवस्था हम कायम करने जा रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर को अधिक से अधिक सहकारी तरीके पर चलाने की ओर ध्यान देना चाहिये। बजट को देखने से पता चलता है कि अब भी प्राइवेट सेक्टर हावी है। उसको कर्जा मिलता है। उसको तरजीह दी जाती है। उसको समर्थन मिलता है। लेकिन हमको प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा पब्लिक सेक्टर तथा सहकारिता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में समाजवादी व्यवस्था कायम हो। उद्योग धंधों में कर्जा देने में भी हम समाजवादी तरीके का प्रयोग करने जा रहे हैं। चीनी मिल का राष्ट्रीयकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिये। इसमें बहानेबाजी नहीं होना चाहिये।

***श्री अब्दुल लतीफ नोमानी** (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट का एक ऐसा हिस्सा जेरे बहस है जिसकी कामयाबी का हमारे देश की तरक्की पर बहुत कुछ इनहसार है। यह तो सब को मालूम है कि किसी देश में या प्रदेश में आर्थिक स्थिति, माली हालत सिर्फ इतने से ही दुरुस्त नहीं हो सकती कि उसमें कर्जे व जरूरत का अच्छे से अच्छा इंतजाम हो। यह सही है कि खेती की तरक्की और पैदावार की ज्यादती बुनियादी तौर पर एक अंग है किसी देश की तरक्की के लिये, लेकिन तनहा खेती से अगर कोई देश या प्रदेश तरक्की कर सकता तो जब से विदेशी राज्य ने हमारे देश को कृषि का देश बना दिया, हमारे देश को एक बड़ा महान देश हो जाना चाहिये था, इसकी बड़ी तरक्की हो जानी चाहिये थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

रोज-ब-रोज हमारा देश माली एतबार से नीचे गिरता चला गया। इसकी वजह यह है कि हमारे देश में उद्योग सनतें, कारीगरियों का बढ़ावा नहीं दिया गया, इनकी तरक्की की ओर ध्यान नहीं दिया गया। विदेशी राज्य ने हमारे देश को कृषि देश बना कर, यहां से कच्चा सामान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने देश पहुंचा कर और वहां से तैयार माल हमारे देश में लाकर इसको एक मंडी बना कर छोड़ दिया। वे समझते थे कि अगर यहां उद्योग की तरक्की हो गई तो यह देश फिर हमारे लिये बाजार नहीं रहेगा, मैनचेस्टर का कपड़ा इसमें नहीं खप सकेगा। तो उसने कसदन हमारे देश को उद्योग और सनतों के एतबार से पिछड़ा हुआ बनाने की कोशिश की।

आजादी को १२ साल हो गये। हमारे कुछ भाइयों को इसपर बहुत अचम्भा और ताज्जुब है कि जितने मुद्दत में रूस में पांचगुना इजाफा सनतों में हो गया और चीन में दस गुना इजाफा हो गया हमारे देश में उतना इजाफा क्यों नहीं हुआ। है यह ताज्जुब की बात। हैरत हमको और आप, को, सब को होनी चाहिये क्योंकि रूस में भी आदमी रहते हैं, चीन में भी आदमी रहते हैं और हमारे मुल्क में भी आदमी रहते हैं। लेकिन अगर जरा गहराई में जाने की कोशिश की जाय तो यह कोई हैरत की बात नहीं है। रूस भी एक समाजवादी देश है, चीन में भी समाजवाद है, लेकिन वह समाजवाद ऐसा नहीं है जिसकी तरफ कांग्रेस इस देश को लिये जा रही है। जम्यूरियत वहां नहीं है। वहां तो तानाशाही है। वहां तो अगर किसी आदमी को कह दिया कि तुम यह काम करो तो फिर वह सोच नहीं सकता कि उसे करना चाहिये या नहीं। वहां तो आर्डर, आर्डर है। तो जो आर्डर वहां हो गया उसके लिये वह मजबूर हैं। मगर हमारे यहां जम्हूरियत है। हम जब इस देश को किसी काम की तरफ लेजाना चाहते हैं तो कुछ लोग हमारी बात न समझ कर जनता के पास जाकर शिकायत करते हैं, हड़तालें होती हैं, दंगा होते हैं, काम बन्द होता है, फैक्टरियां तोड़ दी जाती हैं। अभी एक हड़ताल हो रही है दूध के कारखाने में और जिन मशीनों से दूध निकाला जाता है उनको तोड़ दिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो तो कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो अनपढ़ लोगों को पढ़ा कर चार-छः महीने के बाद ऐसा करदेंगे कि उन्हें दुरुस्त करने में फिर एक साल लग जाता है। अगर सचमुच ईमानदारी के साथ हमारे देश के सभी आदमी, कांग्रेस वाले भी, कम्युनिस्ट पार्टी भी और दूसरी पार्टियां भी मिल जुल कर देश के अन्दर उद्योग को बढ़ाने के लिये एक साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते तो इसमें कोई शुबहा नहीं कि १२ साल में जितनी तरक्की हम देख रहे हैं इससे कहीं ज्यादा तरक्की हमने की होती और जो रुकावटें हमारे रास्ते में आयीं, वह न आतीं।

श्रीमन् इतनी सारी उलझनों के बाद भी हमारे देश में जो छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं वे कुछ ऐसी भी नहीं हैं कि जिन को देख कर हम फक्र न कर सकें, हम अपना सिर ऊंचा न कर सकें। यह सही है कि हमारे सूबे में अभी कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आयी है। उसके लिये कोशिश हो रही है, इसके बारे में मुख्य मंत्री जी इस दफा और इससे पहले भी हाउस में बता चुके हैं जो हालत है। गवर्नमेंट तो चाहती है, लेकिन, बहरहाल, देश तो पूरी एक इकाई है। अब अगर हमारी केन्द्रीय सरकार यहां के बजाय किसी और जगह मुनासिब समझती है तो हम उसके मुकाबले में सत्याग्रह तो नहीं कर सकते। कोई हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं, कोशिश हमारी बराबर हो रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं।

जहां तक घरेलू सनअतों का ताल्लुक है इसकी बढ़ोत्तरी की तरफ हमारी सरकार की पूरी पूरी तवज्जह है। जो वाकिफकार इंसान है उसको यह मानना पड़ेगा कि इन १२ सालों में हमने इनको काफी आगे बढ़ाया है, मसलन हैंडलूम ले लीजिये। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां यानी आजमगढ़ और मऊ में दोनों तरह का काम होता है, सूती और रेशमी। मऊ में सूती कपड़ों का काम होता है और मुबारकपुर रेशमी साड़ियों के लिये मशहूर है। आप यकीन मानिये पिछले सालों में जैसा कि माननीय झारखंडेराय जी ने कहा, कि हमें मंहगा सूत मिलता है। वह तो है ही। लेकिन हमने खैराबाद, वलीदपुर वगैरह में मिलों जैसी साड़ियां बनायीं और उनको कानपुर वगैरह के बाजार में भेजा और उसका काफी असर पड़ा। मऊ में बारीक साड़ियां भी बनती हैं। वह मद्रास और दूसरी जगहों के मुकाबले में काफी बिकती हैं। बिक्री की कोई परेशानी नहीं है और इसकी भी इतनी परेशानी नहीं है कि हमें मिलों से महंगा सूत मिलता है। हम अपनी

[श्री अब्दुल लतीफ नोमानी]

कारीगरों को बदौलत महंगा सूत मिलने पर भी जी सकते हैं और खाली जी ही नहीं सकते हैं बल्कि आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था हमारे यहां ठीक नहीं है। बाजार में चार-चार महीने बाद दाम मिलते हैं। गरीब के पास इतना पूंजी कहां है कि वह चार महीने तक पैसा लगाता रहे और अपना काम चलाता रहे और फिर दाम मिलें। इसलिये वह दलालों के नीचे दब जाता है। अगर मार्केटिन्ग का ठीक इन्तजाम हो जाय तो मऊ, टांडा, मुबारकपुर मे जो इंडस्ट्रीज हैं वह बहुत आगे बढ़ सकती हैं। इस सिलसिले में मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट जरूर ध्यान देगी।

हमारे यहां जो सूती कपड़ा तैयार होता है उसमें एक ऐब है बावजूद इसके कि उसकी काफी बिक्री होती है। वह यह है कि जब तक कपड़ा ताजा रहता है तब तक बहुत अच्छा रहता है और देखने में चिकना मालूम होता है लेकिन धुलाई के बाद उसके रेशे निकल जाते हैं और उसकी चिकनाहट खत्म हो जाती है। मद्रास के कपड़े में यह ऐब नहीं है। बहुत दिनों से हम इस सोच में थे कि आखिर यह फर्क क्यों है? बाद में मालूम हुआ कि एक मशीन होता है उस पर पहले सूत चढ़ाया जाता है। इसके बाद उसका कपड़ा तैयार किया जाता है। इस तरह का एक मशीन हमारे यहां भी लग जाय तो हमारे यहां के कपड़े में यह ऐब नहीं होगा। मैं पुरजोर अपील करता हूं कि मऊ, टांडा वगैरह जो सूती कपड़े के सेंटर हैं वहां एक ऐसी मशीन लगाई जाय और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का मौका दिया जाय। अगर हमें यह दिया गया तो हम अपनी कारीगरी की बदौलत हर जगह का मुकाबला करके आगे बढ़ सकते हैं और जितने आदमी इस इंडस्ट्री में लगे हुये हैं उससे भी ज्यादा और आदमी खप सकते हैं। इसमें ८ लाख आदमी काम करते हैं। इतने आदमी तो इसी में काम करते हैं। लेकिन इसके मुतल्लिक जो और काम हैं जैसे महगाई, धुलाई वगैरह के, इन सब में काम करने वालों को जोड़ा जाय तो दस लाख आदमी काम करते हैं और इसमें इतनी गुंजायश है कि २–४ लाख आदमी और खप सकते हैं। मगर थोड़ा इसकी तरफ और हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट इस बात की तरफ ध्यान देगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––अधिष्ठाता महोदय, कहावत है कि जब रोम में आग लगी थी तो बादशाह फिडलिंग कर रहा था। मेरे कहने के पूर्व अगर मंत्री जी को नींद लग जाय तो कोई ताज्जुब नहीं। मुझे थोड़ा-सा माननीय मंत्री जी के कार्य कलापों के सम्बन्ध में अनुभव है। मैं जब कभी भी उनके दरबार में गया हूं तो खाली ही लौटा हूं।

आज यह जो उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार का अनुदान पेश है और उसमें जो कटौती का प्रस्ताव है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं दो एक विशेष बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। आशा है कि मंत्री जी कृपा कर के सुन लेंगे।

सरकार अपनी औद्योगिक निति के अन्तर्गत वृहद् और लघु दोनों उद्योगों को बढ़ाने की नीति बताती है। लेकिन मैं अपने को विशेष रूप से लघु उद्योगों पर ही सीमित रखूंगा। लघु उद्योगों को हम इस आशय से चाहते हैं कि ये कुटीर उद्योगों के रूप में ग्रामों में फैल जायं जिससे कृषकों को सहायक धंधा मिल जाय। अगर सरकार इस ओर कुछ करती होती तो मैं आज उन्हें बिना धन्यवाद दिये न मानता। लेकिन मैं देखता हूं कि सरकार वृहद् उद्योगों को ऋण और अनुदान तो दे रही है परन्तु लघु कुटीर उद्योगों की ओर उसकी नीति निराशा की ओर ले जाने वाली है। मैंने पिछले साल भी कुछ इसी ढंग की बात कही थी लेकिन मेरी बात अनसुनी कर दी गयी। आज फिर उसी प्रकार की फरियाद लेकर मैं श्री बहुगुणा जी के दरबार में हाजिर हूं। हमारे बहुगुणा जी बड़े आदमियों की ही बातें सुनते हैं, औरों की वह नहीं सुनते।

मैं सरकार का ध्यान कुटीर उद्योगों को जो वह अनुदान और ऋण देती हैं उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार ऋण तो बहुत मंजूर कर लेती है लेकिन देने के समय यह कागज में ही रह जाता है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े आप के सामने रख दूं। १९५९-६० मे सरकार द्वारा १५ लाख ७२ हजार ऋण देने के लिये और १ लाख १७ हजार अनुदान देने के लिये स्वीकृत था। लेकिन इसमें से केवल ७ लाख १४ हजार ऋण में और ३० हजार अनुदान में दे सकी। यानी ऋण में केवल आधा और अनुदान में तिहाई से भी कम दे सकी। स्वीकृत देने के लिये एक ऋण और अनुदान समिति है। वह रईस लोगों की बनी हुई है। सोशलिस्ट पार्टी का आदमी तो दिखायी ही नहीं देता है। उन्होंने साल में केवल दो बैठकें कीं। वह सोच ही नहीं पाये कि इतनी रकम है, दें या न दें। साल भर के बाद १५ लाख में केवल कुछ रुपया ऋण स्वीकृत किया है। अब कहा जाता है कि ३१ मार्च तक बाकी रुपया हम दे देंगे। इसी तरह से क्षेत्रीय आयुक्तों का भी हाल है। १५ लाख ६० हजार रुपया कुल दिया जाना था जिसमें से ३१ दिसम्बर तक ३ लाख ३४ हजार कुल दिया जा सका है और उसमें भी बड़ी-बड़ी रकमों की केवल स्वीकृति दी गई है रकम पूरी दी नहीं गई है। पूर्वी जिलों में ७ लाख २६ हजार रुपये दिये गये हैं, बुन्देलखंड के लिए ५ लाख की स्वीकृति मिली है जिसमें से केवल ७० हजार वितरित है।

इसी के साथ-साथ एक बात मैं और भी बता दूं। यह जो राज्य वित्तीय निगम हैं, स्टेट फाइनेंशल कारपोरेशंस, इन्होंने भी ६८ लाख रुपये की स्वीकृति दी जिसमें से ३८ लाख वितरित हुआ। ७० हजार रुपया कानपुर जिले को मिला था जिसमे से केवल ४२ हजार रुपया गृह उद्योगों के लिए वितरित हुआ।

अब मैं थोड़ा-सा यह साफ़ कर दूं कि होता क्या है? होता यह है कि जितना भी अनुदान या ऋण सरकार मंजूर करती है उसके बारे में सरकार लोगों से कुछ प्रार्थना-पत्र लेती है और प्रार्थना-पत्र आते-आते, स्वीकृति देते-देते ३१ दिसम्बर तो यों ही आ जाता है। फिर इसके बाद कमिश्नर की तरफ से रुपया आता है कि आप इसको बांट दीजिए। तब केवल दो महीना जनवरी और फरवरी बच जाता है। उसमें जो उनके फेवरिट् लोग होते हैं उनको वह बांट देते हैं क्योंकि बाक़ी को कोई खबर ही नहीं हो पाती। मैं कानपुर इंडस्ट्रिअल ऐडवाइजरी कमेटी का सदस्य हूं। पहले साल में बताया गया कि ७० हजार रु० अनुदानों के लिये है और ४२ हजार रुपया गृह उद्योगों के लिये दिया गया। बाकी के लिये कहा गया कि कोई दरख्वास्त ही नहीं है। इसके बाद जनवरी की मीटिंग में कहा जाता है कि डेढ़ लाख रुपया कमिश्नर साहब के पास से आया है उसे बांटना है। दरख्वास्त कोई है नहीं। तो वह रुपया हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज आफिसर के खैरख्वाह, और चापलूस लोग जो हैं उनमें बांट दिया गया। मैंने, यह कहा कि यह गृह उद्योग तो देहातों में चलने चाहिए तो वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि गृह उद्योग चाहे देहातों में चलें, चाहे शहरों में चलें, हमें उसकी चिन्ता नहीं है, वह है तो गृह उद्योग ही। तो मैं उनकी कथनी और करनी से परेशान हो गया। इनके शहरों में चलने से देहात का क्या लाभ होगा? आप देखें कि इंडस्ट्रिअल एस्टेट बनाने की योजना सरकार की है--आप मुझे कुछ थोड़ा-सा समय और दे दें क्योंकि इतने कम समय में तो मैं कुछ कह नहीं सकूंगा ....

श्री अधिष्ठाता--दो मिनट मैं और बढ़ा सकता हूं। आप कृपया बोलें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--कुछ-कुछ उन लोगों के लिये समय दिया कीजिए जो अपनी बात कहने में कुछ समय लेते हैं।

हमारे उत्तर प्रदेश में ३ जगह ये इंडस्ट्रिअल एस्टेट कायम किये गए--कानपुर में भी है एक, एक आगरा में है। कहा यह गया कि ये देहाती एरिया में होंगे किन्तु नहीं हुये। जब तक कायम न किये जायेंगे तब तक कोई लाभ न होगा क्योंकि वहीं छोटे-छोटे धंधे चलाने के लिये उनको

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सुविधा मिलनी चाहिए। कानपुर के लिए चैम्बर ने एक योजना सरकार के पास पेश की कि कानपुर में पुखरायां में यह कायम कर दिया जाय लेकिन सुनने देखने में आया कि सरकार उसे पसन्द नहीं कर रही है और वह बड़े-बड़े स्थानों में ही अपने को सीमित रखना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि कानपुर के बारे में आशा बंधाकर यह निराश क्यों किया जा रहा है?

हमारे सामने बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज का कुछ विवरण दिया गया है चुर्क सीमेंट व राजकीय प्रिंटिंग फैक्ट्री वगैरह का। पहले से अब की दफा सरकार ने कुछ संजीदगी इस रिपोर्ट 'उद्योगों का विकास' में दिखायी है--केवल एक पन्ने का कागज, सभी छोटी-छोटी लाइन्स में कोड वर्ड्स में, बातें कह दी गई हैं और वह जो विस्तृत रिपोर्ट जाती थी वह भी अब की बार नहीं दी गई है। मुझे जे० के० रेयन मिल के बारे में भी कुछ कहना है। यह उद्योग तीन करोड़ की लागत से कायम किया गया है। इसका उद्घाटन भी हमारे मुख्य मंत्री जी करने के लिये गये थे। उनकी विशेष अनुकम्पा उसके ऊपर है, जैसी कि सोडा ऐश फैक्टरी के ऊपर है वैसी ही उसके ऊपर भी है। मुझे मालूम है कि उस स्थान में जो यह फैक्टरी लगाई गई है वह केवल पूंजीपतियों की पूंजी को बढ़ाने के लिये लगाई गई है। उसमें मजदूरों के प्रति क्या सहानुभूति है? और उन अथक परिश्रम करने वाले श्रमिकों को श्रमिक जो दिया जाता है उसकी कहानी भी मुझे मालूम है। उसमें ऐसे आदमियों की भूमि ली गई है जो कि बहुत उपजाऊ भूमि है। जो पारिश्रमिक वहां दिया जाता है वह भी केवल नाममात्र को है। उसमें पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने के लिये सहारा दिया गया है। उसमें सारी स्टेट गवर्नमेंट की सहायता है। हमारे मुख्य मंत्री जी का उसको आशीर्वाद है। जब मैं कानपुर शहर और देहात की तुलना करता हूं तो यह मालूम होता है कि देहातों के साथ सौतेली मां का व्यवहार दिखाई देता है। उन की हर मांग को ठुकरा दिया जाता है और बड़े-बड़े पूंजीपतियों की मांग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कानपुर के पूंजीपति सारे कांग्रेस के कार्यक्रम पर छाये रहते हैं। झारखंडे राय जी ने तो आंकड़े लाकर यह बता दिया कि कांग्रेस की सारी फाइनेन्शियल सप्लाई पूंजीपतियों के द्वारा ही होता है और कानपुर के पूंजीपतियों के द्वारा विशेषरूप से। इसी कारण कानपुर के उद्योगपतियों को बहुत रूप से यह सरकार सहायता करती रहती है।

अगर कानपुर के अन्दरूनी इलाके को आप देखें, बहुत सी जगहें पुखरायां, सरसोल, महराजपुर ऐसी हैं जहां पर उद्योग लगाने के लिये पहले तय किया गया था लेकिन बाद को उन स्थानों को छोड़ दिया गया। अगर सरकार यह चाहती है कि शहरों के आस पास यह उद्योग-धंधे पनपें तो सलाहकारी समिति को आप अधिकार दें कि वह उद्योग बढ़ाने के लिये लोगों को ऋण दे, बजाय इसके कि खाना पूरी हो। मैंने इस बात को पिछले साल भी कहा था और अब फिर कहना चाहता हूं विशेषरूप से अपने उपमन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे वह युवक हैं लेकिन अभी अनुभव की कमी है क्योंकि वह अनुभववालों की बातें सुनना पसन्द नहीं करते हैं और कभी कभी आवेश में प्रभावित होकर जवाब दिया करते हैं वह मुझे खलती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वे सीखने की कोशिश करें ताकि अगली दफा जो इस काम को चलायें तो वह ज्यादा अच्छी तरह से चले। इस समय जो मुहकमा उनके हाथ में है उसमें केवल लीक पीटी गई है। अभी तक उसके लिये नया कार्यक्रम नहीं अपनाया गया है। मुझे आशा है कि नये साल में नये तरीकों को सोच कर वह कुछ काम करेंगे तो इससे प्रदेश का अधिक लाभ होगा।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि उद्योग की उन्नति पर प्रदेश की सम्पन्नता निर्भर रहती है। अभी झारखंडे राय जी ने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये जो तस्वीर हमारे सामने रखी, उससे ऐसा लगता था और यदि किसी उन सम्बन्धित आंकड़ों का अध्ययन न किया हो तो उसको यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भ्रम हो कि कदाचित् घड़ी उल्टी चलनी तो शुरू नहीं हो गई। मान्यवर, उन्होंने अपने उद्योग से सोवियत रसा का तुलना का। उनके साधन और हमारे साधनों का कोई तुलना नहीं हो सकती इसलिये हम उनसे काफी पीछे रहे होंगे। लेकिन यह बात भी निर्विवाद सत्य है कि हमने पिछले वर्षों में काफी प्रगति का है और तरक्की का और बढ़े हैं।

यदि हम पिछले वर्षों को देखें तो स्माल स्केल इंडस्ट्री में हमने २६ फीसदी उन्नति की और जो छोटे उद्योग हैं उसमें ३३ फीसदी हमने वृद्धि की है सन् १९५७ के मुकाबले में भी। मान्यवर, जिस प्रकार से इवैल्युएशन कमेटी ने अच्छा काम किया है वह भी एक नई दिशा देने में समर्थ होगी और भी कुछ प्रशंसनीय कार्य इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा हुए हैं जो कि अवश्य हमें प्रगति की ओर ले जा सकेंगे। लेकिन इन सब के होते हुये भी यदि यह कहा जाय तो उससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज भी हमारा प्रदेश उद्योग धंधों की दौड़ में अपने देश के कई उन्नत राज्यों से पीछे है। मेरे विचार से, मान्यवर, सब से मुख्य कारण उसका यह है कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के दौरान में केन्द्र से हमें न्याय नहीं मिला। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में जो हैवी इंडस्ट्रीज का एलाटमेन्ट हुआ उसमें हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और उसकी महत्ता को देखते हुये उसका जो हिस्सा हमें मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला। मैं चाहता हूं इस सदन की आवाज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा केन्द्र तक पहुंच सके और तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें हमारा उचित हिस्सा मिले। मैं समझता हूं, मान्यवर, इस सदन के सभी सदस्य इस बात में मुझसे सहमत होंगे, जब मैं यह निवेदन करूं, कि हमारे प्रदेश की महत्ता को देखते हुये केन्द्र की तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारी पिछली कमी को पूरा करना है और हमारे साथ न्याय करना है। मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारे मुख्य मंत्री जी, जो देश के मुख्य मंत्रियों की पंक्ति में अद्वितीय स्थान रखते हैं, अपने प्रभाव से अवश्य इस दिशा में सफल होंगे।

मान्यवर, चूंकि समय बहुत कम है, इसलिये संक्षेप में ही, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि हम यह निश्चय करें कि हम कौन कौन सी इंडस्ट्री प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में रखते जा रहे हैं। अभी हमें यह लकीर मिली कि हमने १७३ करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर में और २६६ करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर में और १२ करोड़ रुपया कोआपरेटिव सेक्टर में रखने का विचार किया है। मैं चाहूंगा कि इस विषय में हमको यह भी मालूम होना चाहिये कि हम कौन कौन सी इंडस्ट्री, किस किस सेक्टर में रखेंगे? अगर यह मालूम हो सके तो इससे प्रदेश को लाभ पहुंचेगा।

मान्यवर, जब से हमने अपने देश का इकोनामिक लिमिट स्वीकार की है तब से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अपना-अपना स्थान रखते हैं। माननीय झारखंडे राय जी ने प्राइवेट सेक्टर की बात कही है। केरल ने भी बड़ी कोशिश करके अपने यहां हैवी इंडस्ट्री कायम की। किन्तु जो प्लान्ट हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर में लगा वही सुविधा उनको दी गयी। मैं नहीं जानता कि उनका यह तर्क और आक्षेप कहां तक ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को समाजवादी व्यवस्था में प्रोत्साहन देना पड़ेगा, उसको तरक्की के रास्ते पर ले जाना पड़ेगा। मैं यह मानता हूं, श्रीमन्, कि प्राइवेट सेक्टर में जो कारखाने हैं उनकी दशा संतोषजनक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर कारखाने हों और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता न हो तो पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहिये। किन्तु पब्लिक सेक्टर अगर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश न करे तो यह कोई उसके लिये श्रेय की बात नहीं हो सकती। पब्लिक सेक्टर से जो लाभ मिल रहा है वह कोई उत्साह नहीं दे सकता। मैं तो समझता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में काफी भाग अगर प्राइवेट सेक्टर के मुताबिक से पूरा हो सके तो इस देश के लिये और इस प्रदेश के लिये गौरव की बात होगी और उस पर गम्भीरता के साथ हमें विचार करना होगा।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

मेरा एक यह सुझाव है कि जो पब्लिक सेक्टर में कारखाने चलें उनमें एक सर्विस कैडर तैयार करना चाहिये जिन्हे विशेष अनुभव हो इंडस्ट्रीज के कामों का। अगर बिना अनुभव वाले आफिसर्स उन कारखानों को चलाने का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे तो उसमें प्रगति न हो, यह अस्वाभाविक नहीं है। केन्द्र ने भी इस ओर ध्यान दिया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें।

दूसरी बात मैं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में कहूंगा। यद्यपि हम पिछले तीन वर्षों में इसमें बढ़े हैं, लेकिन आज यह निर्विवाद है कि इस पर हमें जितना एम्फेसिस देना चाहिये था और जितनी इसमें प्रगति हो सकती थी उसमें हम अवश्य पीछे हैं। मुझे स्मरण है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक या दो वर्ष पहले इस सदन के बाहर जिक्र करते हुये, कदाचित् यह कहा था कि वे स्माल स्केल इंडस्ट्री के बारे में एक मंत्रालय अलग से खोलने का विचार रखते हैं। कोई भी तरीका हो, लेकिन उस पर एम्फेसिस की आवश्यकता है। जिस गति से आज हम चल रहे हैं उससे कदाचित् हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकेंगे। जब हम देखते हैं इंडस्ट्रीज की लिस्ट तो ऐसा लगता है कि जो पिछले साल हैं उसमें कुछ बढ़ती जाती है लेकिन उसमें जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी नहीं है। मिसाल के लिये बरेली में एक खेल का कारखाना लगा हुआ है, उसमें ४ सालों में दो-तीन हजार रुपये का माल बिक्री में मुनाफा ज्यादा हुआ है। और आदमी कितने प्रशिक्षित हुये, तो ४०, ५० आदमियों की तादाद आती है। इस तरह से आदमियों की संख्या चाहे कुछ बढ़ भी जाय लेकिन जब तक ठोस काम नहीं होगा तब तक इस तरह से काम नहीं चलेगा।

माननीय मंत्री जी ने जो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर लोन्स देने की सुविधा दी है और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमेटी पर उसका दायित्व रखा है उससे बहुत लाभ हुआ, लेकिन अब समय आ गया है कि जब टेक्नीकल एजूकेशन काटेज इंडस्ट्रीज के लिये देने की सुविधा भी दे। कामर्शल इंटेलीजेंस सेक्शन आप का हो, उस को आप सफल और सक्रिय बनावे जिससे उन लोगों को कुछ प्रोत्साहन दें जो इस काम में लगे हुये हैं। उनके पास अनुभव हो और साधन हो। इसमें कामर्शल इंटेलीजेंस सेक्शन के लिये दिया हुआ है कि एक साल में २०० एन्क्वायरीज आयीं। ७ करोड़ के इस प्रदेश में केवल २०० एन्क्वायरीज आवें और उनका जवाब हो जावे, यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं के बराबर है। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर अवश्य ध्यान देने की कृपा करें। इसके साथ आप ने जो टेक्नीकल एजूकेशन के लिये लोन देने की सुविधा दी है इससे बड़ा भला हुआ है। इसलिये इसको जितना बढ़ाया जा सके उतना किया जाय। इसके साथ ही जितना सरल लोन देने की व्यवस्था हो और इसके बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जनता को हो और जितना इसका विकेन्द्रीकरण विभिन्न स्तरों पर हो उतना ही लाभप्रद होगा और उतना इसमें भ्रष्टाचार कम होने की सम्भावना बढ़ सकेगी।

इन शब्दों के साथ में माननीय, प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, आज हम लोग जिन दो अनुदानों पर विवाद करने बैठे हैं वे ७ करोड़ ३४ लाख ५५ हजार ४ सौ रुपये के हैं। हमारा प्रदेश जिसकी आबादी सरकार के नये तखमीने के मुताबिक ७ करोड़ से कुछ ऊपर है, वह खासतौर से कृषि प्रधान प्रदेश है और इसकी जो आबादी है उसका ७४·२ प्रतिशत कृषि के ऊपर आश्रित है। इस लिये यहां पर इंडस्ट्रलाइजेशन और उद्योगीकरण का एक विशेष महत्व है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री, श्री नलिनीरंजन सरकार, ने "Role of Industries in the Economics of New India" में लिखा है कि :—"The role of industry is to create wealth in addition to such wealth as agriculture can provide and thus enrich the whole community and raise the living standards." यानी कृषि के ऊपर जो जनता आश्रित है, उससे जितना कमा सकती है उसके अतिरिक्त

आमदनी के जो साधन पैदा करें वह इन्डस्ट्री का उद्देश्य है, इन्डस्ट्रियलाइजेशन का उद्देश्य है। स्टैन्डर्ड आफ लिविंग के सम्बन्ध में भी उन्होंने जो दो शब्द कोट किये हैं मैं उनका भी उद्धरण देना चाहता हूं :

"An increased standard of living means an increasing consumption of products of industry and services of various kinds, viz. clothing, shelter, books, furniture, radio, telephone, motor-car, travels, etc. and a proportionately lesser consumption of unprocessed agricultural goods."

यानी जो औद्योगिक उत्पादन के सामान हैं उनको हमारी जनता, हमारे आम लोग अधिकाधिक तादाद में इस्तेमाल करने लगें और जो कच्चा माल है कृषि से उत्पादित, उसका उपयोग दैनिक आवश्यकताओं में कम कर दिया जाय, तभी स्टैन्डर्ड आफ लिविंग ऊंचा हो सकता है, यह समझा जाता है। तो इस तराजू पर अगर हम तौलें तो हमारे प्रदेश की जो परिस्थिति है उस तरफ ध्यान देते हुये कुछ थोड़ा विराभास प्रतीत होता है।

आज २०० वर्ष के अंग्रेजी शासन को कोसते-कोसते हम लोगों ने जिस वर्ग के हाथ में अपने देश और प्रदेश की बागडोर दी थी उन्होंने हमें अब तक यही बताया है कि १२ वर्ष का समय थोड़ा है। झारखंडे राय जी का जो भाषण हुआ उससे भी स्पष्ट मालूम पड़ता है कि यह उनकी जानकारी में है और माननीय मुख्य मंत्री की भी जानकारी में होगा कि इसी १२ वर्ष के अन्दर और मुल्कों ने हमारे मुकाबले में कई गुना तरक्की की है। जहां तक स्टील के उत्पादन का प्रश्न है और दूसरे तरह के जो औद्योगीकरण उत्पादन है उसमें आज चीन का औद्योगीकरण हमसे दस गुना प्रगति के ऊपर है। उनके इस उत्पादन को देखते हुये हमें हसद होता है। आखिर क्यों नहीं हमने भी उसी तरह से प्रगति की ? हम अपने देश और प्रदेश की तुलना जब और मुल्कों से करते हैं तो शर्म जैसा महसूस होती है। श्री नलिनीरंजन सरकार ने सन् १९४८-४९ में जो आंकड़े दिये थे उनके आधार पर आज भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, मुमकिन है कहीं दशमलव का फर्क पड़ जाय। उद्योगों पर आश्रितों का प्रतिशत हमारे भारत में उस समय ११ प्रतिशत था और कृषि पर आश्रित ७० फीसदी, यह सारे भारतवर्ष का औसत हमारे यहां का है। इसके मुकबाले में फ्रान्स में केवल २५ फीसदी वहां की आबादी खाद्योत्पादन में लगी हुई है और बाकी लोगों का भार वहां के उद्योग पर है और फ्रान्स अपने खाने का सारा सामान स्वयं पैदा करता है और हमारे भारतवर्ष को हर वर्ष कितने कितने परिमाण में बाहर से अन्न मंगवाना पड़ता है, यह सभी के समक्ष साबित है। ब्रिटेन में ६० प्रतिशत से अधिक लोग उद्योगों पर आश्रित हैं और अमरीका में भी ६० प्रतिशत से अधिक लोग उद्योगों पर आश्रित हैं और १५ प्रतिशत से कम लोग कृषि पर आश्रित हैं। जापान में ५० प्रतिशत लोग उद्योगों पर आश्रित हैं और ४० प्रतिशत से कम लोग कृषि पर आश्रित हैं जब कि उत्तर प्रदेश में ८.४ प्रतिशत उद्योगों पर आश्रित हैं और ७४.२ प्रतिशत कृषि पर आश्रित हैं। इसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश के कुछ और पिछड़े हुये हिस्सों की बात करें और कानपुर, बनारस इस तरह के जो इन्डस्ट्रियल सेन्टर्स हैं उनको निकाल दें तो यह संख्या और भी भयंकर और भीषण हो जायगी। देवरिया, बस्ती और गोरखपुर में कृषि पर आश्रित लोगों की क्रमशः संख्या ८७.४६, ८४.२ और ७७.९९ है। जहां पर लोग अधिकतर कृषि के ऊपर आश्रित हैं वहीं पर ज्यादा भुखमरी है इसलिये उस तरफ हमें अच्छी तरह से गौर करना है।

आज ही सुबह के अखबारों में हम लोगों ने एक प्रेस नोट भी देखा है और जो पुस्तिका बटी है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि उद्योगों के सम्बन्ध में तृतीय योजना के लिये मस्विदा बनाने के लिये एक समिति बैठी थी माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में। उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई लेकिन उसकी प्रतिलिपि हम लोगों को नहीं मिली है। अच्छा होता यदि माननीय उद्योग मन्त्री जी उस रिपोर्ट को सदन के सामने रख कर उस पर विचार करने का मौका देते, लेकिन यह नहीं हो सका है। उसके आंकड़े अखबारों में दिये गये हैं। उनके आधार पर मैं कहता हूं कि पब्लिक

[श्री मदन पांडेय]

सेक्टर में केवल १७३ करोड़ रुपया जब कि कुल योजना के ४५१ करोड़ रुपये में रखा जा रहा है। यह तृतीय योजना के मस्विदे में अपने सूबे के लिये बात है। १२ करोड़ कोआपरेटिव में और २६६ करोड़ प्राइवेट सेक्टर में। सन् १९४८ में ६ अप्रैल को इंडस्ट्रियल पालिसी का रिजोल्यूशन पार्लियामेंट के सामने रखा गया था और उसके आधार पर हमारे मुल्क की औद्योगिक प्रगति का खाका देश के सामने रखा गया था। उस समय से आज तक बार-बार औद्योगिक पालिसी के सम्बन्ध में गण्य-मान्य नेताओं ने, चाहे सेन्टर के हों या यहां के हों, जो वेवरिन्ग पालिसी दिखाई है उसका परिणाम यह हुआ है कि अस्थायी पालिसी के कारण न तो प्राइवेट कैपीटल, जो शाई हो चुकी है, सामने आई है और पब्लिक सेक्टर में भी जो उन्नति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है। यह सरकार पब्लिक सेक्टर को बहुत कम महत्व देती है और इससे सरकार का सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करने का दावा खोखला हो जाता है। मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, जब उसकी यह हालत है तो मेरे और बहुगुणा जी जैसे लोग जिन कमेटियों में रहते हों वहां क्या होता होगा, इसका अन्दाजा आसानी से लग सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर के लिये स्पष्ट बताया जाय और जैसा ६ अप्रैल, सन् १९४८ को पार्लियामेंट में प्रस्ताव था उसी तरह से हमारी असेम्बली में भी कोई औद्योगिक प्रस्ताव लाया जाय और बताया जाय कि ५, १० वर्ष तक क्या नीति होगी और उसके लिये सारे सदन को कान्फीडेंस में लिया जाय।

औद्योगिक नीति जो अभी तक रही है उसे भी हम देखें। कई भाइयों ने बनारस और कानपुर का जिक्र किया। न मैं बायस्ड हूं बनारस से, न मैं बायस्ड हूं कानपुर से। जिस उद्योग के लिये जहां सुविधा हो वहां चलाया जाय। लेकिन यदि पक्षपात किया गया तो जरूर एतराज होगा। नेशनल काउन्सिल आफ एपलाइड इकनामिक रिसर्च कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, बस्ती जिले के ६० गांवों का रैंडम सैम्पलिंग करके, कि राज्य का कुछ हिस्सा अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। बस्ती जिले के लिये उन्होंने स्पष्ट लिखा है। इसी तरह से पर्वतीय और बुन्देलखंड के जिले हैं। अगर इन सबके बारे में कोई जोरदार औद्योगीकरण की नीति न अपनाई गई तो प्रदेश के दुर्बल अंग सारे प्रदेश व देश की कमजोरी का कारण बन जायेंगे। डाक्टर लोकनाथ के, जो उस रिपोर्ट के रचियता हैं, एक खास सुझाव की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि: "The area should be designated as depressed area so that it may be given special assistance for industrial development."

नोमानी साहब ने भी मऊ में खुलने वाले कारखाने के लिये बोलते हुए कहा है कि हम रेशम बनाते हैं लेकिन अगर सूत का कारखाना नहीं खोला गया तो कोई रोजगार वहां नहीं मिलेगा। औद्योगीकरण के लिये जहां रेलवे नहीं हैं वहां रेल होनी चाहिये और छोटी लाइन को बड़ी लाइन से संबंधित किया जाय। हमारे कृषि-प्रधान देश में औद्योगीकरण भी कृषि से संबंधित होना चाहिये। जैसा झारखंडे राय जी ने कहा, हमारे यहां चीनी की मिलें हैं जो बहुत हैं। लेकिन अभी भी लगभग ५ करोड़ मन गुड़ हमारे यहां बनता है और लगभग १५ लाख आदमी इसमें तथा लगभग ३ लाख आदमी प्रति वर्ष खांडसारी के उद्योग में रोजगार पाते हैं। लेकिन सरकार इन दोनों उद्योगों का गला घोंट रही है। भगवान ने सद्बुद्धि दी कि अभी थोड़े दिन हुये एक विधेयक में विरोधी दलों के एक संशोधन आया और सदन ने उसे मान लिया। सरकार ने सेल्स टैक्स खांडसारी पर लगाया, जो उचित नहीं था। ८ लाख आदमी कर्घा उद्योग में हैं। अभी हाल में एक सवाल मैंने किया था स्वशासन विभाग से संबंधित। हमारे गोरखपुर में जो कर्घा का माल लाये उस पर चुंगी लगा दी गई है जिसके कारण तमाम व्यापार में हानि हो रही है। यह इसी सरकार के राज्य के युग में हो रहा है।

इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज के बारे में मुझे पूरे सूबे का तो ज्ञान नहीं है लेकिन अपने जिले का हाल मालूम है कि इंडस्ट्रीज अफसर के बारे में कई बार माननीय सदस्यों ने मंत्री जी को बताया होगा। हम तो इसलिये नहीं कहते हैं कि हमारी बातें विरोधी दलवालों की बातें समझी जाती

हैं। इंडस्ट्रियल अफसर ने अपनी साठ-गांठ से बनाई कोआपरेटिव सोसाइटीज को कर्जा दिलाया है। साहेबगंज का .ापरेटिव की यही पोजीशन है। आमतौर से मीटिंग ऐसे समय बुलाई जाती है जबकि विधान सभा का अधिवेशन हो रहा हो ताकि हम लोग उनमें न जा सकें। इसी प्रकार गवर्नमेंट आफ यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट का नाम यहां पर आया। जिन स्पेशल मैनेजर साहेब के .ाथ में माननीय बहुगुणा जी को मैंने कई केसेज दिये .ह ि द्ध हुआ कि उनकी नेग्लीजेन्स के कारण गबन हुआ है, मैंने सुना है कि अब वह डिप्टी डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज हो कर जा रहे हैं। सरकार की यह नीति हमारी इंडस्ट्री को कहां ले जावेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--मैं अनुदान का समर्थन करते हुये अपने सुझाव देना चाहती हूं :

बापू ने कहा है : "I recognize no God except the God that is to be found in the hearts of dumb millions and I worship God, that is, the truth—through the service of these millions."

इ का अर्थ यह है कि मैं केवल उसी परमात्मा को मानता हूं जो करोड़ों बेजबान गरीबों के दिल में निवास करता है, और मैं अपने उस परमात्मा-सत्य की इन्हीं करोड़ों की सेवा द्वारा आराधना करता हूं। इस आदर्श को सामने रख कर मैंने इस बजट को देखा। मेरी नजर में यह ऐसा विभाग है जो दूसरे विभागों की अपेक्षा करोड़ों लोगों की अधिक सेवा कर सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है लेकिन उसमें जमीन की कमी है। जितनी जमीन है भी उसका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। पर्याप्त सिंचाई के साधन नहीं है। ऐसी हालत में उद्योग ही इस देश और प्रदेश का प्राण हो सकता है। किसान जो आधा पेट रह कर गुजर करते हैं और खेतिहर मजदूर को उद्योग से ही रोजी मिल सकती है।

हमारी सरकार ने इधर कुछ ध्यान भी दिया है। चर्खा और खादी के उद्योग को प्रोत्साहन भी दिया है तथा दूसरे और कारबार भी खोलने का प्रयत्न किया है। परन्तु अधिकतर ध्यान ऐसे बड़े कारखानों और धन्धों के लिये सहायक नहीं वरन् हानिकारक है। मैं एक विशेष चीज की ओर सरकार और सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं। वह यह है कि जो उद्योग देश के लोग खाली समय में कर सकते हैं उन पर किसी भी प्रकार से फैक्टरियों द्वारा कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

गुड़ और खांडसारी को ले लीजिये। इसको किसान लोग नवम्बर से मार्च तक बनाते हैं जिस वक्त कि उनके पास खेती का अधिक काम नहीं होता है। इस प्रकार से वे खाली समय का उपयोग करते हैं। लेकिन हम केवल यह ध्यान रख कर कि चीनी का प्रोडक्शन बढ़े, मिल लगाते हैं, उसके लिये फिर एरिया रिजर्व करते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि इससे कितने आधे पेट .ले लोगों की रोजी चली जायगी। इसलिये जहां चीनी जैसे नये उद्योग या फैक्टरीज खोली जायं वहां इस प्रकार का सर्वे कराना चाहिये जिससे हमको यह मालूम हो जाय कि हमारे इस कदम का क्या प्रभाव पड़ने वाला है।

इसी प्रकार से खादी भी खाली समय में बनायी जाती है। मैदान में गर्मी के दिनों में और पहाड़ों में जाड़ों के दिनों खाली समय में इसको बनाया जा सकते हैं। किसान उसकी बीबी और बच्चे मिल कर उसको बना सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं को वे पूरा कर सकते हैं। यह मैं निजी अनुभव से कहती हूं। मैं तो सूती और चीनी मिलों की आवश्यकता ही नहीं समझती, लेकिन अगर उनकी आवश्यकता हो भी तो मेरे खयाल से उनको प्रोत्साहन देने की नीति, मैं उचित नहीं समझती। इससे हमारी समस्यायें बजाय घटने के बढ़ती ही जायेंगी। गरीब और

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

गरीब तथा अमीर और अमीर होता चला जायगा। इसलिये आपका ध्यान खादी और विलेज इन्डस्ट्री की ओर अधिक जाना चाहिये। इस ओर जो हमारे अनुभवी नेताओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसकी मैं सराहना नहीं कर सकती। हमारा दिल तो कहता है कि सेल्फ सफीशिएंसी हो, विकेन्द्रीयकरण हो और चाहते हैं कि ये बातें आयें। लेकिन देखिये, होता क्या है? बात तो करते हैं विकेन्द्रीयकरण की लेकिन जाते हैं केन्द्रीयकरण की तरफ।

ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि एक ऐसी कमेटी स्थापित की जाय जो यह अन्दाजा लगा सके कि कितने वर्षों में यह खादी उद्योग बोर्ड इस क्षेत्र को सेल्फ सफिशिएंट बना सकेगा और खुद केवल (Supervising and guiding body) रह जायेगा। आज होता यह है कि रूई कहीं पर तैयार होती है, बिनौला उसका कहीं निकाला जाता है और दूर पड़े खादी उत्पादन केन्द्रों में यह रूई ले जाकर उसकी धुनाई, कताई और बुनाई होकर भिन्न-भिन्न खादी भंडारों में भेज कर बिक्री होती है जिससे १ १/२ रुपये सेर की रूई की कीमत ५ रुपया सेर तक पहुंच जाती है और ८ आने गज का कपड़ा १ १/२ रुपया गज हो जाता है।

जहां पर कपास पैदा होती है वहीं पर रूई ओटने, कातने का प्रबन्ध होना चाहिये। तभी खादी सस्ती हो सकती। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे माननीय सदस्य जो जनता के सामने अपने को नेता रूप में रखते हैं अपने-अपने घरों में इस तरह के उदाहरण पेश करें तो खादी के प्रति जो लोगों की उदासीनता है वह भी दूर हो जायगी। खादी का काम ऐसे स्त्री, पुरुष ही करते हैं जिनको कहीं काम नहीं मिलता। तो अनइम्पलायमेंट दूर करने के लिहाज से भी इसको समझ कर अपने घरों के अन्दर इसका प्रयोग किया जाय तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि वे अपने घरों के अन्दर इस तरह का चिराग जलावें जिसकी रोशनी को देख कर गरीब लोग भी रोशनी का चिराग जला सकें।

इसके साथ ही मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वह निजी रूप में सरकारी कार्य के लिये जो कपड़े की खरीदारी करती है वह उसके लिये चर्खे कातते हुये सूत तथा हाथ के बुने हुये कपड़े का ही प्रयोग करे। वह कपड़ा महंगा तो अवश्य ही पड़ेगा लेकिन अनइम्पलायमेंट दूर करने के लिहाज से ही तथा यह समझ कर कि इसमें लगा हुआ पैसा दरिद्र से दरिद्र के पास जायेगा, वह खादी का कपड़ा ही खरीदे। कल्याण राज्य बेरोजगार को allowance भी तो देती है, इस नुकसान को समझ लिया जाय। जहां तक हैण्डलूम का सम्बन्ध है, उससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। यह सही है कि हैण्डलूम भी लोगों को काम देता है और देगा, लेकिन इसमें सरकार की दोहरी नीति नहीं होनी चाहिये। एक नीति होनी चाहिये। जहां तक प्रोडक्शन की बात है आप उसको प्रोत्साहन दें। हैण्डलूम बिक्री में सरकार को इतना जोश नहीं दिखाना चाहिये। इस चीज को मैं जरूर कहूंगी कि हैण्डलूम को दूसरा दर्जा दिया जाय।

साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि विभाग के डाइरेक्टर आदि के लिये ऊपर से कोई quotas और permits के लिये private रिकमेंडेशन नहीं होनी चाहिये, क्योंकि जब ऊपर की बातों से कोई रिकमेंडेशन आता है तो विभाग में हुक्म का दर्जा रखता है। मैं यह नहीं कहती हूं कि अगर कोई शिकायत हो तो उसे न सुनिये। अपील या शिकायत जो कुछ हो, उसे सुनिये और उन पर जो कार्यवाही हो, कीजिये लेकिन रोजाना काम में कम से कम दखल होना चाहिये।

स्कालरशिप्स व शिक्षा लोन की बात है, शिक्षा लोन की रकम एक हजार लेने के लिये ग्रान्ट होने पर उसके लिये १५ रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ता है और १,००० रुपये का लाइफ इन्श्योरेंस कराना होता है। इस तरह से जो उसकी स्प्रिट है कि उससे गरीब को लाभ पहुंचे वह खत्म हो जाती है, वह बेचारे दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाते। छः-अः महीने लाइफ इन्श्योरेंस में लग जाते हैं और मार्च आ जाता है, समय खत्म होने लग जाता है। किसी को मिल पाता है और

कोई रह जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि केवल सीक्योरिटीज पर ही यह कर्ज दे दिया जाय ताकि गरीब तक वह सहायता पहुंच सके।

मैंने नैनी, इलाहाबाद के विषय में ३ साल से बराबर भाषण दिया कि वहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज खुल रही है, वहां पर पानी की बड़ी तकलीफ है और केवल एक ही ट्यूबवेल वहां पर है। गर्मी और लू के जमाने में पानी की तकलीफ की वजह से १५-१५ और २०-२० दिन तक काम बन्द करना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि जब वहां करोड़ों रूपया खर्च हो रहा है तो वहां एक और ट्यूबवेल का अवश्य ही प्रबन्ध किया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने लिखा भी, क्वेश्चन भी किये लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे उद्योगों के बारे में बता दूं, नैनी ही के बारे में है। छोटे-छोटे उद्योगों के लिये लोहे की सप्लाई का प्रबन्ध वहीं होना चाहिये।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं अपने उद्योग मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस पुस्तक में जैसा दिया हुआ है उन्होंने प्रदेश में उद्योग के लिये काफी प्रयत्न किया है। जो बजट इस अनुदान के संबंध में प्रस्तुत किया गया है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं आपके द्वारा श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उद्योग और विकास में लगे हुए लोगों को जो वह रोजी देने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों की जो नीति है वह निन्दनीय है। जो आज सहकारी समितियां बनी हैं उन से यह मालूम होता है कि कुछ जिलों में जैसे इटावा, आगरा अलीगढ़ और हाथरस वगैरह में इन बुनकर सोसाइटियों पर बुनकरों का कब्जा न होकर गैर-बुनकरों का कब्जा है और इसका कारण यह है कि इस पर वहां के अधिकारीगण ध्यान नहीं देते। वह ऐसे लोग हैं कि न तो उन के यहां बुनकरी का पेशा ही होता है और न वह बुनकरों की जाति के ही हैं, उन पर बड़े-बड़े महाजनों और मालदारों का कब्जा है। जो सहायता सरकार बुनकरों को देती है वह उससे वंचित रह जाते हैं। हमारे यहां इटावा में कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं कि जिनके अधिकारी बोर्ड के मेम्बरों से मिले रहते हैं और उनको सोसाइटियों को अधिक सहायता मिल जाती है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी सोसाइटियां भी हैं कि जो दस पंद्रह साल से काम कर रही हैं लेकिन उनको सहायता नहीं मिलती, वह सूखी पड़ी हैं। इसी तरह से आगरा जिले की बात है क्योंकि मुझे हाथ करघा बुनकर समिति का मेम्बर होने के नाते अनुभव है कि आगरा और अलीगढ़ में भी यही नीति बरती जाती है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह नीति बहुत गलत है और इस तरह से जो सहायता दी जाती है वह बुनकरों तक नहीं पहुंचती, कृपा कर वह ऐसा कदम उठायें कि जिस से यह सहायता बुनकरों तक पहुंचे। रिबेट दिया जाता है उसमें उनके द्वारा जो हैन्डलूम बोर्ड के मेम्बर होते हैं उसमें कौन लोग हैं? बड़े-बड़े आदमी हैं जो मोटर पर चलने वाले हैं, जो जमींदार हैं। उनके द्वारा वह तय किया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि उसमें कितने बुनकर रहते हैं? जब उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहता तो उससे पूरा लाभ मिलने की आशा नहीं रहती। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो बोर्ड बने उसमें बुनकर अधिक संख्या में रखे जायं और जो सोसाइटी के कार्यकर्त्ता होते हैं, सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर वगैरह रखे जाते हैं, वह बुनकरों में से होने चाहिये ताकि जो बुनकरों की दिक्कत होती है उसकी बाबत बोर्ड को या सरकार को वह बता सकें।

यह मानी हुई बात है कि अंग्रेज जब यहां आये तो उन्होंने हमारे उद्योगों को नष्ट कर दिया। हमारे करघे खूंटी पर रखे गये जब कि उन्होंने १० पैसे गज कपड़ा बेचना शुरू किया। लेकिन हमने अपने काम को नहीं छोड़ा और उन्हें निकालने का भरसक प्रयत्न किया और निकाला। लेकिन बावजूद इसके आज जो सहायता हमें मिलनी चाहिये थी वह नहीं

[श्री सुखरामदास]

मिलती है। उन शहरों में इसका प्रचार होता है जहां बुनकर कम होते हैं। बुनकर अधिक देहातों में है। इस प्रदेश में दो जातियां उनकी हैं। एक जुलाहे अंसारी और दूसरे कोरी। पश्चिमी जिलों में दो-दो, चार-चार कर्घे हैं और पूर्वी जिलों में अंसारी के घरों में काफी कर्घे लगे हैं। फैजाबाद, टांडा और मुबारकपुर ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे कारीगर पाये जायेंगे। उनका माल आसाम और कलकत्ता आदि बड़े-बड़े शहरों में जाता है। लेकिन सूत की महंगाई के कारण वहां के कर्घे बन्द भी हो जाते हैं।

सरकार यह भी करने जा रही है कि पावरलूम दिये जायं। मैं उसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन हमारी नीति है कि पूंजीवाद को खत्म करना चाहिये। मशीन और मिल द्वारा वह धन इकट्ठा करते हैं, हमारे ज्यादा से ज्यादा १० परसेंट या २५ परसेंट मजदूर काम पाते हैं। हमारे जो मजदूर रहते हैं उनको रोजी देनी होगी। कर्घों की जगह मशीनें लेती हैं तो वह छोटे-छोटे उद्योग बन्द हो जायेंगे और हमारे मजदूर बेकार हो जायेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो पावरलूम लगाये जायं वह कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा लगाये जायं, व्यक्तिगत न दिये जायं क्योंकि पावरलूम से जो माल तैयार होता है वह, अधिक माल तैयार होने के कारण, सस्ते दामों पर बिकता है। जो थोड़ा-थोड़ा तैयार होता है वह महंगा पड़ता है। उनका माल बिकने में दिक्कत होती है। इसलिये मशीन को प्रोत्साहन न देकर हैण्डलूम को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय।

अब मैं अपने जिले की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे फैजाबाद जिले में कई वर्ष पहले कागज बनता था वहां वह उद्योग बन्द हो गया। हमारे जिले में बुनकर बहुत हैं जिनके कर्घों पर पानी चूता है, उनके घर अच्छी हालत में नहीं हैं। जिस तरह और जिलों में बुनकरों की बस्तियों के लिये ऋण और अनुदान दिया जाता है उसी प्रकार से फैजाबाद जिले में भी बुनकरों के लिये बस्ती बनायी जाय, उनके घरों के लिये सहायता दी जाय।

एक बात और कहनी है। आज देश को समृद्धिशाली बनाने के लिये दो रास्ते हैं। पहला खेती और दूसरा उद्योग। खेती की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन उद्योगों की तरफ भी सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। गांवों में जो मशीन से तेल निकाला जाता है और आटा पीसा जाता है, इससे उद्योग धंधे कम होते जा रहे हैं। तो ग्रामों में छोटे-छोटी इकाइयों को छोटे-छोटे उद्योग-धंधे लगाने के लिये सहायता देने का प्रयास होना चाहिये। जो पुस्तक मिली है इससे मालूम होता है बहुत से जिलों में उद्योग धंधों की तरफ सरकार प्रयास कर रही है लेकिन फैजाबाद जिले की तरफ ध्यान नहीं जाता है। मैं चाहूंगा उस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि जो सोसाइटीज बनें उनमें बुनकर रखे जायं और जो बोर्ड सरकार की तरफ से बना है उसमें भी बुनकर रखे जायें और दूसरे लोग न रखे जायं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अधिष्ठाता महोदय, इससे पहले कि मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो "उद्योगों का विकास" नामक पुस्तक छपी है उसमें पारसाल से तरक्की हुई है इस माने में कि पारसाल ३११ पृष्ठ की रिपोर्ट थी, उसका कागज भी बहुत अच्छा था, इन दोनों में सुधार हुआ है, यानी पृष्ठ भी कम हैं और कागज भी उतना अच्छा नहीं लगा। तीसरे, इस किताब से काफ़ी सूचना मिलती है, जैसे यह मालूम हुआ कि हमारी स्टेट का औद्योगीकरण १५ साल में हो सकेगा। १२ साल तो बीत चुके, अब आगे के १५ साल और देखने हैं।

उद्योगों का विकास दो प्रकार से होता है। एक तो जो उद्योग पहले से रहते हैं उनको बढ़ाना चाहिये और दूसरे नये उद्योग खोलने पड़ते हैं। लेकिन जब पंचवर्षीय योजनायें बनती हैं तो प्रदेशीय सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहता। इंडस्ट्रीज के लिये सारा पया केन्द्र से मिलता है। सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के प्रथम चरण में कहा गया था कि

इंडस्ट्रीज को प्रायरिटी दी जायगी, लेकिन जब देश के प्रधान मंत्री को पता चला कि देश की तरक्की खेती पर ही निर्भर करती है तो खेती को प्रायरिटी दी गई। तो इस तरह से कन्फ्यूजिंग पालिसी बनायी जाती है। दिमाग में एक चीज का साफ नक्शा नहीं रहता, यह मेरा बहुत बड़ा चार्ज कांग्रेस सरकार पर है।

कोई भी इंडस्ट्री फायनेंस के बिना नहीं चलती। मैं आपके सामने "फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी" की रिपोर्ट में से कुछ उद्धरण पेश करना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जायगा कि हमारे यहां प्रोडक्टिव कैपिटल सब से कम लगाया गया।

"From a study of Census of Manufacturers, we find, that among all the States, the rate of increase in the employment of productive capital has been the lowest in U. P. as indicated by the following figures."

उदाहरण के लिये बम्बई में ५१ फीसदी, पश्चिमी बंगाल में ५३ फीसदी, बिहार और मद्रास में ५२ फीसदी और उत्तर प्रदेश में २१ फीसदी। तो मेरी समझ में नहीं आता, ट्रेजरी बेंचेज वाले जो छाती फुला कर कह रहे हैं कि हमारे यहां प्रोडक्टिव कैपिटल लगा है, कारखाने बढ़ रहे हैं, किस आधार पर कहते हैं? मैं यह नहीं कहता कि कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत जरूर हो रहा है।

हमारे प्रदेश की जो ऐग्रिकल्चरल इकोनामी पहले थी वह दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। इस प्रदेश के आर्थिक ढांचे को ठीक करना है। इंडस्ट्रीज हमारे लिये जीवन और मरण का प्रश्न है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। हमारी पालिसी में कुछ खामियां हैं। सरकार आज जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को कर्जा दे रही है उस नीति को बदलना चाहिये। उनको सीधे कर्जा न देकर फाइनेंस कारपोरेशन, रिजर्व बैंक या लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के जरिये कर्जा देना चाहिये और सरकार छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को कर्जा दे। जो काटेज इंडस्ट्रीज हैं उनके लिये भी ब्याज की वही दर रहती है और बड़े-बड़े पूंजीपतियों को जो कर्जा दिया जाता है तो ब्याज की दर वही रहती है। मेरा सुझाव है कि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनसे नामिनल इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिये। जो प्लानिंग कमीशन की सेकेंड फाइव ईयर प्लान पर Village and Small-scale industries Committee है उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि देहातों की जिन्दगी को दुरुस्त करने की जरूरत है। वहां उद्योग धन्धों की जरूरत है जो बिजली के बिना नहीं चलते। इस कमेटी का सुझाव है कि आज भी देहात के लिये कोई खास रियायत नहीं की जाती है। मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं "While some reservation....

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--हिन्दी में पढ़िये।

श्री प्रतापसिंह--यह कोटेशन है। जरा शान्ति से आप सुनिये।

"While some reservation of energy for rural uses is being planned and some concessional rates given, there is as yet no revision of the whole policy of the generation, distribution and sale of electrical energy in conformity with the accepted policy of decentralization."

तो मान्यवर, इस कमेटी का मत है कि थोड़ा-सा कोटा रिजर्व जरूर रखा जा रहा है, लेकिन किस तरह से बांटा जायेगा, क्या रेट होंगे यह विलेज इंडस्ट्री के लिये कुछ नहीं कहा गया।

दूसरी चीज यह कहनी है कि अर्जियों के आधार पर कर्जा दिया जाता है। तो किस इंडस्ट्री का कितना स्कोर है और किस क्षेत्र में है, इसका इंडस्ट्रियल सर्वे होना चाहिये। हर जिले में उस इंडस्ट्रियल सर्वे के आधार पर छोटी-छोटी कमेटीज बनें और कमेटी की सिफारिश पर कर्जा देना चाहिये कि अमुक क्षेत्र में फलां कारखाना चल सकता है।

[श्री प्रतापसिंह]

लेकिन होता यह है कि जो ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं उनको ज्यादा कर्जा मिलता है। होना यह चाहिये कि जहां पर जिस इंडस्ट्री का ज्यादा स्कोप है उसको ज्यादा कर्जा देना चाहिये।

दूसरे, श्रीमन्, एक काटेज इंडस्ट्रीज के आधार पर लोसा मूल्यांकन समिति बनी और आज कांग्रेस गवर्नमेंट यह कहती है कि कोआपरेटिवस के जरिये से लोसा उद्योग चलाने वालों को दिया जाय। लेकिन हमारा कहना यह है कि बरेली फैक्टरी में जहां दूसरी मशीन लगने वाली है उसको मिलना चाहिये। लोसा, रा मेटीरियल तथा काटेज इंडस्ट्रीज पर जो किताब है वह कहती है कि बरेली फैक्टरी की तरह और इंडस्ट्रीज खुलना चाहिये। कुमायूं जिसे कि हमारी प्रदेशीय सरकार सीमा प्रदेश घोषित कर चुकी है वहां की एकोनामी खत्म होती जा रही है। क्या सरकार बुन्देलखंड, पूर्वी जिलों तथा पर्वतीय प्रदेश के लिये सस्ते अनाज की दूकानें खोल कर इन क्षेत्रों को सेल्फ सफिशियेंट बना सकती है? अगर सेल्फ सफिशियेंट बनाना है तो इन क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज को प्रथमिकता देना चाहिये और मेरा सुझाव है कि इन तीनों क्षेत्रों के लिये क्या-क्या इंडस्ट्रीज होना चाहिये इसके लिये एक अलग से करेक्टो बनाना चाहिये। जैसे पर्वतीय इलाके की बात मैं जानता हूं कि वहां लोसा इंडस्ट्री है, उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसी तरह से सहारनपुर की फैक्टरी है। वहां के सम्बन्ध में सवालात भी आये हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बैठी। लकड़ी का ठेका दिया गया। तमाम जंगल काटे जा रहे हैं। कोई समझौता १९५६ के बाद नहीं हुआ। लकड़ी कट-कट कर सहारनपुर जा रही है पेपर इंडस्ट्री के लिये। क्या सहारनपुर में पेपर इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, यह मैं पूछना चाहता हूं? नहीं हो रही है तो इस तरह से क्यों दिया जाता है?

दूसरे आज पर्वतीय इलाके की एकोनामी तिब्बत के साथ व्यापार खत्म हो जाने से बिल्कुल खराब हो गयी है। वहां की मांग है कि ऊन इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी जाय। लेकिन उसके लिये जितना होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है।

दूसरी बात मुझे स्पोर्ट्स-कम-प्रोडक्शन सेन्टर्स के बारे में कहनी है। इंडस्ट्रीज विभाग की तरफ से ऐसे बहुत से सेन्टर्स खोले गये हैं। केवल १५ या २५ रुपये वजीफा देकर उनमें विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग पाने के बाद वे विद्यार्थी कहां जाते हैं? कोई श्रीमान के घर चौका करता है, कोई हल जोतता है, कोई कुछ करता है। तो जिन स्पोर्ट्स-कम-प्रोडक्शन सेन्टर्स और विद्यार्थियों पर प्रदेशीय सरकार का पैसा खर्च होता है उनका यह हाल है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं ट्रेनिंग पाये हुये विद्यार्थियों की एक कोआपरेटिव बननी चाहिये।

इसके बाद मैं खादी इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके बारे में सी० पी० इंडस्ट्रियल सर्वे रिपोर्ट में कहा है:

"An industry in which raw materials are available in enormous quantities and which has an internal market and which has all necessary means of production should be taken up by the Government seriously."

मैं जानता हूं कि सभी को यह इच्छा है कि खादी इंडस्ट्री बढ़े लेकिन आज देहातों में इसका पता भी नहीं है। क्या नैनीताल और लखनऊ का ही ठेका है? क्या एम० एल० एज० और एम० पीज० ही खादी पहन सकते हैं, देहाती नहीं? देहात का किसान भी खादी पहन सकता है।

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे और समय दिया। मैं माननीय बहुगुणा जी का भी आभारी हूं कि वह किछा में कोआपरेटिव बेसिस पर एक मिल खोलने जा रहे हैं। उसकी इमारत बन गयी है। मैं चाहूंगा कि वे कृपया हमें बतायें कि उनको इस मिल के चलाने में क्या दिक्कत है? इसी प्रकार मझोला फैक्टरी भी जिसकी ओर माननीय उद्योग मंत्री जी का विशेष ध्यान है, मैं चाहूंगा कि वह जल्द से जल्द चलायी जाय।

एक मेरा सुझाव और है कि सरकार दिलासा दिलाने के पहले सर्वे के आधार पर बताये कि हम यह करने जा रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को कर्जा दे देते हैं और हमको पता नहीं चलता है। इसलिये मेरी मांग है कि भविष्य में जो भी कर्जे दिये जायं तो हाउस को कान्फीडेन्स में लिया जाय।

अन्त में, मैं सीमा के इलाके की ओर फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं, जहां की एकोनामी इंडस्ट्री पर ही आधारित है और खेती की पैदावार वहां नाम-मात्र को ही होती है, उस इलाके को प्रायमिकता दी जाय और इसलिये भी इसकी आवश्यकता है क्योंकि हमारे चीन के साथ सम्बन्ध खराब हो रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं फिर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इन बड़े-बड़े उद्योगपतियों को खुद कर्जा न देकर कारपोरेशन आदि के जरिये से दिलायेगी और छोटे-छोटे उद्योगों के लिये खुद कर्जा देगी।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुये, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने उन पिछड़े जिलों की ओर दिलाऊंगा जिनकी जनसंख्या इस प्रदेश में एक हिस्सा रखती है। मैं खासतौर से गोरखपुर कमिश्नरी के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मैंने अपने बहुत से साथियों के भाषणों को सुना पर उनको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हर एक सदस्य की भावना उन क्षेत्रों की ओर है जो बहुत ही पिछड़े हुये हैं। आज हमारे पूर्वी जिलों और पहाड़ी जिलों की दशा किसी से भी छिपी नहीं है। हमने सोचा कि शायद हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान हमारी पिछड़ी हुयी कमिश्नरी गोरखपुर की ओर भी अवश्य जायगा? लेकिन हमने देखा कि इसकी ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं के बराबर है। श्रीमन्, हमें आशा थी कि जब हमारे यहां इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेगी तो उसमें हमारा हिस्सा भी अवश्य होगा, हमारे पिछड़े हुये कमिश्नरी गोरखपुर को भी अवसर मिलेगा। लेकिन श्रीमन्, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाऊंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि गोरखपुर की दशा बेकारी से भरी हुई है और वहां गरीबी का नंगा नाच है। वहां श्रीमन्, कोई इंडस्ट्री नहीं है और कमिश्नरियां लदी हुई हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमें आशा ही नहीं परन्तु पूर्ण विश्वास था कि हमारे गोरखपुर कमिश्नरी को भी उसमें हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसकी ओर सरकार का जरा भी ध्यान नहीं गया है। मुझे आशा थी कि छोटे-मोटे उद्योग धंधों में कुछ मिलेगा लेकिन कुछ नहीं मिला और हमारी आशा निराशा में परणित हो गई।

जहां तक बेकारी का प्रश्न है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरी नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट है कि गोरखपुर कमिश्नरी में बस्ती जिला सब से पिछड़ा हुआ है। यह रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सर्वे करने वालों ने दी है। उससे पता चलता है कि वहां के ९७ फी सदी लोगों की दशा ऐसी है जो मानवता से गिरी हुई है। वहां २६, २७ लाख की आबादी है और इतनी बड़ी आबादी में केवल ३७ मोटर कार हैं। श्रीमन्, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े जिले की क्या दशा है? हम कितना कर देते हैं लेकिन हमारी ओर सरकार किस तरह से ध्यान दे रही है? उससे पता चलता है कि हमारी सरकार के हृदय में मनुष्यों के उत्थान के लिये कितना स्थान है? मैं जब सोचता हूं तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरा जिला इस प्रान्त से एक तरह से कटा हुआ है। मेरा जिला ही नहीं बल्कि गोरखपुर कमिश्नरी कटी हुई है।

श्रीमन्, सरकार ने बेकारी को बढ़ाने के लिये हमारे यहां एक यूनिवर्सिटी और खोल रखी है जिसमें केवल इतिहास, भूगोल और संस्कृत आदि की शिक्षा दी जा रही है। इससे और भी

[श्री धनुषधारी पांडेय]

हमारे यहां बेकारी बढ़ेगी, क्योंकि जो नौजवान वहां से पढ़ कर निकलेंगे वह मांग करेंगे कि हमको रोटी और रोजी दी जाय। लेकिन मैं क्या कह सकता हूं। मुझे तो आशा लगी थी कि मेरी सरकार उद्योगों को लेकर, कृषि को लेकर, इस युनिवर्सिटी को आगे बढ़ायेगी हमें आशा थी कि सरकार कृषि, स्वास्थ्य या इंजीनियरिंग की शिक्षा को इस युनिवर्सिटी में खोल दे। लेकिन इस ओर सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। मैं सरकार का इधर ध्यान दिलाते हुए अपील करता हूं कि गोरखपुर कमिश्नरी की बेकारी को देखते हुए, उसकी दुदर्शा को देखते हुए सरकार हमें एक हैवी इंडस्ट्री दे जिससे हमारी बेकारी दूर हो। केवल कोलरी में भर्ती कराने से काम नहीं चलेगा। इसमें तो भर्ती अंग्रेजों के जमाने में भी होती थी। हमारी जनता को दुख है और यह जनता की सरकार है इसलिये हमारा हक है कि हम सरकार से अपनी मांग करें और हमें आशा है कि सरकार हमारी मांग को पूरी करके हमारे यहां से बेकारी को दूर करेगी। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट आपके सामने है लेकिन हमारी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा है कि बेकारी को दूर करने के लिये कहीं सड़क बनाने की योजना रखी गई है और कहीं छोटे-मोटे अन्य काम रखे गये हैं लेकिन हमारे गरीब जिले बस्ती, गोरखपुर को कोई स्थान नहीं दिया गया है।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे आशा है कि हमारी जो दशा है, पूर्वी जिलों की और जितने पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको देखते हुए हमारी सरकार हमको ऐसा अवसर प्रदान करेगी जिससे हम रोटी रोजी का सवाल हल कर सकें। छोटे-मोटे उद्योगों से हमारे नित्यप्रति के काम हो सकते हैं। जैसे चर्खा चलाना, सुई, बर्तन, दरी, कम्बल, कील और चमड़ा वगैरह के कारखाने हैं। ऐसे उद्योग हमारे यहां खोले जायं। हमारे यहां केवल खादी उद्योग ही स्थान रखे हुए हैं। उससे काम नहीं चल सकता है। मुझे आशा है कि जिस तरह से स्कूलों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है उसी तरह से हर जगह हमारी सरकार छोटे-मोटे उद्योग खोलेगी। खाली कृषि से ही हमारा काम नहीं चल सकता है। आपने प्रांत के बहुत से नागरिकों को जापान, चीन, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका आदि भेजा और वहां से यह भी देख कर आये होंगे कि किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हुए वह पैसा भी कमाते हैं। विदेशों में जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको ऐसे काम दिये जाते हैं जिनसे वे पैसा कमा कर अपनी फीस अदा कर सकते हैं। इसी प्रकार मेरा सुझाव है कि हर स्कूल में आठवीं कक्षा के ऊपर ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ पैसा पैदा कर सकें।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपने हर एक जिले में इंडस्ट्री आफिसर दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है इंडस्ट्री आफिसरों को उतना ज्ञान इंडस्ट्री का नहीं है जितनी उनसे आशा की जा सकती है। एक बात की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे बस्ती जिले में खलीलाबाद में डेवलपमेंट काउन्सिल के चेयरमैन को आपने नामिनेट किया है। मैंने इस सम्बन्ध में आपको एक पत्र भी लिखा कि कौन से लोग चेयरमैन हो सकते हैं। मुझे इसके क्वालिफिकेशन्स के सम्बन्ध में जो डिप्टी सेक्रेटरी इंडस्ट्री का पत्र मिला, उसकी कापी के साथ मैंने आपकी सेवा में पुनः पत्र भेजा। उसके बाद मैंने यह आशा की थी कि जो क्वालिफिकेशन मुझे बतायी गयी, उससे शायद आप सहमत होंगे और उनको आप निकाल देंगे। वह क्षेत्र के बाहर के आदमी हैं लेकिन फिर भी अभी तक काम कर रहे हैं जिस से वहां की जनता में काफी असंतोष है। उस डेवलपमेंट काउन्सिल के चेयरमैन के कारनामों को देखते हुए, उस क्षेत्र के किसी भी आदमी को जिसकी नियमानुसार क्वालिफिकेशन हो, नामजद कर दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। काम ऐसा करें जिससे देश की भलाई हो, जिससे सरकार की शान और मर्यादा की भी रक्षा होती हो। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये, जैसा कि वित्त

मंत्री के भाषण से भी अन्दाज लगता है कि हमारे प्रदेश की आबादी सात करोड़ से भी अधिक हो चुकी है वहां इस बढ़ती हुई आबादी में बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये, लोगों को रोजगार देने के लिये, कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया।

जमीन के भार को कम करने के लिये, खेतिहर लोगों की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये, लोगों को रोजगार देने के लिये आज उद्योगों को बढ़ावा देने की नितान्त आवश्यकता है। औद्योगीकरण ही एकमात्र वह मार्ग है जिसके द्वारा हम इस प्रदेश की भूखी जनता को रोटी देने में सफल हो सकते हैं। लेकिन दुख है कि इस दिशा में कोई विशेष सक्रिय कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं स्वयं कांच तथा चूड़ी के औद्योगिक नगर फीरोजाबाद का प्रतिनिधि हूं। फीरोजाबाद का व्यवसाय वहां घर-घर का व्यवसाय और जन-जन का व्यवसाय, कांच और चूड़ी का व्यवसाय है। मैं तीन वर्ष से उस व्यवसाय के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं लेकिन मुझे दुःख है कि सरकार का कोई भी ध्यान इधर नहीं गया। फीरोजाबाद जिसकी वजह से आज इस प्रदेश का मस्तक ऊंचा है जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में आज चूड़ी बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया है, जिसकी वजह से प्रति वर्ष करोड़ों रुपया विदेशों में जाने से बच गया है तथा लाखों रुपया सरकार को सेल्स टैक्स में प्राप्त होता है, उस उद्योग को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से संचालित करने के लिये उसकी टेक्निकल शिक्षा देने के लिये क्या सरकार ने कभी कोई कदम उठाया है? मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं और मैं बड़े गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि फीरोजाबाद का कांच और चूड़ी का उद्योग धन से नहीं, सरकार की सहायता से नहीं बल्कि वहां के श्रमिकों की बुद्धि और उनके परिश्रम के द्वारा संचालित होता है और जिसके कारण यह उद्योग आज भारत में एकाधिकार-सा किये हुये है। हमारे सामने उद्योगों के विकास का जो विवरण पेश किया गया है, तथा उद्योगों के विकास का जो विवरण दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि फीरोजाबाद प्रतिवर्ष साढ़े तीन करोड़ का कांच का सामान, चूड़ियां आदि तैयार करता है और उद्योग विभाग के दूसरे चार्ट में जो उसके विकास की रूपरेखा दिखाई गई है उसमें दिखाया गया है कि जहां १९५७ में १ करोड़ २५ लाख रुपये की कांच और चूड़ियां तैयार हुई थीं वहां सन् १९५९ में बड़ा विकास हुआ है और १ करोड़ ५० लाख रुपये की तैयार हो गई। मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जरा आप अपने इन आंकड़ों वालों से और विभाग वालों से यह पूछें कि सचमुच इनकी कौन सी बात सही है? क्या फीरोजाबाद में १९५९ में जो कांच और चूड़ी का अधिकतम उत्पादन हुआ है वह १ करोड़ ५० लाख रु० का है या साढ़े तीन करोड़ रु० का? आज १९५१ से लेकर १९५९ तक के औद्योगिक विकास की पत्रिका, जो हम लोगों को मिली है उसे, अगर उठाकर पढ़ा जाय तो आपको मिलेगा कि यहां पर प्रतिवर्ष साढ़े तीन करोड़ की कांच, कांच का सामान और चूड़ी तैयार होती है और ३० हजार मजदूरों को इससे रोजी मिलती है। तो यह जो साढ़े तीन करोड़ से डेढ़ करोड़ पर यह तालिका पहुंच गई है यह किस व्यक्ति और किस विभाग की बुद्धिमानी का फल है, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह कह सकता हूं, अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि फीरोजाबाद में कांच और चूड़ी का उत्पादन डेढ़ करोड़ या साढ़े तीन करोड़ रुपये नहीं बल्कि प्रतिवर्ष आठ और दस करोड़ रुपये के बीच में होता है। आज प्रदेश में कांच के जितने कारखाने हैं उनमें १०० से अधिक कांच के कारखाने अकेले फीरोजाबाद में स्थित हैं।

सोडा ऐश का कारखाना जो वाराणसी साहुपुरी में खोला जा रहा है, वहां पर जब मैंने सोडा ऐश के सम्बन्ध में विशेष जानकारी की तो वहां के संचालक ने बताया कि दिल्ली से लेकर बंगाल तक जितने भी कांच के कारखाने हैं उनमें सोडा ऐश का जितना भी कन्जम्पशन होगा, अकेले फीरोजाबाद नगर में २५ प्रतिशत उसका कन्जम्पशन होगा। तो जिस फीरोजाबाद नगर में दिल्ली से लेकर बंगाल तक के कारखानों में कन्ज्यूम होने वाले सामान का २५ प्रतिशत अकेले कन्जम्पशन होता हो, ऐसे बड़े उद्योग के लिये हमारी इस औद्योगिक पत्रिका में क्या लिखा

[श्री जगन्नाथ लहरी]

हुआ है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री और उप-मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस पत्रिका को पढ़ने की कृपा करें तो पता चलेगा कि गैस प्लान्ट जिसमें जुड़ाई करने वाले सिर्फ तीन मजदूर काम करते हैं उसके लिये पूरा पेज भरा हुआ है । लेकिन फीरोजाबाद के उद्योगों के सम्बन्ध में जिसमें लगभग एक लाख लोगों को काम मिल रहा है कोई तालिका और जानकारी नहीं है । यह जानकारी और तालिका क्यों नहीं है, इसका केवल एकमात्र कारण यह है कि कानपुर जैसे शहर में जहां कांच का एक भी कारखाना नहीं है वहां जो सरकार ने उत्तर प्रदेश ग्लास टेक्नालाजी विभाग खोला है, वह कांच और चूड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता । परन्तु फीरोजाबाद ऐसा स्थान है जहां पर प्रदेश में कांच के ११८ कारखानों में से १०० कारखाने केवल फीरोजाबाद में स्थापित हैं, ग्लास टेक्नालोजी विभाग वहां के कांच और चूड़ी के बारे में जानकारी नहीं रखता । ग्लास टेक्नालाजी विभाग के ऊपर लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है, लेकिन आज तक ग्लास के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है । वे अधिकारी वितरण का काम करते हैं, केवल सोडा ऐश व कोयले के वितरण तक महदूद रहता है । फीरोजाबाद के लिये उसने अपनी बुद्धि और जानकारी से कोई काम नहीं किया है । फीरोजाबाद में जो चूड़ी के उद्योग में ही नहीं वरन् बिजली के ग्लोब व शेड्स बनाने का भी एकाधिकार कायम किया है । यह कार्य केवल वहां के लोगों की बुद्धि और विवेक का परिणाम है और आज यहां असेम्बली भवन में उसका जो नाम लिया जाता है यह वहीं के लोगों के परिश्रम का फल है । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह ग्लास टेक्नालाजी विभाग सिर्फ बटवारे का काम करता है । उसके अधिकारी वितरण का काम करते हैं । यही वजह है कि फीरोजाबाद की आज इस विभाग ने कोई जानकारी नहीं की । अपने ही विवेक और बुद्धि के बल पर वहां के मजदूरों ने एकाधिकार कायम किया है ।

स्लिप कास्टिक पद्धति से शीशे के काम को तैयार करने का श्रेय अगर किसी को है तो वह फीरोजाबाद को है । फीरोजाबाद में यह ग्लास का उद्योग तरह-तरह से बढ़ रहा है । यह शीशे का व्यवसाय फीरोजाबाद में बहुत कमपैसे पर होता है और जितना वहां पर होता है, दूसरी जगह नहीं । हमारे यहां बिना पढ़े लिखे कारीगर अनेक रंगों के कांच तैयार कर देते हैं दूसरी जगह इसकी मिसाल नहीं मिल सकती तथा मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि विश्व में आज तक इतने रंगों के कांच नहीं बन सके हैं तथा इतने कम खर्च में अन्य जगह कांच नहीं बनता है । आपका ग्लास टेक्नालाजी विभाग उसे कभी तैयार नहीं कर सकता है । इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उद्योग से सरकार को एक सम्मान और प्रतिष्ठा मिली उसका आज इस तरह से अपमान हो रहा है इसका क्या कारण है ?

आगरा में एक औद्योगिक आस्थान खड़ा किया जा रहा है । वहां पर ८१ कारखाने खोले जायंगे जैसा इस किताब के पेज ५० पर दिया हुआ है । इस औद्योगिक आस्थान से २,५०० लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, २५० लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा । करोड़ों रुपया व्यय करने के बाद ८१ कारखाने की योजना है जिससे केवल इस औद्योगिक नगर में २,७५० आदमियों को काम मिलेगा । लेकिन फीरोजाबाद में इस कांच के उद्योग में आज लगभग एक लाख से अधिक मजदूर लगा हुआ है लेकिन इतने पर भी कांच व चूड़ी उद्योगों की तो विभाग को कोई जानकारी नहीं है जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस उद्योग से ३० हजार आदमियों को रोजगार मिलेगा । बड़े-बड़े उद्योगों के बारे में यह कोई जानकारी नहीं रखते । अगर उनको जानकारी होती तो वे इसकी भी जानकारी देते । इससे बढ़कर अज्ञान की और क्या बात हो सकती है ?

अधिष्ठाता महोदय, आज हमारा उद्योग काफी विकास की ओर बढ़ सकता है । सरकार एक औद्योगिक बस्ती पर जितनी पूंजी लगा रही है उससे आधी पूंजी पर हम फीरोजाबाद में एक लाख से अधिक लोगों को रोजी दे रहे हैं । उद्योग विभाग की जो यह कार्यवाही छापी गई है

इसमें यह बताया गया है ग्लास टेक्नालौजी विभाग द्वारा तरह-तरह के हमने एक्सपेरिमेन्ट किये और इन परीक्षणों से ३३७ रुपया प्राप्त हुआ। लाखों रुपया व्यय करने के बाद जब बाहर से लोग परीक्षण करके आये, तब सिर्फ ३३७ रुपया मिला। इसमें लिखा है "स्लिप कास्टिगं पद्धति से फायर-क्ले एवं सिलीमिनएट कांच पिघलाने का बर्तन बनाना"। अधिष्ठाता महोदय, यह कांच जिस बर्तन में पिघलाया जाता है यह पहले जापान और चीन से आता था। कीमत काफी ऊंची करीब दो हजार से ऊपर पहुंच गयी, उस समय फीरोजाबाद के मजदूरों ने अपने विवेक और अपनी बुद्धि से काम लिया और इस बर्तन को बड़ी सफलता के साथ तैयार कर लिया। आज बड़ी सफलता के साथ उसमें कांच पिघलाने का काम किया जाता है। काफी समय से वे इसका प्रयोग कर रहे हैं लेकिन अब हमारी सरकार का ग्लास टेक्नालाजी विभाग इसका प्रयोग कर रहा है और इसको बना नहीं रहा है। अभी तक वह प्रयोग की ही स्थिति में है जब कि फीरोजाबाद के मजदूरों ने उसको बना लिया है और वे उसका कई वर्षों से उपयोग कर रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विभाग को बन्द कर दें और इस पर खर्चा न करें। इसके लिये अगर उन्हें मदद लेनी है तो वे फीरोजाबाद के मजदूरों से मदद लें जिन्होंने इसको तैयार कर लिया है। जितना रुपया उनके प्रयोग पर खर्च किया जाता है आज उतना रुपया आसानी से बचाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि जनता की इस गाढ़ी कमाई का रुपया इस तरह से बरबाद न किया जाय। वहां के जो बेपढ़े लिखे और गरीब मजदूर हैं उनके विवेक और उनकी बुद्धि से लाभ उठाया जाय जिन्होंने इस ग्लास इंडस्ट्री को पनपाया है, और उनसे सलाह ली जाय। इससे प्रदेश का और हमारा सब का भला हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता--समय समाप्त हुआ।

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन में अब तक जितना विचार विमर्श हुआ, इस अनुदान के सिलसिले में, उससे एक भौतिक लाभ जो मुझे हुआ वह यह है कि आज यह निश्चय हो गया कि हमारे प्रदेश में अवश्य इस ओर जागृति है कि उद्योग धंधे हों। दूसरा लाभ यह भी हुआ कि हमें अपने विभाग के सम्बन्ध में कुछ जानकारी हुई। जानकारी इस मामले में हुई कि हम कितनी दूर तक पहुंच पाये हैं, कितनी जानकारी माननीय सदस्यों को करा पाये हैं अपने विभाग के कार्यों के बारे में, और कितना हमें अभी करना बाकी है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं कोई लम्बी चौड़ी बात कहने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, सिर्फ एक बात जो कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं सदन से यह निवेदन कर दूं कि उद्योग विभाग का इरादा क्या है, और उसका का क्या कार्यक्रम है। हम प्रजातंत्र और समाजवाद दोनों की रक्षा के साथ-साथ इस प्रदेश की तरक्की करने वाले लोगों में से हैं और इसलिये हमारे कामों की रूपरेखा इन्हीं दो तराजू से तौली जा सकती है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये हमने अब तक क्या किया है और हमारा क्या कार्यक्रम है और क्या होना चाहिये। अगर कोई इसे स्पष्ट तौर से देखने की कोशिश करे तो उसे हमारे कामों में हमारी सफलता और हमारी असफलता दोनों ही की सही-सही झांकी मिलेगी। लेकिन अगर सदस्यों को कहीं ऐसी स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया जाय जिनका जमीन से सम्बन्ध न हो तो उनकी पकड़ पर न किसी को विश्वास रह सकता है और न होना चाहिये।

उद्योग विभाग का काम, मान्यवर, यह नहीं हो सकता कि वह देश के सवा छः करोड़ लोगों की जरूरतों के उत्पादन का स्वयं उद्योग लगाकर जिम्मा ले ले। जैसा कि श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी ने कहा है, हमारा एक दायरा बना हुआ है कि कितना काम हमें करना है, कितना प्राइवेट सेक्टर में करना है और कितना पब्लिक सेक्टर में करना है और कितना सहकारी क्षेत्र

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

में करना है। अगर उस दायरे को देखा जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि हमने उसको पूरा करने की पूरी-पूरी कोशिश की है और आपकी कृपा से उसमें सफलता भी उठाई है। इस भवन में एक आम बात यह कही गयी कि हमारी नीति ऐसी रही है कि पूंजीपतियों को उससे पोषण मिलता है और उनका क्षेत्र व्यापक रूप से बढ़ा है। मान्यवर, अगर अपनी परछाईं से आदमी डरने लगे तो उसका इलाज किसी के पास नहीं हो सकता है, लेकिन अगर परछाईं से न डरे और डर मन से निकाल देवे क्योंकि डर रहता है तो परछाईं भी भूत दीखती है, तो स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा नहीं हुआ। पूंजीवाद की मदद का लांछन उस सरकार पर लगाया जा रहा है जिसने इस दूसरी पंचसाला योजना में एक सौ लाख रुपये सहकारी समितियों द्वारा चीनी मिलों को बढ़ाने, चलाने और उठाने के लिये देने का निश्चय किया है और उसमें से ९० लाख रुपया खर्च भी कर दिया है। पूंजीवाद का पोषण करने का चार्ज उस सरकार पर लगाया जा रहा है जिसने सहकारी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिये गृहोद्योग, हैण्डलूम और खादी उद्योग की सहकारी समितियां कायम की हैं और अपनी सारी सहायता का काम सीमित कर दिया है इन समितियों तक। हम सहायता दूसरे व्यक्तियों को, जहां तक हैण्डलूम का सवाल है, खादी का सवाल है, विलेज इंडस्ट्रीज का सवाल है, चाहे तेलघानी का, या हथकरघे का या दूसरी ऐसी बहुत सी चीजों का सवाल है उसमें हम जितनी भी सहायता देते हैं उस सहायता के लिये हमने सहकारिता का क्षेत्र बिलकुल निश्चित कर दिया है और उसके बाहर हमने कोई मदद किसी को नहीं दी है। इन क्षेत्रों में देखा जाय कि हमने कितना रुपया सर्फ किया है और सालों का जिक्र न कर के केवल इसी पंचसाला योजना के जो साल बीते हैं उनका जिक्र करूं तो इस क्षेत्र में इस सरकार ने १ करोड़ ५० लाख २१ हजार ८ सौ १६ रुपये २२ नये पैसे खर्च किये हैं। और इसके अन्दर बीसों अलग-अलग अंग है, खादी की मैं चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि वह सब पर स्पष्ट है लेकिन चमड़े के उद्योग के सिलसिले में कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी और इसका अफसोस भी हो रहा था कि हमारे माननीय सदस्यों की जानकारी इतनी जरूर कम है कि जिसे हम उनको बता नहीं पाये। इस माने में हमारी कमी जरूर है कि हमने लोगों को बताया नहीं। कुछ लोग जरूर होते हैं जो करते कम हैं लेकिन बता ज्यादा देते हैं। इस सरकार की जो खास तौर पर कमी रही है वह यही है कि उसने जो कुछ किया है उतना बताती नहीं है और इस कमी के कारण जिसके मन में जो बात आवे वह कह सकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तो बताइये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—में बता रहा हूं। हमने अब तक गांवों के अन्दर चमड़े और चमड़े के बेचारे काम करनेवालों के लिये इमारतें बनाने के सिलसिले में ४० लाख रुपये दिये जिन इमारतों में वह काम अच्छी तरह से आज होने लगा है। आज उस सरकार के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि चमड़े के उद्योग को बढ़ाने के लिये यह कम कार्यवाही करती है वह कहां तक ठीक है इसको मैं वाकयात पर छोड़ता हूं। लेकिन मैं आपसे इतना कह दूं कि इस वक्त हमारे प्रदेश में ६५ चमड़े की सहकारी समितियां काम कर रही हैं, ६ हजार से ऊपर उनके सदस्य हैं। हमने उन सहकारी समितियों को दो प्रकार की सहकारी समितियों में 'अ' और 'ब' श्रेणी में बांटा है। 'अ' श्रेणी की सहकारी समितियों को २० हजार रुपये अनुदान की शक्ल में देकर उनकी इमारत में नये किस्म के औजारों से सुसज्जित करके सोसाइटियों को अपनी तरफ से अनुदान दिये हैं और यह भी कर दिया है कि ५ हजार रुपये चालू पूंजी की शक्ल में उनको ऋण भी दे दिया जाय। तो इस तरह पर यह सरकार आज गांवों के अन्दर सहकारी समितियों को चलाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद यह कहना कि यह सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है और पूंजीवादी व्यक्तियों के हाथ में पूंजी को भेज रही है कहां तक उचित होगा,

कहां तक सत्य के साथ न्याय होगा इसको मैं, मान्यवर, आप पर और न्याय के ऊपर छोड़ देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य शान्ति के साथ सुनें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैं एक दूसरी और बात भी कहना चाहता हूं कि अगर यह कहा जाय कि यह सरकार केवल बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ही सहायता देना चाहती है तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि जहां तक हमारे उद्योगों का सवाल है आज हमने छोटे-छोटे जो हमारे पिछड़े हुये उद्योग हैं चाहे मुरादाबाद के ब्रासवेयर को ले लीजिये चाहे कांच कटलरी के उद्योग को ले लीजिये, चाहे तेल उद्योग को ले लीजिये चाहे एसेंशल आयल्स को ले लीजिये--जैसे हमारे एक बन्धु आज कह रहे थे कि हमारे प्रदेश में चमेली और चम्पा आदि-आदि के जो इत्र आदि थे उनकी बहुत बड़ी कमी हो गयी है, मैं नहीं समझ पाया कि वह क्या चाहते हैं, लेकिन उस तरफ भी हमारा ध्यान है और इन सारे छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ाने की तरफ हमारा कदम है जिससे वे बड़े-बड़े उद्योगपतियों के मुकाबले में खड़े हो सकें। जिनके द्वारा उनके हाथों से बना हुआ माल बराबर बाजार में बिक सकेगा, हमने उनके सामूहिक विकास के लिये कामन सर्विस फैसिलिटीज सेन्टर्स जगह-जगह पर खोले। जैसे उदाहरण के लिये, कटलरी अच्छी बना लें लेकिन जब तक एलेक्ट्रो-प्लेटिंग होकर निकिल न चढ़े, कलई न हो जाय तबतक वह बाजार में मुकाबला नहीं कर सकते। तो इन छोटे-छोटे कारीगरों को, जगह-जगह लगे हुए इस उद्योग के लोगों को, अपने झोपड़ों में बैठे हुये लोगों को इस बात की बड़ी दिक्कत थी। हमने एलक्ट्रोप्लेटिंग के प्लान्ट जगह-जगह लगाये। हमने नानफेरस मेटल के लिये जो तांबे और ब्रासवेयर के कारीगर होते थे, उनको रंगाई का काम सिखाने के लिये पुराने कारीगरों को इन्सट्रक्टर रखकर सेन्टर्स खोले। हमारे उत्तर प्रदेश में हाथी दांत पर बनने वाली नक्काशी का काम गिरता जा रहा था। एक परिवार रामनगर, वाराणसी, में था जो इस काम को बहुत दिनों से करता चला आ रहा था। उस बुजुर्ग को हम कानूनन नौकरी नहीं दे सकते थे लेकिन कानून को छोड़कर हमने रामनगर में हाथी दांत का सेन्टर खोला, वहां पर हर साल ५ लड़के काम सीखकर निकलते हैं जिनको कि हम वेतन पर भी रख लेते हैं। तो इसी तरह से हमने उनकी मदद की और एक नयी शक्ति को चमकाने का प्रयास किया। इसके बाद भी अगर कहा जाय कि हम पूंजीपतियों को सहायता देते हैं तो वह सत्य से परे होगा।

हमने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के काम में जो सहायता दी है वह सर्वविदित है, उसके सम्बन्ध में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में एक करोड़ रुपये से ऊपर की सहायता पिछले तीन सालों में स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को दी गई है। यह सहायता जिनको दी गई है वे कोई बिड़ला नहीं, टाटा नहीं हैं, पदमपति सिंघानिया नहीं हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति नहीं हैं जिनकी सहायता करना कोई पाप हो। ये वे लोग हैं--मुझे अफसोस है कि माननीय झारखंडे राय जी यहां पर नहीं हैं--वे उस श्रेणी के लोग हैं जिनके अस्तित्व को आज के चीन ने भी स्वीकार किया है कि ऐसे लोगों को रहने देना है, उनके काम को चलने देना है। तो ऐसी छोटी-छोटी पूंजी से काम करने वाले लोगों को, ५ लाख से नीचे की पूंजी से काम करने वाले लोगों को या १० हजार और ५ हजार की हैसियत वाले लोगों को जो किसी उद्योग को करते हैं यदि उनकी मदद को भी पूंजीपति की मदद कहा जाय तो फिर मुझे कोई अफसोस या दुश्वारी नहीं है और मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि यह एक राय का प्रश्न हो जाता है कि पूंजीवाद कहां से शुरू होता है और कहां जाकर समाजवाद शुरू होता है।

हमारे दोस्त झारखंडे राय जी जब कह रहे थे कि हमारी पूंजीपतियों से सांठ-गांठ हो गई है, उसे सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। पारसाल भी इसी तरह की बात सदन में आई थी

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

तो उस समय मैंने कोशिश की थी कि मैं पता करूं कि केरल में जो कम्युनिस्ट सरकार है उसने अपनी औद्योगिक नीति कैसे चलाई । उस संबंध में हमने वहां की सरकार से पत्र व्यवहार किया और उनकी कृपा से हमारे पास एग्रीमेंट आ गया जो कि उस सरकार ने बिड़ला से किया था। मान्यवर, हमारे इस प्रदेश में उस तरह का अगर कोई एग्रीमेंट हो गया होता, उसी तरह की एक लाइन भी किसी के साथ लिख दी होती तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिये बड़ी नालायकी की बात हो सकती थी, एक गलत नीति की बात हो सकती थी। मान्यवर, वह एग्रीमेंट हमारे पास है जो कि उन्होंने बिड़ला जी के साथ किया। यदि मैं उसकी यहां पर ४ लाइनों को पढ़ूं तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो मजदूरों में काम करने वाले लोग हैं वे छटपटाकर रह जायेंगे। इस एग्रीमेंट में वहां की सरकार नें उन बातों को लिखा है जो कि १८वीं शताब्दी में मालिक और मजदूरों के बीच रीति-नीति थी। उन्होंने हमारे पास इसको १९ नवम्बर सन् १९५९ को भेजा था । इसमें इस प्रकार से लिखा है :

"That it is the right and responsibility of the Company to maintain discipline and efficiency in the plant and to hire labourers and to discharge them for any cause which to the Company appears just and to relieve labourers from duty on account of inefficiency or lack of work or other valid reasons subject only to the provisions contained in the Standing Orders of the Company consistent with the statutes in force."

जिस किसी मजदूर को वे निकालना चाहें, निकाल सकते हैं। मजदूरों को वे हायर करेंगे, नौकर रखेंगे और निकाल सकेंगे, ये सब बातें उनकी मरजी पर हैं। मैं यह नहीं कहता कि किसी सरकार ने क्या किया और क्यों किया। जो कुछ उन्होंने उद्योगों को बढ़ाने के लिये किया वह अच्छा ही किया होगा। लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह कि हम जो सहायता देते हैं वह एक तरफ तो उत्पादन बढ़ाने के लिये सहायता देते हैं और दूसरी ओर यह भी देखते हैं कि उसके बढ़ते हुए उत्पादन में सबको ठीक-ठीक प्रकार से हिस्सा मिल सके। मुझे खुशी है कि बहुत से लोगों को इस बात की शिकायत है कि उत्तर प्रदेश के श्रम कानूनों का पालन कराने में उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी सचेष्ट रहती है। यह बात हमें टिपार्ट्राइट कमेटीज और इंडियन लेबर कांफ्रेंसेज में सुनने को मिलती है। लेकिन हम इसको अपनी बड़ाई नहीं समझते बल्कि इसको हम अपना कर्त्तव्य ही समझते हैं कि इस सदन ने जो भी कानून बना रखे हैं उनकी मान्यता कराकर देश के उत्पादित धन में मजदूरों को भी हिस्सा दिलायें, लेकिन फिर भी हमारे सामने यह हौआ खड़ा किया जाता है कि हमारी पूंजीवादियों से साठगांठ है। इस हौए से हम डरने वाले नहीं हैं और उत्तर प्रदेश का जो नक्शा हम बनाना चाहते हैं उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अतः जो भी हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी है उसमें हर सही बात हम करने के लिये तैयार हैं।

इसका हमें अफसोस है कि बहुत से पैसे की व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी किया जा सकता है, चाहे तो वह लाइसेंस दिलाये जाने के संबंध में हो, चाहे इंडियन फाइनेंस कारपोरेशन से पैसा दिलाये जाने के संबंध में हो, चाहे बिजली के उत्पादन और बिजली के संबंध में हो, हम हर संभव सहायता करने के लिये तैयार हैं। उसको न करके हम उत्तर प्रदेश की उन्नति में बाधक होना नहीं चाहते हैं। स्पष्ट है कि अगर ऐसा करने के लिये हमें पूंजीपतियों के द्वारा उद्योगों को फैलाने की आवश्यकता होगी तो हमें वह भी करना पड़ेगा। लेकिन हम पूंजीपति और उद्योग को अलग अलग रखना चाहते हैं। पूंजीपति को हम उद्योग के एक हिस्से की तरह से मानते हैं। जैसे श्रमिक उद्योग का पूरा का पूरा हिस्सा नहीं है उसी प्रकार से पूंजीपति भी उद्योग का सारा का सारा भाग नहीं है। इसलिये जहां तक सुविधा का संबंध है, हम उनको देते हैं लेकिन उसके साथ ही साथ हम उस पर रोक और नियंत्रण भी अच्छी प्रकार से रखते हैं ताकि वे पैदा होने वाली दौलत का वितरण ठीक से करें।

एक बात यह कही गयी कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों में बराबर गिरावट आ रही है। जब यह बात कही जा रही थी तो मुझे कुछ हैरत भी हो रही थी और कुछ तकलीफ भी हो रही थी। वाकयात से संबंधित कोई शिकायत होती है तब तो उसको ठीक करने की बात भी होती है। लेकिन हमने जो किताब बांटी है और आंकड़े उसमें इकट्ठे किये हैं उनसे बिलकुल ही दूसरी बात मालूम होती है। आज चाहे वह हैन्डलूम का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले लूम्स का सवाल हो, चाहे खांडसारी का सवाल हो, फाउन्टेन पेन, होजियरी, हैन्डलूम क्लेंडरिंग, फर्नीचर, डेरी प्राडक्ट्स, हैन्डमेड पेपर आदि ४०-५० चीजों की लिस्ट है जिनमें हमने उन्नति की है और यह उन्नति हमने साढ़े १२ प्रतिशत से लगाकर ५० प्रतिशत तक की है। उत्पादन हरएक में बढ़ा है। अगर सारे उद्योगों को मिलाकर देखा जाय तो सन् ५७ के मुकाबले में ३.९२ प्रतिशत प्रदेश के उत्पादन में वृद्धि हुई है जब कि सारे देश में उसी पीरियड में में १.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर इस प्रतिशत को भी आप मुनासिब प्रतिशत नहीं समझते हैं तो लाचारी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा शक्ति और साधन जो हमने औद्योगीकरण के लिये प्रदेश में लगाये हैं उनको देखते हुए भी और उनकी सीमित स्थिति को देखते हुए स्पष्ट है कि इससे अधिक हम नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता।

एक बात आमतौर से कही गयी इस किताब के आंकड़ों की। जैसा कि अभी लहरी जी ने बेंगिल इंडस्ट्रीज के संबंध में कहा, मालूम होता है कि माननीय सदस्य पूरी किताब को पढ़ते वक्त कुछ भूल जाते हैं, जितना दर्जा वे पढ़ कर आते हैं उसे वह हमारी किताब देखते ही भूल जाते हैं। इसमें किताब भी लाचार है। इस किताब में फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कारखानों के फीगर्स दिये हुए हैं। लहरी जी इसको देखने की कृपा करेंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि फैक्टरी ऐक्ट के तहत में जो कारखाने रजिस्टर्ड हैं उन्हीं से हम रिटर्न मंगाते हैं और अगर हम सब से रिटर्न मांगें तो वे यही कहेंगे कि हम क्लर्क कहां से लावें और इसमें हमको बड़ी परेशानी व दिक्कत आदि की बातें हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फीरोजाबाद में कौन कारखाना ऐसा है जो अनरजिस्टर्ड है। वहां तो फैक्ट्री ऐक्ट के मुताबिक सभी कारखाने रजिस्टर्ड हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैं जानकारी दे रहा हूं कि जितने कारखाने फीरोजाबाद में रजिस्टर्ड हैं उतने ही कारखाने अनरजिस्टर्ड भी हैं। एक-एक गली में और एक-एक कोने में जो काम करने वाले आदमी हैं उनके कारखाने फैक्ट्री ऐक्ट के तहत में रजिस्टर्ड नहीं हैं। लहरी जी के साथ मैं भी कारखाने देखने गया था तो उनको मैं याद दिला दूं कि हम लोग एक रजिस्टर्ड कारखाने में गये थे और ४ अनरजिस्टर्ड कारखानों में।

इसके पहले कि मैं प्रदेश में औद्योगीकरण की जरूरत का जिक्र करूं, मैं एक बात कह दूं कि जो रुपया हम उद्योगों के लिये ऋण और अनुदान के रूप में बांटते हैं उसके लिये कहा गया कि उसका डिस्बर्समेंट बहुत स्लो है। मैं उससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके लोगों को अपनी जरूरत से रुपया मिलना चाहिये लेकिन ऋण लेने वालो को यह सोचना चाहिये कि यह रुपया सरकारी है, यह जनता के यहां से पैसा आता है और जब तक उसकी पूरी पूरी सिक्योरिटी न हो जाय तब तक रुपया दे देने से उसके अदा होने में दिक्कत हो सकती है और हमारा रुपया डूब सकता है। इसलिये इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत होती है जिसे दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन दिक्कतों के बावजूद भी जो छोटे छोटे ऋण लेने वाले हैं उनके लिये अलग से नियम बने हुए हैं। उन नियमों के मुताबिक १,००० रुपये तक का लोन लेने वालों को उसके मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है क्योंकि उनके लिये

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, केवल इंडियन सिटिजन होने की शर्त ही काफी है। इस तरह से हजार रुपये तक का ऋण बांटने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब रह गये २५ हजार, ५० हजार या लाख दो लाख ऋण लेने वाले। जैसे कि यू०पी० फाइनेंशियल कारपोरेशन की बात बतलायी गयी, २५ हजार से ऊपर ऋण लेने वाले पूरी जमानत देकर ऋण ले सकते हैं। अगर उनसे हम पूरी जमानत न लें तो आगे चल कर हमारा रुपया डूब सकता है।

एक दिक्कत और कानूनी बाधा की थी जिसको भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिये रास्ता निकाल रहे हैं। हमारी कोशिश यह है कि जो जगह-जगह छोटे-छोटे काम होते हैं, रूरल उद्योग बढ़ाने के लिये, वहां हमने यह किया है कि ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर बना कर उनको चला रहे हैं।

अभी माननीय प्रतापसिंह ने स्पोर्टस गुड्स इंडस्ट्री का जिक्र करते हुए नैनीताल के संबंध में बतलाया कि वहां अच्छा काम नहीं हो रहा है, यह सही है लेकिन उसके मुकाबले में बरेली में जो स्पोर्ट्स गुड्स सेंटर है वह बहुत अच्छी तरह से चल रही है। यह तो बहुत कुछ आदमी की जिम्मेदारी के ऊपर निर्भर करता है जो कि वहां काम करते हैं। अच्छे और बुरे व्यक्ति हर जगह होते हैं और हो सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये अपने उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे को फैलावें। आज हमारे यहां जो १,१०० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी तरफ प्रेम की नजर से देखने की जरूरत है। सरकारी सहायता के बावजूद उनके काम करने में बाधा होती है और वह इसलिये कि उसके मेम्बर अनपढ़ हैं क्योंकि ९० प्रतिशत वही लोग हैं जो कारीगर हैं। मेरी दावत है कि सदन के सभी माननीय सदस्य, इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले, चाहे वे इस समय यहां हों या न हों, सब ही अगर एक-एक कोआपरेटिव सोसाइटी अपने-अपने लिये एडाप्ट कर लें और उसकी देखरेख करें और उस की प्रगति के बारे में सचेष्ट हो जायं तो इसमें संदेह नहीं है कि औद्योगिक विकास में सहकारी आन्दोलन को बहुत बल मिलेगा और वह मजबूत और प्रबल होगा।

एक बात मैं आखिर में और कह दूं कि हमने बड़े उद्योगों के मुकाबले में छोटे उद्योगों को मदद करने के लिये अपना नियम रखा है कि अपनी प्राइस प्रिफरेंस पालिसी के मातहत हम अपनी खरीदारी में छोटे उद्योगों को १५ प्रतिशत का प्रिफरेंस देतें हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि हमने सन् १९५८-५९ में इस तरह से छोटे उद्योगों से ७२ लाख रुपये के मूल्य का सामान खरीदा है। इतनी बड़ी खरीदारी कुल खरीद में से कोई मामूली या छोटी बात नहीं है। १५ प्रतिशत ज्यादा कीमत होने पर भी हम छोटे उद्योगों के माल को लेते हैं। इस तरह से हम छोटे लोगों की तरक्की और नये उद्योगों का विकास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा जो प्रदेश के औद्योगीकरण का प्रोग्राम है उसमें अगर हमें हर तरफ सहायता मिली तो हमारा प्रदेश निश्चय ही औद्योगिक जगत में एक अनोखा और प्रमुख स्थान बना लेगा।

इन शब्दों के साथ, मुझे आशा है कि आगे जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे वह हमारी इन दिक्कतों, कमजोरियों और अच्छाइयों को सामने रखकर बोलेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अधिष्ठाता महोदय, यह अब सन् १९६० चल रहा है और सन् १९४६ से यहां कांग्रेस सरकार चल रही है प्रादेशिक सरकार के रूप में और सन् १९५२ से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार चल रही है। माननीय बहुगुणा जी ने अपने सारे तर्क इस बात की सफाई में प्रस्तुत किये कि वह यहां छोटे लोगों को उठाना चाहते हैं या नहीं, वह देश का हर प्रकार का विकास चाहते हैं या नहीं, वह गरीबी को प्रदेश में निर्मूल करना चाहते हैं या नहीं, वह यहां से वैयक्तिक आय की विषमता को मिटाना चाहते हैं या नहीं। इन्हीं बातों को सिद्ध करने में उनके सारे तर्क प्रस्तुत हुए।

मैं जरा देर को मान लूं कि यहां जो माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय सम्पूर्णानन्द जी बैठे हैं उनकी कांग्रेस सरकार है, वह यह चाहती है कि प्रदेश की गरीबी मिट जाय, प्रदेश से बेकारी दूर हो जाय, सारा देश और प्रदेश विकसित हो जाय, यहां के सारे उद्योग धंधे विकसित हो जाय सब लोगों को काम काज मिल जाय, कोई भूखा नंगा और बेकार न रहे, यह सब हो गया मैं मान भी लूं थोड़ी देर को, तो क्या मेरे मान लेने से ही यह सब हो जायगा ? अगर कांग्रेस सरकार या बहुगुणा जी मेरे कहने से या मान लेने से ही सन्तुष्ट हो जायं और मैं कह भी दूं कि यह सब हो गया तो यह सब हुआ नहीं और मैं झूठ बोलूंगा। इसलिये मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं सच्ची बात कहूं। हो सकता है कि यह कांग्रेस सरकार भी वही चाहती हो जो हम कह रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस कांग्रेस सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं उनसे कि, उत्पादन की जो पूंजीवादी प्रणाली हैं या कम्युनिस्ट प्रणाली हैं उनमें से कौन सी प्रणाली यहां अख्तियार की गई है। कहने के लिये श्री झारखंडे राय जी जो कह दें, मैं बाद में उस पर आऊंगा लेकिन मेरा कहना है कि जो उत्पादन का तरीका और साधन है और उसका जो रिश्ता है जिसे मीन्स आफ रिलेशन आफ प्रोडक्शन (Means of relation of production) कहते हैं, जो अमरीका में उत्पादन के साधन हैं या जो इंगलैन्ड में साधन हैं जो पूंजीवादी रूप में दुनिया में जाने जा रहे हैं वही उत्पादन के साधन आज कांग्रेस सरकार भी चलाना चाहती है या नहीं चाहती। या जो तरीका रूस में उत्पादन का है उसको कांग्रेस सरकार चलाना चाहती है या नहीं ? इस मूल प्रश्न पर विचार होना चाहिये। मेरा कहना है कि रूस और अमेरिका में ज्यादा फर्क नहीं है, करीब-करीब एक हैं। वहां पर जो उत्पादन का साधन है वही रूस में भी है। हां, रूस में थोड़ा-सा उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन है। जो उत्पादन का संबंध रूस की प्रणाली में है वही अमेरिका में नहीं है। जहां तक उत्पादन के साधन का संबंध है, अमेरिका और रूस एक जगह पर हैं।

कांग्रेस की सरकार क्या चाहती है ? मैं निवेदन करूंगा कि अब कम से कम बालिग हो गये हैं और संसदीय प्रणाली में भी बालिग हो गये हैं। कांग्रेस का मैनीफेस्टो पढ़ लिया जाय। हमारे पास कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र है। पेज ११-१२ पर है कि वर्तमान गैर-सरकारी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का इरादा नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि जो गैर-सरकारी उद्योग हैं वे निजी हाथों में चलेंगे, उसका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते हैं। फिर क्यों धुप्पल दे रहे हो यहां पर ? दूसरी जगह लिखा है कि यदि हमें अपने देश का औद्योगीकरण अभीष्ट है तो हमारे लिये देश में भारी उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक है। माननीय बहुगुणा जी दो पलड़ों के बीच में झूल रहे हैं। एक गांधीजी की पाखंडपूर्ण स्तुति का पलड़ा और दूसरा पाश्चात्य उत्पादन प्रणाली की जी भर कर नकल करने का। गांधी जी की स्तुति पाखंडपूर्ण तरीके से करके देश को नहीं बना सकते हो। भारी उद्योगों की बात करते हो चुनाव घोषणा-पत्र में, छोटे-छोटे गृह उद्योगों की बात नहीं करते हो, और फिर महात्मा गांधी का नाम लेते हो और कहते हो कि हम छोटे गृह उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। क्या सही में आज कांग्रेस की नीति मूल रूप से छोटे छोटे गृह उद्योगों को विकसित करने की है या अमेरिकी प्रणाली को नकल करके उत्पादन प्रणाली कार्यान्वित करने की है ? निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार उसी प्रणाली को चला कर जो कि अमेरिका ने अपनाई है, देश को बढ़ाने का स्वप्न देख रही है, जो असंभव है।

रूस में अगर देखा जाय तो एक किसान के पीछे ३० एकड़ खेत का औसत आता है। अमेरिका में ७० एकड़ का औसत आता है। अमेरिका की औसत आमदनी करीब १० हजार रुपया है, रूस की साढ़े ४ हजार है और हिन्दुस्तान की ३०० रुपया। तो १० हजार की औसत आमदनी वाले मुल्क की नकल करे ३०० रुपये की औसत आमदनी वाला ? इस तरह से सैकड़ों वर्षों बाद भी, अमेरिका आज जहां पर है वहां मुख्य मंत्री जी प्रदेश को नहीं

[श्री राजनारायण]

ले जा पायेंगे। हां, कुछ व्यक्तियों को पहुंचा सकते हैं। यहां का मिनिस्टर वहां के मिनिस्टर की तरह तनख्वाह ले सकता है, बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं। लेकिन जो चपरासी है, जो अध्यापक है या और जो छोटे-छोटे लोग हैं वे ताकते ही रह जायेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अपने आपको धोखे में न रखो। जितनी कांग्रेस की गलती है उतनी ही कुछ विरोधी पार्टियों की भी है। मैं उनके चुनाव घोषणा-पत्रों में से पढ़ दूं, पता नहीं उन्होंने पढ़ा है या नहीं। हमारे जीवन की मौलिक आवश्यकता क्या है? हमें पहले खाना चाहिये, कपड़ा चाहिये, चीनी चाहिये, सीमेंट चाहिये। सिवाय सोशलिस्ट पार्टी के यहां पर कोई दूसरी विरोधी पार्टी नहीं है जिसने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में इस बात को लिखा है कि वह चीनी, कपड़ा और सीमेंट के उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। एक सोशलिस्ट पार्टी है जिसने बुनियादी तौर पर इस बात को कहा है कि हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कपड़ा, सीमेंट, चीनी के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना अभीष्ट है।

जरा कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र को देखा जाय। उनका मत है कि भारी और बुनियादी उद्योगों को तरजीह देनी चाहिये। ठीक है, वे रूस की नकल कर रहे हैं, करें, और इन उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिये। जब तक भारी और बुनियादी उद्योगों का निर्माण नहीं होता तब तक मौजूदा उद्योगों की क्षमता का अधिक इस्तेमाल करके और छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी यह मानती है कि हमारे विकास के मौजूदा दौर में देशभक्त पूंजीपति हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। पूंजीपतियों के तमाम उचित अधिकारों की रक्षा हो। अब मैं माननीय झारखंडे राय जी से पूछना चाहता हूं कि किस तरह का उद्योग चलाना चाहते हैं क्योंकि वह तो मानते हैं कि देश भक्त पूंजीपति राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं, तो माननीय बहुगुणा जी और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की क्यों निन्दा करते हो। जो तुम अपने घोषणा-पत्र में लिखे हो वह डाक्टर सम्पूर्णानन्द कर रहे हैं। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कांग्रेसी सरकार कर रही है। इसीलिये मैं कभी-कभी कहता हूं कि कांग्रेसी कूड़े से कम्युनिस्टी कीड़े पैदा हैं। और देखा जाय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि बैंक, जनरल बीमा, कोयला, खान, अल्मुनियम का राष्ट्रीयकरण किया जाय। कपड़े का नहीं, चीनी का नहीं, सीमेंट का नहीं। कहीं भी उनके घोषणा-पत्र में इनका जिक्र नहीं है। कांग्रेस कहती है कि सरकार ने जीवन बीमा और स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट बैंक और बीमा के राष्ट्रीयकरण की बात करती है तो डाक्टर सम्पूर्णानन्द कहते हैं, हमने तो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया तो कम्युनिस्ट पार्टी अब क्या डाक्टर सम्पूर्णानन्द से चाहती है?

अब जरा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग अपने चुनाव घोषणा-पत्र को देखें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मैं अर्ज करता हूं, आनरेबिल चीफ मिनिस्टर का नाम लेकर पुकारना सदन की परम्परा के विरुद्ध है।

श्री अधिष्ठाता—यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है।

श्री राजनारायण—माननीय शुक्ल जी बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ी में इतने जकड़े हुए हैं? पार्टी छोड़ दी तब भी चाहते हो कि अनावश्यक चापलूसी करके, खैरख्वाही करके, बड़े बन जायं।

अब जरा पी० एस०पी० के घोषणा-पत्र को देखा जाय!

"P. S. P. Party believes that in the interest of planned economic development it is essential to nationalise Banks, Mines, Mineral Oils. To accelerate capital formation it is necessary that the State should take over the plantation."

ये कहते हैं कि बैंक्स, माइन्स, मिनरल्स का राष्ट्रीयकरण किया जाय। माननीय प्रतापसिंह जी फिर क्यों कहते हैं कि कपड़े और चीनी, सीमेंट के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय?

आज हमारा देश इतना सड़ा गया है और शासक पार्टी इसको इतना सड़ा देना चाहती है कि चुनाव में बराबर चर्चा होगी तो जाति-पांति की होगी.....

श्री प्रतापसिंह--किस इलेक्शन का आपने चुनाव घोषणा-पत्र पढ़ा?

श्री राजनारायण--सन् १९५७ का था जब मैं उस दल को छोड़ चुका था। मेरे समय जो था वह इस प्रकार था:

"जन-साधारण में अधिकतर कपड़ा, चीनी और सीमेंट की मांग होती है। इन उद्योगों में शीघ्र बड़े पैमाने पर विकास होने की कोई आशा नहीं है। वर्तमान उद्योगों को यथा-संभव आधुनिक उपायों से काम ले कर जनता की इच्छायें पूरी करने के लिये अधिकतम कार्य क्षमता के आधार पर चलाना चाहिये।"..... इसलिये स्टेट को इन उद्योगधंधों को अपने हाथ में लेना होगा। इसे कहा जाता है समाजवादी निर्माण की ओर उस समय कहते थे प्लेटफार्म आफ दी सोशलिस्ट पार्टी। इसलिये मैंने कहा कि यह आखिर ये पार्टियां क्या है। चूं-चूं का मुरब्बा हैं या कोई मूलभूत सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वाली पार्टियां हैं। एक ही चीज को सब कहती हैं और फिर यहां आकर अनावश्यक वे लड़ती हैं। जनसंघ के बारे में कहा जाता है; उसका घोषणा-पत्र क्या था?

जनसंघ की नीति, आधारभूत तथा सुरक्षा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने की है। राष्ट्रीय कृत उद्योगों का अनुभव बड़ा कटु तथा निराशाजनक है। यह जनसंघ ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में लिखा है। जनसंघ की पार्टी अभी शैशवावस्था में चल रही है। अगर देखा जाय तो आदि से लेकर अन्त तक न जाने कितना कांट्रेडिक्शन (परस्पर विरोध) उनके चुनाव घोषणा-पत्र में मिलेगा, कितना परस्पर विरोध मिलेगा इसको जनता समझ जायगी और कल कृषि के बारे में मैंने समझा भी दिया था।

मैं यहां देखता हूं कि कोई आधारभूत सिद्धांत को ले कर यहां चर्चा ही नहीं होती है। इसलिये आज आवश्यकता है अपने प्रदेश में छोटे-छोटे गृह कुटीर उद्योगों को विकसित करने की और उसे हमें कार्य रूप में परिणत करना चाहिये। लेकिन जहां उसकी आवश्यकता है वहीं हम मुखापेक्षी हैं। जब तक आमूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश की आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती।

साथ ही साथ में यह कहूंगा कि यों तो बहुगुणा जी ने पच्चीसों बातें कह दीं कि हमने ऊन, लीसा का उत्पादन बढ़ा दिया लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को नया काम दिया गया है। कांग्रेस सरकार की तमाम रिपोर्ट्स को लेकर देखा जाय। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उन्होंने कहा था कि १५ प्रतिशत आय बढ़ेगी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर २५ प्रतिशत बढ़ जायगी, वह आज कहां बढ़ी। उत्तर प्रदेश के आंकड़े आज हमको बतला रहे हैं कि सन् १९५० में जो २१२ रुपये की ग्रामीण जनता की औसत आमदनी थी वह औसत आमदनी आज सरकारी फीगर के हिसाब से १९०, १९२ रह गयी है और इस प्रकार वह घटती जा रही है। बेकारों की तादाद बढ़ती जा रही है। प्रदेश में भिखमंगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस सरकार कहती है कि हमारा विकास बढ़ता जा रहा है, पूंजीपतियों को कर्जा हम बांटते चले जा रहे हैं।

कर्जा बांटने की नीति भी बहुत दोषपूर्ण है। जिस प्रकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों को कर्जा दिया जा रहा है उससे आज सम्पदा तथा सम्पत्ति ये दोनों चन्द व्यक्तियों के हाथ में सुरक्षित हो गये हैं। मालिकाना हक भी उन्हें मिला हुआ है और धन भी उनका बढ़ता चला जा रहा है।

[श्री राजनारायण]

इसमें कोई दो रायें नहीं होना चाहिये। सरकारी पक्ष के लोगों को इसे स्वीकार करना चाहिये।

मेरा नम्र निवेदन यह है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी से यह कोई नहीं कह सकता कि उनकी जानकारी नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है। उनको जानकारी है, उनको अनुभव है। वह बहुत सी पुस्तकों को पढ़े हैं और समाजवाद की पुस्तकों को लिखा भी है। लेकिन पुस्तकों को लिख देना एक बात होती है और उन बातों को व्यावहारिक रूप में परिणित कर देना दूसरी बात होती है। उसमें उनका पैर कांपने लगता है और हाथ हिलने लगता है।

हमारे मित्र रामस्वरूप वर्मा अक्सर कहा करते हैं कि हमारे प्रदेश के उद्योग तथा विकास को क्षय रोग हो गया है। प्रथम योजना चल रही थी; जब तक यह कहा जाता था कि रोग साध्य है, हम उसे सुधार लेंगे। दूसरी योजना में रोग दुसाध्य हो गया और तीसरी योजना में असाध्य हो जायगा। तो फिर मुल्क के बनाने वालों को अभी से सोच लेना चाहिये कि आर्थिक ढांचे का पैटर्न क्या होगा। जब तक बुनियादी तौर पर हम इस बात को तय नहीं करेंगे कि बड़ी आमदनी वाले और छोटी आमदनी वाले में विषमता कितनी हो, लगातार १० वर्ष से हम चिल्ला रहे हैं कि बड़ी आमदनी तथा छोटी आमदनी की सीमा तय करो, वरना देश का विकास नहीं हो सकता। हमारा कहना है कि एक हजार के ऊपर आमदनी और खर्च किसी के पास न हो और अगर एक हजार के ऊपर की आमदनी को ले लिया जाय और उसको उद्योग धन्धों में लगा दिया जाय तो इसमें क्या आपत्ति है? इसके लिये कहां नये कर लगाने की बात होगी? मगर इधर सम्पूर्णानन्द जी का ध्यान नहीं जा रहा है।

आज हर मुल्क की शक्ति की रीढ़ इस्पात मानी जा रही है। माननीय झारखंडे राय ने एक लम्बी चौड़ी फीगर दे दी कि रूस में इतना उत्पादन बढ़ा और चीन में इतना उत्पादन बढ़ा। बढ़ा होगा। इतनी बात तो जरूर मानी जाती है कि चीन के उत्पादन की गति हिन्दुस्तान के उत्पादन की गति से तीव्र है और कई गुना अधिक है। अब यह क्यों है? सरकार चाहती नहीं है। हम लोग जब छोटे-छोटे थे तो धातु की तलवारें कैसे बनती थीं? वह लोहा कहां था, उसके लिये कौन बड़े-बड़े उद्योग धन्धे चल रहे थे? वह छोटी-छोटी भट्ठियों में ही बनता था। मगर जब हम इन छोटी-छोटी बातों को कहते हैं तो बार-बार इस सरकार की उपेक्षा की नीति रहती है।

(इस समय ३ बजकर ४८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मिर्जापुर में जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, वह उद्योग आज मरा पड़ा है। आज बनारस में पीतल के कारखाने बरबाद हो रहे हैं। बुनकरी और साड़ी का काम खत्म हो रहा है। और माननीय बहुगुणा जी ने कह दिया कि हमने चमड़े का उद्योग बढ़ा दिया। वह कितना बढ़ा है, हम जानते हैं। मैं एक जीज पढ़ देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—समय खत्म हो रहा है।

श्री राजनारायण—ज्यादा समय नहीं लगेगा। सन् १९५२ में एक सुझाव इस सरकार को दिया गया था और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि यह सुझाव सोशलिस्ट पार्टी ने दिया था। कैपिटल लेवी निम्न आधार पर लगायी जा सकती है। पांच लाख रुपये से कम की सम्पत्ति पर कुछ नहीं। अगले ५ लाख पर २० प्रतिशत; उससे अगले १५ लाख रुपये पर ५० प्रति शत; उससे अगले ७५ लाख रुपये पर ८० प्रतिशत और १ करोड़ से अधिक सम्पत्ति पर ९० प्रतिशत; अगर इस सुझाव को भी कार्यान्वित किया गया होता तो आज तक न मालूम हमारा प्रदेश कहां से कहां चला गया होता। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। माननीय सम्पूर्णानन्द जी भी आंकड़े नहीं मानते। उनका कहना है कि आंकड़ों के जाल बट्टे में मुल्क को फंसा कर बरबादी के रास्ते पर न ले जाइये, दृष्टिगत चीज को आंखें खोल कर भली प्रकार देखो। तो

अगर हम आंखें खोल कर देखते हैं तो पता चलता है कि सरकार की औद्योगिक नीति बिल्कुल गलत आधार पर खड़ी है ।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अनुदान पर जो बोलने की इजाजत आपने दी उसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जिस जिले से आते हैं उसका नाम है गोरखपुर और वह बहुत बड़ा जिला है। मैं हर साल इसी इन्तजार में रहता हूं कि मेरे जिले की तरफ कोई न कोई कदम सरकार उठायेगी। सूबे के छठवें हिस्से में गोरखपुर कमिश्नरी है और सूबे की ६ करोड़ आबादी में से १ करोड़ की आबादी गोरखपुर कमिश्नरी की है। लेकिन वहां अब तक कोई बड़ा उद्योग-धन्धा नहीं खुला। मैंने पारसाल उद्योग मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और प्रार्थना की थी कि गोरखपुर की हालत को देखते हुए वहां कोई बड़ा उद्योग-धन्धा खुले। वैसे हमारे यहां के लोग बाढ़ और सूखे से तबाह रहते हैं। यह नहीं है कि सरकार ने वहां बिल्कुल काम नहीं किया है, उसने काम किया है लेकिन कोई बड़ा उद्योग-धन्धा वहां नहीं खोला गया है। नियोजन विभाग की ओर से एक किताब छपी थी। उसमें लिखा था कि गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में फलां-फलां उद्योग खुल जायगा। फरेन्दा तहसील में प्लाईवुड के कारखाने और रेशम के कीड़े पालने का काम शुरू किया जायगा।

बांसगांव तहसील में कोई मिल नहीं है। वहां पर गन्ना मिल खोलने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन आज तक नहीं खुल सकी गो प्रथम पंचवर्षीय योजना बीत चुकी और दूसरी भी बीतने वाली है लेकिन गोरखपुर जिले के लिये कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि गोरखपुर का विशेष ध्यान रखा जाय। आज सूबे के और जिलों में, जैसे इलाहाबाद, अलीगढ़, बनारस, बरेली और मिर्जापुर वगैरह में, बड़े-बड़े काम हो रहे हैं इसी तरह से गोरखपुर में भी सर्वे कराकर जो वहां के लिये मुनासिब हो उस तरह का कारखाना खोल दिया जाय। वैसे तो हमारा जिला नैपाल से सटा हुआ है, नौतनवा में जूते बनाने तथा सीमेंट का कारखाना खोल दिया जाय, फरेंदा में प्लाइवुड का और कागज का कारखाना खोल दिया जाय, धानीबाजार में दियासलाई का और बजमनगंज में साबुन का कारखाना खोल दिया जाय। नैपाल में इतना बनकस होता है कि वह फरेंदा तहसील से दूसरी जगह जाता है, इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार विशेष रूप से इधर ध्यान दे। पहले फरेंदा तहसील में दो मिलें थीं। एक तो कम्पेयरगंज में और पड़ोस में दूसरी बढ़नी में। कम्पेयरगंज की मिल टूट गई है जिससे किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी के पड़ोस में एक मिल थी वह भी टूट कर पश्चिमी जिले में चली गई है। सरकार कम्पेयरगंज में दूसरी मिल चालू कराये और यहां पर छोटे-छोटे गृह उद्योग चलाये अभी तक कोई गृह उद्योग हमारे यहां नहीं खुला है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से सिफारिश करूंगा कि तेल, चावल और आटे की मिलों को बन्द किया जाय और कोल्हू और घानी से तेल निकलवाया जाय और धान को जो पहले कूटकर चावल निकाला करते थे उसी तरह से निकलवाया जाय। मिल का आटा खराब होता है। जेल में एक दफा मशीन से आटा पीसने का सवाल कैदियों के लिये आया तो गांधी जी ने कहा था कि कैदी स्वयं ही आटा पीसेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि आटा जो मिलों से पीसा जाता है उसको बन्द किया जाय। अगर इसमें असुविधा हो तो ज्यादा टैक्स लगाये जायं। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि गृह उद्योगों की तरफ ध्यान दिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, कितना समय मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—दस मिनट।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, और लोगों को बीस मिनट मिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, उनकी गिनती लीडरों में है। समय भी कम है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि जब तक अनुदान समाप्त न हो, सदन बैठे।

श्री उपाध्यक्ष—इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। १, २ मिनट और दे दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने कुछ बातें कहीं। मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन मैनीफेस्टो का जिक्र किया। मैं सोच रहा था कि हमें तो सरकार का जवाब देना है और बाकी बातों का जवाब तो जब १९६२ में चुनाव आयेगा तब माननीय राजनारायण को दे देंगे। जनसंघ के लिये उन्होंने इतना ही कहा कि मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो। बाकी कहने का शायद उनको मौका नहीं मिला वरना लोहिया जी के लिये भी वह कुछ कह देते लेकिन वह नहीं कह सके।

माननीय बहुगुणा जी और झारखंडे राय जी में यह बहस हुई कि कौन बड़ा पूंजीपति है। झारखंडे राय जी ने तर्क दिये कि कांग्रेस पूंजीपति है और बहुगुणा जी ने केरल में कहा कम्युनिष्ट बड़े पूंजीपति हैं। बिड़ला जी के साथ साम्यवादियों का जो इकरारनामा हुआ, उसका भी हवाला दिया। यह पूंजीपति का झगड़ा कि कौन बड़े पूंजीपति का समर्थक है कांग्रेस या कम्युनिस्ट, उसे मैं बहस के लिये छोड़ता हूं। खैर, यह तो पता लगा कि दोनों पूंजीपतियों के समर्थक हैं। हम लोग इस बात का दावा नहीं करते कि पूंजीपतियों का हर बात में विरोध किया जाय। अच्छे काम में सबका समर्थन व बुरे में सबकी विरोध नीति होनी चाहिये। मगर जनहित के कार्य में भी विरोध हो ऐसा उन्हीं को मुबारक हो। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि छोटे-छोटे उद्योग जो आधारभूत उद्योग नहीं हैं उनका राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिये। राष्ट्रीयकरण केवल मूलभूत उद्योगों का होना चाहिये। यह हमारी नीति में निहित है।

आज माननीय बहुगुणा जी ने पूंजीपतियों के खिलाफ और छोटे उद्योगों के पक्ष में थोड़ी कई दलीलें दीं कि हम इतना काम कर रहे हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब पूंजीपतियों का सवाल आता है तो सरकार जरूरत से ज्यादा झुक जाती है। सोडा ऐश फैक्ट्री के बारे में जो इकरारनामा हुआ उसमें बहुत सी शर्तें थीं कि पहले साइटेन लाइसेंस लेंगे, साइट एक्वायर कर लेंगे, अपने नियमों में बिना हाईकोर्ट के परिवर्तन न करेंगे, समान धनराशियां जमा करेंगे, आदि-आदि, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया फिर भी उन्हें पुराना प्लांट गिरवी रख कर ही रुपया पेश्तर ही दिया गया यद्यपि उन्हें सन् १९५७ से विदेशी मुद्रा की किस्तें अदा करनी थीं। सारे फाइनेंशल रूल्स को बालाये ताक रख कर, उनको ऋण दिया गया, मगर छोटे उद्योगों को ऐसी सहायता नहीं दी जाती।

खादी के बारे बहुगुणा जी ने कुछ थोड़ा-सा कहा। मैं उनकी याद-दाश्त के लिये कह दूं। १९५६–५७ में खादी के लिये ६ लाख ७२ हजार रुपया बजट में रखा। उसमें से केवल १ लाख ४० हजार रु० वे खर्च कर पाये। हमारी इस ढिलाई से ग्रामोद्योग और खादी विकास के लिये जहां बम्बई को १ करोड़ ४ लाख रु० मिला है, राजस्थान को ५० लाख ६३ हजार रु० मिला है, बिहार को १ करोड़ १ लाख ६३ हजार रु० मिला है, मद्रास को १ करोड़ ४२ लाख रु० मिला है, वहां उत्तर प्रदेश को सिर्फ ७४ लाख रु० मिला है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जिसके लिये उन्होंने कहा कि खादी में इतना काम हुआ, मगर उसके लिये केवल ७४ लाख रुपया ही पा सके जहां अन्य प्रदेश हमसे कहीं अधिक ले गये।

विकास के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही गयीं। उद्योग के लिये सरकार हर साल जो कुछ रुपया रखती है लेकिन खर्च करते वक्त सबसे ज्यादा बचत इसी में होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो खर्च करने के लिये निर्धारित धन था वह ८ करोड़ ७६ लाख रु० था। सन् १९५६-५७ से लेकर १९५९ तक ५ करोड़ ३७ लाख रु० हमने खर्च कर पायी है। इसी प्रकार १९५७-५८ में औद्योगिक विकास (मुख्य) के लिये जो १ करोड़ रु० के लगभग धनराशि रखी गयी, उसमें ४६ लाख रु० की बचत हुई। विकास योजनाओं के लिये १ करोड़ ९८ लाख रु० रक्खा गया मगर उसमें ६१ लाख रु० की बचत हुई। यानी उद्योग के नाम पर जो रुपया रखा जाता है वही बचता है। दूसरी तरफ मिस्लेनियस चार्जेज बढ़ते जाते हैं। जिसमें स्थापना पर व्यय अत्यधिक बढ़ गया है।

सुदूरवर्ती और पिछड़े इलाकों की उन्नति का बड़ा ढोल पीटा जाता है। इन में दस-बारह जिले पूर्वी हैं, चार जिले बुन्देलखंड के हैं और चार पर्वतीय जिले हैं जो अब सात हो गये हैं। बड़ा ढोल पीटा जाता है कि हम औद्योगिक आस्थान लगाएंगे। पहाड़ में तीन जिलों के लिये औद्योगिक आस्थान का प्राविधान पहले ही पिछले साल के बजट में था जो अब लगाय जायेंग। मगर इसके लिये अल्मोड़ा का कहीं जिक्र भी नहीं है कि वहाँ मंजूर शुदा आस्थान कब बनेगा। मैं उसका जिक्र किसी जगह नहीं पाता। कहा गया था कि इसका प्राविधान वर्तमान नये बजट में किया जायगा लेकिन वह कहीं नहीं किया गया है।

हमारे लहरी जी को एक यह बहुत बड़ी शिकायत है कि सरकार ने चूड़ियां कम बनायीं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि इस सरकार ने दो ही चीजें तो ज्यादा बनाईं, एक शराब और दूसरी चूड़ी। जब कुछ काम नहीं होगा तो फिर चूड़ियों से ही काम लेगी सरकार और उस वक्त चूड़ियों का सदुपयोग करेगी। सन् १९४२ के आंदोलन के बीच में एक अंग्रेज लेडी से कुछ लोगों की बहस हुई। वह कहती थी कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते, हम तुमको दबा देंगे। मैंने कहा कि अगर हम सफल हो गए तब? तो उसने कहा कि फिर हम तुमसे शादी कर लेंगी। इसी तरह इस सरकार का हाल है, कि जब तक चल रहा है तब तक मनमानी करेंगे और जब न चलने का वक्त होगा तो चूड़ियां फिर पहनकर शादी कर लेंगे।

एक बात मुझे यह कहनी है कि और वर्ष कम से कम उद्योग की पुस्तिका में खनिकर्म का जिक्र तो होता था, पहले पहल तो हम इसका बड़ा शोर सुनते थे, कि फलां जगह मैग्नेसाइट मिला है, फलां जगह कापर शीसा या खड़ी निकला, इस तरह से कई चीजें बताई जाती थीं, लेकिन अब की बार माईनिंग डिपार्टमेंट का जिक्र तक कम से कम मुझे तो उसमें कहीं नहीं मिला। इससे पता लगता है कि सरकार उसके लिये कितनी उत्सुक है। एक कदम भी आज तक उसकी ओर नहीं उठाया गया है। दूसरे देश हमारे पड़ोस के देश जो हमसे बाद में आजाद हुए उनके यहां का मैटीरियल कब का खुद चुका, कब का प्रौसेस होकर हमारे अपने देश के बाजार में बिकने लगा। हमारे यहां जब हम बच्चे थे तब से सुनते रहे हैं कि अल्मोड़े में सीसा और सोप स्टोन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसके शोधन का सपना सपना ही रहा।

दूसरी बात, बरेली की रोजिन और टर्पेन्टाइन फैक्ट्री की है जिससे सरकार को बड़ी मुहब्बत है। ३० रुपये मन लीसा बाजार में पड़ता है या फैक्टरी के कागजों में दिखाया गया है १५ रुपया मन, इस तरह से वहां मुनाफा दिखाया जाता है जो संदिग्ध है। उसकी कैपेसिटी इधर कई गुनी कर दी गई है। तो एक तरफ उसके मुनाफे को मिलाया जाय और दूसरी तरफ क्षेत्रीय मूल्यांकन समिति के अनुसार मुनि की रेती की छोटी फैक्ट्री को केवल ५ हजार मन लीसा दिया गया। इस पर ६८ हजार रुपया उसने नफा कमाया और ५२९ मन कोटद्वार की फैक्टरी को दिया गया, उसको ३० हजार रुपया फायदा हुआ। सन् १९५७ में उससे ४१ हजार रु० का फायदा उसने उठाया। इस तरीके से मैं कहता हूं कि कुटीर उद्योगों पर क्यों नहीं सरकार सारा या अधिकांश लीसा देती है। क्यों सारे का सारा लीसा इस तरह से बड़ी

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

फैक्टरियों को दिया जाता है ? बार-बार हम कह चुके, एक अकेले मैं ही नहीं, उधर के बैठने वाले भी इसी बात को कहते हैं। लेकिन सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि लीसे की बात जब आती है, रोजिन टर्पेन्टाइन की बात आती है, तो सरकार हमेशा उसमें बड़े उद्योगों को मदद देती रही है।

कत्थे की बाबत बड़ी बहस हो चुकी है। इससे कच्छ जो निकलता है कहते हैं कि उससे बड़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस बहाने रियायती दरों पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों को सरकार ने खैर के पेड़ दे रखे हैं। लेकिन यह कच्छ निकालने का कार्य नये ढंग से छोटे पैमाने पर भी हो सकता है ऐसा वन विभाग वालों का कहना है। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इस कार्य को छोटे उद्योगों को छोटे पैमाने पर कार्य करने वालों को दिया जाय। गोंडे जिले में हजारों आदमी जिनको कि चांई कहा जाता है इस काम को करते हैं। तो उनकी रोजी छीनकर कृष्ण कत्था फैक्ट्री या किसी दूसरी बड़ी फैक्ट्री को आप क्यों देते हैं ?

इसके अतिरिक्त फलों की और पर्वतीय प्रदेशों की उन्नति की ओर भी बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं इशारा भर करना चाहूंगा कि अव्वल वहां की उन्नति के लिये बहुत कम रुपया रखा जाता है दूसरे जो रखा भी गया वह ज्यादातर खर्च नहीं होता। हकीकत यह रही है कि सन् १९५६-५७ में एक आइटम पर २० लाख रुपया रखा गया लेकिन उसमें करीब १५ लाख की सेविंग हो गई। यानी जो रुपया रखा गया वह बेकार गया। इस तरह से रखने से तो न रखना ही अच्छा है। इसी तरीके के और बहुत से आइटम्स हैं लेकिन चूंकि समय कम है इसलिये मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं।

इंस्टीट्यूशन्स को ग्रान्ट-इन-एड देने की बहुत सी बातें कही गईं। इसमें भी मैं सिर्फ एक इशारे के लिए कहना चाहता हूं कि हरप्रसाद, प्रेसीडेंट, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, फतेहगढ़, उनके बारे में पता लगा कि ग्रान्ट यूटिलाइज नहीं हुई और रुपया वसूलने की कार्यवाही में पता चला है कि वे लापता हैं। अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए अधाधुन्ध रुपया न देना चाहिये उसके बारे में नोट है :

"The grantee is not available at the address given in the application. Attempts have been made to contact the grantee but without any result."

ऐसे लोगों को कम से कम ग्रान्ट न दी जाय जो किसी खास काम के लिये ले जायं और दूसरे काम में उसको लगायें। जैसे कि अल्मोड़ा के कुछ राजनीतिक पीड़ित सज्जन कम्बल की योजना के नाम पर यहां से रुपया ले गये, लेकिन वहां जाकर उन्होंने गल्ले का व्यापार करना शुरू करे दिया।

अन्त में इतना और निवेदन कर दूं कि फलों के उद्योग के लिये जहां तक सवाल है उस के लिये बहुत कम रुपया रखा गया है और जो तवज्जह देना चाहिये वह नहीं दी गई। इस वजह से जो रुपया रखा भी गया था, फल संरक्षण तथा जड़ी-बूटी उत्पादन के लिये वह रुपया ज्यादा से ज्यादा लैप्स हुआ है। इसमें करीब २,२ १/२ लाख रुपया लैप्स हुआ है। ऐसी व्यवस्था करें कि यह रुपया लैप्स न हो।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो नये तीन जिले बनाये गये हैं उसकी भावना का मैं स्वागत करता हूं। यह कदम सही है लेकिन अधूरा है। जिस तरह से कन्ट्री के कंटेक्स्ट में जवाहरलाल जी नेहरू देश में कन्ट्री की इमोशनल इन्टीग्रीटी की बात कहते हैं उसी तरह से जिलों के सम्बन्ध में भी यह लागू किया जाना चाहिये। विशेषकर हमारे यहां पहाड़ी जिलों में उद्योगीकरण के सिलसिले में यह बहुत जरूरी है। इन जिलों में, जो बनाये जा रहे हैं, आप विकास करने जा रहे हैं। उसके लिये भारत सरकार रुपया दे रही है। सब जिलों को साथ ले लिया जाय तो वहां के गरीबों का बहुत भला होगा और प्रदेश की तरक्की होगी और सारे देश की तरक्की होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी तरफ अपना ध्यान देंगे।

श्री झारखंडे राय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी भाइयों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरे कट मोशन का समर्थन किया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इस बहस में भाग लेकर अपनी बातें यहां पर पेश कीं । मैं जानता हूं कि मेरे बाद माननीय मुख्य मन्त्री अवश्यमेव बोलेंगे । इसलिये समय का सदुपयोग सवालात के रूप में करना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री उन बुनियादी बातों की ओर अपना समय निकालकर जवाब देने की चेष्टा करेंगे ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पूंजीवादी फ्रेम वर्क को बगैर तोड़े हुये समाजवाद का निर्माण किसी भी दिशा में, किसी भी मात्रा में और किसी भी तरह से सम्भव है । अगर नहीं है---मेरा खयाल यह है कि नहीं है---तो यदि उनका भी यह खयाल है तो क्या वह बता सकते हैं कि समाजवाद के लक्ष्य की घोषणा हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी और उनकी केन्द्रीय सरकार के तौर तरीके में, रीति नीति में, इंडस्ट्रियल पालिसी में, कोई परिवर्तन बुनियादी आया है या नहीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि चीनी और कपड़े का उद्योग, जो हमारे प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं, चीनी का उद्योग तो सारे देश में करीब-करीब ७० प्रतिशत हमारे प्रदेश का ही उद्योग है, तो इन दोनों उद्योगों को पिछले सालों में लगातार मुनाफा होता गया, सन् १९३९ को यदि बेस ईयर मान लें, तो इन दोनों उद्योगों को पूरे देश के पैमाने पर चौगुना से अधिक मुनाफा हो रहा है ; ऐसी हालत में इन दोनों उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार को क्या दिक्कत है । क्यों सरकार उस तरफ कदम उठाती नहीं ? केवल रोडवेज या ऐसे ही छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के राष्ट्रीयकरण से काम नहीं चलेगा । समाजवाद की ओर कदम बढ़ाने का हमारे प्रदेश में कम से कम पहला मतलब होगा कि जो हमारे प्रदेश में सब से बड़े उद्योग हैं उन पर सरकार का कंट्रोल स्थापित हो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की चतुर्मुखी उन्नति के लिये उसकी चिरंतन गरीबी को दूर करने के लिये सबसे पहला उपाय हमारी समझ में यह है कि अगर घाघरा, राप्ती और गंडक की उसी प्रकार योजना बनाई जाय जिस प्रकार से डी० वी० सी० प्रोजेक्ट बन रहा है । उसी तरह के एक बहुत बड़े प्रयास को सरकार को अपने हाथ में लेना होगा तभी हमारे उत्तर प्रदेश की निर्धनता दूर हो सकेगी और वहां की जनता के जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन सम्भव होगा।

इसके अलावा मैं एक और बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा । मेरा निजी अनुभव रहा है, और जिस कमेटी के चेयरमैन के पद पर कार्य करने का सौभाग्य मुझे दो-ढाई वर्षों से रहा है उसके आधार पर, मैं यह महसूस करता हूं कि जो सरकार की ओर से रुपया इंडस्ट्रीज को चलाने के लिये दिया जाता है उसका बहुत दुरुपयोग होता है । उस दुरुपयोग को रोकने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को, इस सरकार को और उद्योग विभाग के उच्चाधिकारियों को तेज निगाह रखनी पड़ेगी और यह देखना पड़ेगा कि उस रुपये का दुरुपयोग न हो और जो रुपया जिस काम के लिये लिया जाय उसका उसी काम में उपयोग हो ।

हम यह भी चाहेंगे कि तृतीय प्लान जो बन रहा है उसके अन्दर कच्चे माल की खरीद के लिये भी कोई व्यापक योजना होनी चाहिये, उसके लिये वाजिब एसेसमेन्ट होना चाहिये ।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि करीब-करीब हर जिला में जो जिला इंडस्ट्रीज अधिकारी कार्य करते हैं वे केवल रुपया बांटने की एक मशीन बन गये हैं । उनका कार्य यह होना चाहिये कि वे इस बात को देखें कि उस जिले में जिसमें वे कार्य करते हैं, कौन-कौन सी काटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहियें, कौन-कौन सी पहले थीं जो समय के कारण अब नहीं हैं और जो बढ़ाई जा सकती हैं, और कहां पर किस प्रकार की काटेज इंडस्ट्री की आवश्यकता

[श्री झारखंडे रा य]

है वहां की उन्नति के लिये उनको यह देखना चाहिये कि वहां पर कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज को कितने पैमाने पर चलाया जा सकता है । इस ओर कोई भी ध्यान वे लोग नहीं करते । वे केवल रुपया बांटना ही जानते हैं । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ने भी एक इस बात का उलाहना दिया है कि हमारे यहां टेक्निकल हैन्ड्स की कमी है । इस ओर भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि जो संस्थायें चल रही हैं उनकी ट्रेनिंग के संबंध में, उनमें उनकी संख्या बढ़ाई जाय । उनमें उनकी काफी भर्ती हो, इसके लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये ।

केरल की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा बिड़ला डील की बात यहां माननीय सदस्यों ने उठाई । मैं एक बात कहना चाहूंगा । उसके पूरे टर्म्स तो मुझे नहीं मालम हैं और हो सकता है कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा वह ठीक हो—लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वह डील ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं था जो पहले पब्लिक सेक्टर में लिया गया हो, इसकी घोषणा की गई हो और बाद में उसको प्राइवेट सेक्टर में कर दिया हो । ऐसा मेरा मत है । इसके विपरीत मेरा चार्ज इस सरकार पर था और अब भी है कि सरकार ने जिन इंडस्ट्रीज के लिये बार-बार यह घोषणा की थी कि वह उन्हें पब्लिक सेक्टर में खोलेगी परन्तु बाद को उनको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया । एक एलान जब इसी सदन में अनेक बार हो चुका है, सरकार जब निश्चित घोषणा कर चुकी है पब्लिक सेक्टर के लिये, तो उससे उसको पीछे नहीं जाना चाहिये । इस प्रकार का एलान कांग्रेस पार्टी के महा र् अधिवेशन में किया गया था ।

इन शब्दों के साथ, मैं फिर ताईद करता हूं और आशा करता हूं कि उन प्रश्नों का और खास करके उन बुनियादी सवालों का जवाब वे देंगे क्योंकि वे बहुत बुनियादी बातें है और उन्हें साफ हो जाना चाहिये । उसके बाद उसके डिटेल्स में बहुत से मतभेद रह भी सकते हैं लेकिन इस सफाई से हम यह समझ सकते हैं कि समाजवाद की ओर सरकार का कदम बढ़ भी रहा है या नहीं या केवल वह एक नारा है, एक मंत्र है ? केवल एक माला है जिसको जपते जाओ और काम वही करते रहो जो कि उस घोषणा से पहले से किये जा रहे थे और जो समाजवाद के प्रतिकूल हो ।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद आता है, एक माननीय सदस्य ने, और शायद माननीय मोतीलाल जी अवस्थी ने, यह कहा था कि इस सम्बन्ध में मुझको अनुभव की कमी है और मुझको उन लोगों की, जो जानकार हैं, अनुभवी हैं, सलाह से काम करना चाहिये और उसको मानना चाहिये । शायद यह भी कुछ संकेत था कि कभी-कभी जब मुझको सलाह दी जाती है तब मैं कुछ झुंझला उठता हूं । शब्द कुछ भी रहे हों, शायद भाव उनका यही था । तो मैं इसको, इस बात को तो पूर्णतया स्वीकार करता हूं कि मेरे अन्दर ज्ञान और अनुभव की बहुत बड़ी कमी हैं और मैं यह भी नहीं कह सकता कि अब जो थोड़े बहुत दिन इस जिन्दगी के बाकी हैं उनमें कहां तक इस कमी की पूर्ति हो सकेगी; फिर भी कोशिश करना अपना धर्म है और मैं यह यकीन दिलाता हूं कि जो कोई भी सलाह प्राप्त हो उसको समझने की कोशिश करता हूं और यदि अपनी बुद्धि में वह सलाह बैठ जाय तो उसके अनुसार काम करने की कोशिश भी करता हूं और करूंगा ।

जहां तक झुंझलाने की बात है, अपनी भरसक से तो मैं अपने ऊपर काफी संयम रखता हूं लेकिन फिर भी यदि कभी मेरे स्वर से या मेरी मुद्रा से यह बात टपकी हो तो जिन माननीय सदस्यों के प्रति मैंने ऐसी गलती की हो उनसे विशेष रूप से, और साधारण रूप से इस सदन से, इसके लिये क्षमा चाहता हूं ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया !

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं इसकी इजाज़त नहीं देता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बिल्कुल स्पष्ट है और माननीय राजनारायण जी के शब्दों में बिल्कुल "सपष्ट" है ।

श्री राजनारायण---वह हमारा नहीं, माननीय नेगी जी का शब्द है । आप अपने दल की गलती हमारे सिर पर थोपना चाह रहे हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने तो आपके ही श्रीमुख से सुना था।

मांग के सम्बन्ध में एकाध बातें जरूरी हैं। कुछ मौलिक दृष्टिकोण का भेद है । अभी माननीय झारखंडे राय जी ने एक प्रश्न यह पूछा था कि क्या पूंजीवाद के रहते हुये साथ-साथ समाजवाद भी रह सकता है। इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है और वह यह कि पूंजीवाद और समाजवाद एक साथ नहीं रह सकते, किसी हालत में नहीं रह सकते । जहां समाजवाद होगा वहां पूंजीवाद नहीं रह सकता लेखा शीर्षक ७२--लेकिन एक बात और है। उन्होंने यह कहा कि समाजवाद ऐसा कोई शब्द बारबार दोहराते जाना इसका कोई अर्थ नहीं होता। मैं यह उनसे भी कहना चाहता हूं कि समाजवाद का शब्द दोहराते जाना या उसका अंग्रेजी अनुवाद "कम्युनिज्म" का शब्द दोहराते जाना भी उसी प्रकार है । लगभग सौ वर्ष मार्क्स या एंजिल्स या किसी दूसरे आचार्य ने कहा या जो आज से कुछ २५, ३० वर्ष पहले रूस या किसी और देश के आचार्य लेनिन या स्टेलिन या किसी व्यक्ति ने कहा, अब उन शब्दों को दोहराते जाना यह समझ करके कि यह दुनिया बहुत बदल चुकी है, वह ज्यों का त्यों है, यह भी समाजवाद नहीं है । समाजवाद इस जगत के लिये है, परलोक के लिये नहीं है। जब मानव जगत परिवर्तनशील है तो समाजवाद भी परिवर्तनशील होगा । उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, सब बातों को देखते हुये परिस्थिति के अनुकूल उसकी व्याख्या करनी होगी । जहांतक पूंजीवाद का अर्थ यह हो कि एक शख्स निरंकुश रूप से जितनी पूंजी चाहे उतनी संचित करता जाय और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका लड़का या कोई भी बिना किसी योग्यता के उसका मालिक हो जायं, जहां तक पूंजीवाद का अर्थ यह हो कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करे, उनके परिश्रम से लाभ उठावे तो यह समाजवाद के साथ टिक नहीं सकता परन्तु साथ ही समाजवाद में इस बात की जगह हो सकती है कि कोई व्यक्ति कल या कारखाना चलाता हो, उसको मालिक या जो भी कुछ कहा जाय, बशर्ते कि उसकी शोषण करने की नियत न हो, बशर्ते कि उसको जो मिलता हो वह उसी तरह से पुरस्कार मिलता हो जैसे किसी और को मिले, तो इस तरह की चीज़ जरूर सम्भव हो सकती है ।

एक बात और जो मैं मौलिक दृष्टि से कह रहा था वह यह कि कई माननीय सदस्यों को हमेशा उनकी आंखों के सामने पूंजीपति या उद्योगपति ही दीख पड़ता है, लेकिन मेरी दृष्टि का दोष है कि मेरे सामने केवल उद्योग ही रहता है । मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश कोई स्वतंत्र देश नहीं, उत्तर प्रदेश इंडियन यूनियन का एक अंग है उसको उन्हीं नीतियों का अनुसरण करना होगा जिन नीतियों को हमारे संघ ने अपनाया है । इस वक्त हमारे संघ की नीति यह है कि हमारी मिक्स्ड एकोनामी, मिली जुली अर्थ-व्यवस्था, होगी । उसमें माना गया है कि प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा । तो जब प्राइवेट सेक्टर है तो उसके माने जो कुछ भी हों, अधिकार कुछ भी हों परन्तु किसी न किसी माने में उस प्रकार का व्यक्ति होगा जिसको पूंजीपति कहा जाय या कुछ भी कहा जाय, लेकिन मजबूरी है जब कि यह चीज है । यह भी मैं मानता हूं कि जो शख्स कैपिटेलिस्ट या उद्योगपति कहलाता है वह जब किसी

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उद्योग को खड़ा करता है तो उस प्रकार का लक्ष्य नहीं होता जैसा कि किसी धर्मशाला वगैरह के बनवाने में होता है, वह पैसा कमाने के लिये वह काम करता है । उसकी यह भी कोशिश होती है कि आज यदि चार पैसे मिलते हैं तो उसके स्थान पर यदि आठ पैसे न सही तो कम से कम ५ पैसे अवश्य मिलने चाहियें । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि पूंजी के जिन दोषों से, पूंजीवाद के जिन दोषों से और पूंजीशाही के जिन दोषों से वे परिचित हैं उतना मैं भी परिचित हूं क्योंकि मुझे भी इस क्षेत्र में अधिक काम करने का अवसर मिला है । जहां तक हो सकेगा हम उनको शोषित करने की शक्ति पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन साथ ही यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में उद्योग खड़ा करना चाहता है तो उसकी जरूर मदद करेंगे, यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । यदि रुपये से सहायता देने की बात होगी तो वह भी करेंगे और यदि जमीन देने की बात होगी तो वह भी करेंगे, उसकी हर तरह से हम सहायता करेंगे। हमारा ध्येय यह है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग होने चाहिये । इस सम्बन्ध में अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है फिर भी थोड़े में कहता हूं कि अगर कोई कारखाना खुल जाय और उसमें ५० हजार आदमी काम करने लगें तो उससे भी हमारा कोई बेरोजगारी का प्रश्न हल नहीं होता क्योंकि अगले १० सालों में अनुमान है कि हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी साढ़े आठ करोड़ हो जायगी। इसलिये इतनी आबादी में अगर कुछ लाख आदमियों को कारखाने से रोजी मिल जाय तो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती । लेकिन और कई तरह के फायदे होते हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, उत्तर प्रदेश के लिये यह जीवन-मरण का प्रश्न हो जाता है । हम अभी तक मुख्यतः खेती पर निर्भर करते हैं । रूस, चीन या अमरीका की बात मैं नहीं कहता, लेकिन हम चाहे जितनी भी इंटेंसिव खेती करें हम अपना माल बाहर नहीं भेज सकते हैं और अगर अपनी आवश्यकताओं की दूसरी चीजें हम बाहर से मंगाते रहें तो हमारा दिवाला निकल जायगा । इसलिये उत्तर प्रदेश में कारखानों से चीजें पैदा होनी चाहियें । सरकार को भी इसी बहाने से पैसा मिल जाता है, सेल्स टैक्स से है, इन्कम टैक्स से है, इन सब कारणों से हम उद्योग को बढ़ा रहे हैं। हमारे सामने उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि उद्योग है। यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिये।

श्री झारखंडे राय—आज की हालत में दोनों को अलग कैसे करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कर रहे हैं, मनुष्य की बुद्धि इसी बात में होती है ।

एक बात उन्होंने यह कही थी कि कपड़े और चीनी के उद्योग को नेशनलाइज क्यों न किया जाय । उन्होंने उपमा दी थी रोडवेज की । रोडवेज के लिये हमारी सड़कें हैं, मोटरें हमारी हैं और लोग चलते हैं। अगर सारे हिन्दुस्तान की मिलें, सिवाय उत्तर प्रदेश के, जैसी की तैसी बनी रहें और हम उत्तर प्रदेश वाले नेशनलाइज कर दें तो वह भी जानते हैं कि प्रत्येक मिल वाला अपनी मिल को उठाकर यूनियन के किसी भी प्रदेश में ले जा सकता है । इसके लिये कोई रोक नहीं है । हां, पाकिस्तान या बाहर देश में जाने से तो हम रोक सकते हैं लेकिन दूसरे प्रदेश में जाने से नहीं रोक सकते ।

माननीय झारखंडे राय जी का जिक्र मैं खास तौर से इसलिये कर रहा हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से सबसे पहले उन्हीं की स्पीच हुई थी, और वह एक माउथपीस थे, या जो कुछ भी कहा जाये, थे उनका कहना है कि इस गवर्नमेंट ने कैपिटलिस्टों के सामने केवल हाथ-पैर ही नहीं टेक दिये बल्कि माथा टेक दिया है, सरेंडर कर दिया है, यह अंग्रेजी का शब्द उन्होंने प्रयोग किया । उन्होंने एक सबूत भी दिया कि वे लोग समय-समय पर कांग्रेस को चन्दा भी देते हैं। मैं छिपाता नहीं, देते हैं। कितना रूपया किसने दिया, यह तो मुझे याद नहीं है । हिन्दुस्तान में न जाने कितने राजा-महाराजाओं की रियासतें मर्ज करके उनसे राज्य छीन लिये गये लेकिन भगवान् की कृपा से उनमें भी ऐसे देशभक्त लोग हैं जो कांग्रेस के टिकट पर पार्लियामेंट में मौजूद हैं। वे कांग्रेस

का साथ देते हैं। माननीय झारखंडे राय जी व उनकी पार्टी ध्रुव हैं अपनी जगह, वे अपनी नीति नहीं बदल सकते हैं। सन् १९४२ में जब उनका यह खयाल था कि विदेशी शत्रुओं का साथ देना चाहिये, आज भी वही मौजूद हैं। चीन को आज भी वे आक्रमणकारी कहने के लिये तैयार नहीं हैं। जो देश-भक्ति की फूटी आंखों नहीं देख सकते थे, ऐसे लोगों में जिन्हें हमारी नीतियों से हानि हुई है उनमें भी आज देशभक्त राजे-महाराजे हैं। इन जमींदारों और ताल्लुकेदारों में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बावजूद इस नुकसान के कांग्रेस के साथ हैं। जाहिर है कि उनको यह बहुत अच्छा नहीं लगा होगा इसके अतिरिक्त जो सीलिंग लगने वाली है उससे जो लोग इधर बैठते हैं, वे भी प्रभावित होंगे, बावजूद इसके कि उनकी जमीन निकल जायगी, उससे उनको तकलीफ होगी, वे फिर भी कांग्रेस का साथ देंगे यही कारण है कि पूंजीपति आज भी कांग्रेस को रुपया देते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि कांग्रेस में हजार खराबियां सही लेकिन वह सदैव देश की रक्षा करेगी, कांग्रेस के रहने से देश में शान्ति रहेगी और कांग्रेस के हाथ में जब तक देश का शासन है तब तक देश की सत्ता माननीय झारखंडे राय जी और उनके जैसे विचारकों के हाथ में न जायगी, जिनके हाथ में जाने पर विदेशियों के हाथ में भी सत्ता जाने का अंदेशा हो सकता है। इन बातों का वे खयाल रखते हैं। इसलिये इसमें सरेंडर की कोई बात नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि हर उद्योग में फाल (fall) हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्त बहुत कम है इसलिये मैं कोई प्रमाण देना नहीं चाहता और इसलिये उन्होंने कोई प्रमाण देने की तकलीफ नहीं की, इसलिये उसका उत्तर देने में प्रमाण देने की तकलीफ मैं सदन को करूं, यह भी अच्छा नहीं होगा। उनका उत्तर कुछ अमरेश चन्द्र जी और कुछ बहुगुणा जी ने दे दिया। एक बार इन कागजों को देखें तो उनको मालूम होगा कि कितना प्रोडक्शन घटा है या बढ़ा है।

हमारी एफीशियेन्सी का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि चुर्क का सीमेंट ज्यादा दामों पर बिकता है। मुश्किल यह है कि उनका ऐटीट्यूड ही बड़ा खराब रहता है। माननीय गोविन्द सिंह जी ने खड़े होकर कहा जब कि माननीय राज नारायण जी का उपदेश मिल रहा था कि इस वक्त हमें गवर्नमेंट का जवाब देना है न कि इलेक्शन मेनीफेस्टो का। लेकिन मेरी निगाह में अपोजीशन का काम गवर्नमेंट का भी जवाब देने का नहीं है। चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, हम सब का कर्त्तव्य उत्तर प्रदेश की सेवा करना है और उसके लिये गवर्नमेंट को कोई सलाह देने की ही बात हो सकती है और शिकायत हो सकती है अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही हो। लेकिन माननीय झारखंडे राय जी ने बगैर साहित्य के अध्ययन किये हुए यह कह दिया कि चुर्क सीमेंट के दाम ज्यादा हैं, और यह सरकार की एफीशियेंसी है। सन् १९५४ के पहले सब जगह कीमतें एक-सी थी। सन् १९५३ में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने टैरिफ कमीशन बैठाया। उन्होंने यह बताया कि लड़ाई के बाद जो सीमेंट के कारखाने कायम हुये हैं उनके कायम करने में कैपीटल ज्यादा लगा और जो लड़ाई के पहले कायम हुये थे उनमें कैपीटल कम लगा था, इसलिये उन कारखानों को जो लड़ाई के बाद कायम हुये हैं, उनको सीमेंट का दाम ज्यादा मिलना चाहिये। उन्होंने चुर्क सीमेंट का दाम ७८ रुपया किया जो बाद में ६३ रुपया कायम किया गया। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उनकी इस बात को मान लिया। अब देश के अन्दर जो सीमेंट का बटवारा होता है वह स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के द्वारा होता है। आज हमारी सीमेंट की कीमत ५७ रुपया प्रति टन है। अब यह जो ज्यादा भी है तो इसलिये कि यह फैक्ट्री लड़ाई के बाद कायम हुई है। मगर ज्यादा भी कुछ नहीं है। इसलिये कि उत्तर प्रदेश में जिन-जिन कारखानों का सीमेंट बिकता वे है---ए० सी० सी०, अशोक और सौनविले, जिनमें से ए० सी० सी० और अशोक का दाम ६५ रुपया है और सोनविले का दाम ५९ रुपया तथा हमारी सीमेंट का दाम ५७ रुपया है। हां, हमारी सीमेंट का दाम ज्यादा

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

भी है और वह डालमियां भारत और डालमियां दादरी से जिनका क्रमश : ५४ और ५६ रुपया है। लेकिन इनका सीमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में आता नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिये स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ने जिन कम्पनियों का सीमेंट आने के लिये आज्ञा दी है उनके मुकाबले में हमारे दाम ज्यादा नहीं हैं।

फिर शिकायत किस बात की ? लेकिन मुश्किल यह है कि अगर ऐसा ऐटिट्यूड बना लिया जाय कि किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट में ऐब निकालना है, उसको ऐबी साबित करना ही है, तो बगैर अध्ययन किये हुये बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। यह जो बहुत सारा साहित्य बांटा जाता है उसके पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है।

एक शिकायत यह भी हुई कि जो छोटे उद्योग धंधे वाले हैं उनकी हम सहायता नहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कई बातों का जिक्र माननीय बहुगुणा जी ने किया। खास तौर से बुनकरों का नाम लिया गया। ठीक है, हर जिले में बुनकर हैं जो कपड़ा बुनकर ही अपनी रोटी चलाते हैं। उनकी सहायता होनी चाहिये लेकिन यह कहना बिलकुल गलत और निराधार है कि उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। प्रदेश के जिन जिलों में बुनकर हैं, जिनकी रोजी ही कपड़ा बुनना है। उनके बारे में जिनको थोड़ा बहुत भी अनुभव है, वे जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इस रोजगार ने कितनी तरक्की की है। झारखंडे राय जी मऊ को ही ले लें कि पहले वहां का रोजगार कैसा था और अब कैसा है। आखिर बिना गवर्नमेंट की सहायता के उनका रोजगार कैसे बढ़ गया ? उनकी तरक्की का कारण सरकारी सहायता ही है। आज मऊ में इस रोजगार ने इतनी तरक्की की है कि वहां से लाखों और करोड़ों रुपये का माल बाहर जाता है। हाथ से बुने कपड़े पर रिबेट मिलता है तथा मिल वालों से पैसे लेकर उनकी मदद की जाती है ताकि उनका माल सस्ता पड़े। फिर यह कैसे कहा जाता है कि गवर्नमेंट बुनकरों की मदद नहीं करती है ? बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, लखनऊ के चिकन रोजगार को ही देख लें कि अब तक चिकन के कपड़े की क्या हालत थी लेकिन आज हालत यह है कि चिकन का माल यहाँ से देश और विदेश को भी जाने लगा है। ऐसी हालत में यह कहना कि गवर्नमेंट बुनकरों की कुछ मदद नहीं करती है और इनके रोजगार को खत्म कर रहे हैं मिलवालों के मुकाबले में, बिलकुल निराधार और गलत है। सबको वस्तुस्थिति पर ध्यान देना चाहिये कि वस्तु-स्थिति क्या है।

खांडसारी का भी जिक्र किया गया। हर व्यक्ति को, जो प्रदेश के हित में दिलचस्पी रखता है, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हम खांडसारी और गुड़ की तरक्की चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक खांडसारी का मामला है, उस सम्बन्ध में यह कहना है कि एक तरह से दो नावों पर चलना शुरू हो गया है। खांडसारी का रोजगार बहुत बड़ा है, उसकी तथा गुड़ की भी हम तरक्की चाहते हैं। इसके लिये हमारी यह भी कोशिश है कि खांडसारी उद्योग के लिये जो छोटी-छोटी मशीन आदि की जरूरत पड़ती है उनको अपने यहां ही बनवाया जाय। इस तरह से हम चाहते हैं कि यह रोजगार पनपे और इसको पनपाना चाहिये, इसका विस्तार होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में बहुत सी शक्कर मिलें भी खड़ी हैं जिनमें करोड़ों रुपये लगे हुए हैं और उन्हीं मिलों के भरोसे पर किसान भी लाखों की संख्या में गन्ने की काश्तकारी करते हैं। अब जहां-जहां नहरों के द्वारा आबपाशी का प्रबन्ध बढ़ता जाता है उन स्थानों पर भी अब गन्ने की खेती होनी शुरू हो गई है। जैसे पूर्वी जिलों में बनारस के लोग चाहते हैं कि शाहगंज से ४० मील हटकर इन्दारा में एक शक्कर मिल खुलनी चाहिये। वह मिल कोआपरेटिव बेसिस पर हो या प्राइवेट बेसिस पर हो, लेकिन शक्कर मिल होनी चाहिये। एक तरफ हमको शुगर मिल वालों को भी देखना है जिनके करोड़ों रुपये उसमें लगे हुए हैं, दूसरी तरफ उन हजारों आदमियों की रोजी की तरफ भी देखना है जो बहैसियत मजदूर के उनमें लगे हुए हैं। माननीय झारखंडे राय जी पूर्वी जिले से आते हैं, उनके जिले में कोई शुगर मिल नहीं है। परन्तु

दधरिया, गोरखपुर, बस्ती जिले को देखा जाय तथा बाकी और जिलों को देखा जाय जहां पर शुगर मिले हैं, अगर वहां की शक्कर मिलें बन्द हो जायं तो वहां के किसानों की क्या हालत हो जायगी ? ऐसी हालत में हमको तो खांडसारी के रोजगार को भी रखना है और मिल वालों को भी जिन्दा रखना है । इसलिये मैंने कहा था इस वक्त दो नावों पर चलना शुरू हो गया है । खांडसारी और गुड़ उद्योग को हम तरक्की चाहते हैं । गन्ना जो है वह कैश क्राप है जिससे किसान को नक्द पैसा मिल जाता है और गुड़ उद्योग में भी बहुत से लोग लगे हुए हैं, इसलिये हमको तो दोनों बातों को निबाहना है । यह कहना गलत है कि मिल वालों का लिहाज करके हम खांडसारी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं । हम काश्तकारों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अगर कोई नई मिल खोलते हैं उनके लिये, वह हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे लिये नई मिल खोली जाय क्योंकि गन्ना बढ़ता जाता है । तो मिल चाहे कोआपरेटिव की हो या एक आदमी की हो, मेशीनरी तो वही है, चाहे मालिक कोई हो, उसकी जरूरत है, वह लगती है चाहे कैसी हो । इसलिये यह कहना निराधार है कि मिल वालों के लिहाज से हम खांडसारी को नुकसान पहुंचा रहे हैं । हम तो हमेशा सब के हित का लिहाज कर के एक ऐसा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि जिससे किसी का नुकसान न हो । अभी हमने कुछ नियम भी इस सम्बन्ध में बनाये थे, उनसे भी देखना है कि कहां तक लाभ या नुकसान होता है ।

एक चीज का और जिक्र हुआ उसको मैं स्वीकार करता हूं । हैन्डीक्राफ्ट्स के बारे में, कई माननीय सदस्य बराबर इस बारे में दिलचस्पी लेते रहे हैं और यह एक अच्छी बात है । इस समय श्री लारी मौजूद नहीं हैं । उन्होंने अभी हाल में खास तौर से जो हैदराबाद में हैन्डीक्राफ्ट्स का एक यूनिट है उसकी बदइंतजामी की तरफ ध्यान दिलाया था, उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं । हमारा उस विभाग की तरफ ध्यान गया इससे यह लाभ ही हुआ कि हमारे प्रदेश के अनेक हाथ की कारीगरी के रोजगार हैं जिनका बहुत अधिक रोजगार हुआ है, अपने प्रदेश में और अपने यहां तो कम दूसरे प्रदेशों में और दूसरे प्रदेशों से भी ज्यादा दसरे देशों में । बहुत सी ऐसी चीजें जिनको हम पढ़े लिखे लोगों ने छोड़ दिया है जैसे आज से कुछ दिन पहले देहातों में औरतें कुछ चीजें बनाती थीं, जैसे बांस के पंखे और छोटी-छोटी टोकरी जो आजकल शहरों में भले आदमियों के यहां आम तौर से इस्तेमाल होते, उन चीजों को हमारे देहातों में स्त्री पुरुष बनाते हैं, उन की पूछ आज योरोप के देशों में बहुत है और खासी मांग है । इस तरह से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के रोजगार से लाखों रुपये का रोजगार मिला है । लेकिन किसी विभाग के द्वारा अच्छा काम हुआ तो उस के माने यह नहीं हैं कि अगर उसमें कोई गलती हो तो उससे आंख बन्द कर ली जाय । जरूर कुछ खराबियां हैं और जैसा काम होना चाहिये वह अभी इतना संतोषजनक नहीं है जितना कि होना चाहिये । अभी दो दिन हुए ये काम मैंने खास तौर से माननीय बहुगुणा जी को सौंपा है कि वह इसको पूरे तौर से देखें और इस बात की जांच करें कि क्या चीज गलत है और कहां गलत है । वह उन सब बातों को देखेंगे और मुझे आशा है कि अब उसमें हर चीज की दुरुस्ती होगी और ये हैंडीक्राफ्ट्स का विभाग जो इतना उपयोगी है वह पहले की अपेक्षा और ज्यादा उपयोगी हो सकेगा और प्रदेश की अधिक सेवा करेगा ।

एक दो और बातें हैं जिनकी तरफ शायद किसी माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया लेकिन फिर भी उन बातों का जिक्र करना मेरे लिये मुनासिब होगा । जहां तक हमारी १५ वर्ष की प्लान बनाने की बात है, अभी किसी माननीय सदस्य ने, शायद माननीय नारायणदत्त जी ने या किसी और ने, जिक्र किया कि जब हम प्लान बनाते हैं तो हमें दो-चार साल की नहीं बल्कि लम्बी प्लान बनाना चाहिये ताकि हमारे सामने पूरी तस्वीर आ जाये और बाद में हम उसके टुकड़े करें । हमारा भी ऐसा ही खयाल इस विषय में पहले से ही था और इसलिये हमने कई मास हुए एक कमेटी हैवी इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में कायम की थी कि वह देखे कि यहां कौन सी इंडस्ट्रीज चल सकती है और फिर पूरी १५ साल की तस्वीर में से अगले पांच साल की एक रूपरेखा सामने आये । उस कमेटी ने अपने को १७, १८ कमेटियों में बांटा ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आज माननीय झारखंडे राय जी ने दो-तीन रोजगारों का जिक्र किया जो यहां चल सकते हैं, प्लास्टिक का और कागज वगैरह का । मैं उनको बता दूं कि हमारे यहां सोचा गया है कि यह-यह रोजगार चल सकते हैं । उनकी सूची यह है पल्प एन्ड पेपर, प्लास्टिक, सिरेमिक्स, फर्टीलाइजर ऐन्ड कैमिकल, आयल पेंट्स एण्ड वार्निशेज, इलेक्ट्रिक ऐन्ड इंजीनियरिंग गुड्स, मैंकेनिकल इंजीनियरिंग गुड्स, शुगर इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का सामान, चुर्क सीमेंट फैक्टरी । काफी सामान है, अभी गवर्नमेंट ने पूरे तौर से इस विषय में सोचा नहीं है । अभी बहुत सी दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी मश्विरा करना है, उसके बाद ही अन्दाज हो सकेगा कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से हम देश में उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं । अभी हम इस बारे में सोच रहे हैं । एक रिपोर्ट बांटी गई थी विकास सम्बन्धी जो क्रम है उसकी बाबत । उसे देखा होगा । उससे कुछ अन्दाजा लगा होगा कि हम कितना रुपया खर्च करने का विचार करते हैं अगली पंचवर्षीय योजना में । क्या हो सकेगा, यह हम नहीं जानते। थोड़ा-सा जिक्र मैं उसका भी किये देता हूं ।

स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में सेकेन्ड प्लान में करीब ९ करोड़ ७० लाख रुपया था । अगले प्लान के लिये हमने सोचा है २२ करोड़ ३९ लाख रुपया । मैं यह नहीं कहता कि इससे स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का सारा काम हो जायगा, लेकिन कितनी हमारी शक्ति है यह भी देखना होगा । कितना हमारा ट्रेड परसोनेल है, कितनी शक्ति है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हम २२ करोड़ ३९ लाख खर्च कर पायेंगे । हैवी इंडस्ट्रीज की जो बात है उसमें करीब ५१० करोड़ रु० रक्खा है; पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोआपरेटिव सेक्टर सब को मिला कर । इंडस्ट्रीज के लिये ५०० करोड़ रुपया हमको मिलेगा या नहीं, यह हम नहीं जानते । अभी तो हमारा प्लान होगा, फिर गवर्नमेंट आफ इंडिया विचार करेगी और फिर प्लानिंग कमीशन में शास्त्रार्थ होगा । लेकिन मैं सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि हम पयूचर में किस तरह की तस्वीर रखना चाहते हैं जिससे कि इस प्रदेश की चतुर्मुखी तरक्की हो सके, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में, हैवी इंडस्ट्रीज में और काटेज इंडस्ट्री में । ऐसी चीजें पैदा हों जिनको हम बाहर भेज सकते हैं, फारेन एक्सचेंज ला सकते हैं ।

इंडस्ट्रीज के साथ-साथ एक चीज पावर की होती है । मैं उन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता जिनका पहले कर चुका हूं जैसे रिहन्द का, या थर्मल प्लान्ट का । इस वक्त भी हमारे प्रदेश में कई तरफ से मांग है पावर की । मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा---कई जिलों से मांग है । हमने एक काम किया, चाहे कुछ महंगा ही पड़े । हम यह कर रहे हैं कि प्रदेश या देश में जहाँ डीजल सेट्स मिलते हैं उन्हें खरीद रहे हैं और काफी खरीदे हैं । हम यह चाहते हैं कि पावर दो-तीन महीने में दे दें । हम यह नहीं चाहते कि कोई इंडस्ट्री निराश हो कि हमारे पास पावर नहीं है । हमको इस बात की आशा है कि इस दृष्टि से भी हम काफी सफलता प्राप्त कर सकेंगे ।

मैं नहीं चाहता कि एक ही बात को बार-बार कहूं । लेकिन बाजी बात ऐसी होती है कि फिर कहनी पड़ती है । यह काम बहुत बड़ा है कि इंडस्ट्री बन जाय, जैसा मैंने पहले कहा, जब्त की जाय, न की जाय, वह मैं नहीं जानता । लेकिन इस वक्त यह बहुत जरूरी है कि जहां और चीजों पर ध्यान देते हैं वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी ध्यान दें । हर तरह की इन्डस्ट्री पर ध्यान दें चाहे बड़ी हो, छोटी हो या मझोली हो । यह काम तभी हो सकता है जब कि सब लोगों का सहयोग और सहायता प्राप्त हो ।

जो आज हमारे यहां स्पीचेज हुई हैं उनमें हमारे काम करने के ढंग के संबंध में शिकायत की गई, मसलन लोगों को लोन दिया जाता है वह समय से नहीं मिलता, कई जगह दौड़ना पड़ता है । हमने इस प्रोसीजर को हल्का किया है । फिर भी जो सुझाव दिये गये हैं हम देखेंगे, क्योंकि एक तरफ रुपया दें इसलिये कि इंडस्ट्री सेट अप हों और दूसरी तरफ वह सेट अप न हों तो हमको इन सब बातों को देखना है । मैं इस तरह के सुझावों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार को सभी माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा ।

जहां तक कटमोशन का सवाल है, मेरा ख्याल है, माननीय झारखंडे राय जी भी नहीं चाहते होंगे कि उद्योग के अनुदान में एक पैसा भी कम हो। इसलिये जब लोग उनके कटमोशन का विरोध करेंगे तो उनको दिल से खुशी होगी।

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं अनुदान संख्या ४९ पर माननीय झारखंडे राय जी का कटौती का प्रस्ताव लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सम्भावनाओं के अन्वेषण हेतु अलग विभाग की स्थापना, खनिज पदार्थ की शोध कराना तथा बड़े पैमाने पर विकास हेतु उपाय, वर्तमान नीति की आलोचना एवं सुझाव।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९---औद्योगिक विकास---लेखा शीर्षक ७२---औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १,२५,१२,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या २९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है।

राज्य के सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना और छोटे उद्योंगों को व्यापक पैमाने पर सहकारिता के आधार पर चलाना, वर्तमान उद्योग नीति की आलोचना करना और सुझाव प्रस्तुत करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९---उद्योग---लेखा शीर्षक : ४३---उद्योग (Industries) के अन्तर्गत ६,०९,४३,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
७ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५१ पर)

Report on the general health of under-trial Ramdhari Singh who was arrested under section 309, Indian Penal Code and is confined in Sadar Lock-up, Gorakhpur.

Weight—102 lb.

Condition—Satisfactory.

Remarks—The under-trial refuses food—had to be fed by tubes—he is not resisting when fed. He walks in the Hospital four or five times a day and takes his bath at the tap without anyone's help. He is fed B. D. (twice a day) with *dal* and rice soups, milk 1-1/2 seers, one egg, shark liver oil and vitamins. If the feeding time is delayed, he gets angry. As he has developed a practice of getting foods by means of tube, he is not showing any intention of giving up his strike as he calls it. His general condition is getting better day by day.

(Sd.) B. S. KALSAY,
A. M. O., Sadar Lock-up,
Gorakhpur.

February 29, 1960.

प्रेस प्रति

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५६ पर)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना (इम्प्लाइज प्राविडेण्ट फंड स्कीम) की मुख्य-मुख्य बातें

संशोधित इम्प्लाईज प्राविडेंट फण्ड ऐक्ट, १९५२, सरकारी फैक्टरियों के, जिनमें ५० या अधिक कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना (इम्प्लाईज प्राविडेंट फण्ड स्कीम) से लाभ उठाने की व्यवस्था करता है। उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत प्राविडेंट फण्ड योजना १८ मई, १९५८ से समस्त सरकारी फैक्टरियों पर लागू है। योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :

(१) सभी कर्मचारी, जिनका मूल वेतन ५०० रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है, यदि वे एक साल लगातार काम कर चुके हैं या १३ मास की अवधि में कम से कम २४० दिन वास्तव में काम कर चुके हों, चाहे वह स्थायी हों या अस्थायी हों और दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या अल्पकाल मजदूरी के आधार पर नियुक्त हों, इस फण्ड के सदस्य होने के अधिकारी हैं।

(२) मालिक और कर्मचारी को हर महीने बराबर-बराबर अंशदान देना होता है अंशदान की दर मूल वेतन तथा महंगाई का (यदि कोई खाद्य सहायता महीने में कर्मचारी को दी जाती हो तो उसको जोड़ कर) सवा छः प्रतिशत होगा।

(३) प्रत्येक सदस्य उस धन को, जो उसकी मृत्यु के समय उसके खाते में जमा हो, उस दशा में जब कि उसकी मृत्यु खाते में जमा धन के, उसको स्वयं भुगतान होने से पहले हो जाय, प्राप्त करने का अधिकारी मनोनीत करेगा।

(४) सदस्य के खाते में जमा धन ब्याज समेत, ६ महीने में एक बार जीवन बीमा पालिसी के भुगतान के लिए निकाला जा सकता है। दूसरे कार्यों के लिए कर्मचारी को साधारणतया ३ मास का मूल वेतन या सव्याज जमा धन का ५० प्रतिशत, जो भी कम हो, ऋण के रूप से स्वीकृत किया जा सकता है। दूसरा ऋण, पहले ऋण के भुगतान के तीन महीने तक न मिल सकेगा।

———

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५८ पर)

शक्कर का प्रति सेर बाजार भाव	सरकार द्वारा निर्धारित प्रति सेर डी० २९ श्रेणी की शक्कर का भाव
अप्रैल, १९५९—९४ नये पैसे से १ रु० ३ नये पैसे तक ..	——
मई, १९५९—९८ नये पैसे से १ रु० ४४ नये पैसे तक ..	——
जून, १९५९—१ रु० ४ नये पैसे से १ रु० २५ नये पैसे तक ..	९७ नये पैसे
नवम्बर, १९५९—१ रु० से १ रु०२५ नये पैसे तक ..	९७ नये पैसे से १रु० १ नये पैसे तक।

विधान भवन

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६३ पर)

जिला बाराबंकी में स्थित स्वीकृत ईंट भट्ठों की सूची तथा सन् १९५७, १९५८ व १९५९ में जो कोयला उनको ईंट पकाने के लिये दिया गया उसका विवरण

(संख्या वैगनों में)

क्रम-संख्या	भट्टे वालों का नाम	स्थान	जो वैगन एलाट किया गया		
			१९५७, जनवरी-दिसम्बर	१९५८, जनवरी-दिसम्बर	१९५९, जनवरी-दिसम्बर
१	२	३	४	५	६
१	पं० किशन चन्द ..	मांझपुरवा	६	९	१९
२	सर्वश्री स्टैण्डर्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी..	निजामपुर (१९५८ तक) तत्पश्चात् पफेरा।	४	६	९
३	,, हाजी वसी उद्दीन ..	कुसमार	७	११	२२
४	,, अब्दुल रऊफ किदवाई ..	मयारा	२	८	११
५	,, मुहम्मद मूसा ..	ढकौली	२	८	२१
६	,, मथुरा प्रसाद हनुमान प्रसाद ..	मुरलीगंज (१९५७ तक) तत्पश्चात् सुन्धियामऊ।	२	९	१०
७	,, आदर्श कम्पनी ..	हरख	५	२	१४
८	,, मुहम्मद सुहैल ..	लक्ष्मीपुर	८	९	१६
९	,, राम सिंह ..	मुरलीगंज	५	६	३०
१०	,, नसीउर रहमान किदवाई ..	बड़ा गांव	३	६	२१
११	,, इन्द्र बहादुर सिंह ..	ऐहर	७	५	१३
१२	,, अजीम उद्दीन अशरफ ..	देवा	२	४	५
१३	,, जहुरुल हसन ..	बेलहारा	३	५	९
१४	,, मेंहदी हसन हकीम उद्दीन	देवखरिया	४	४	१६
१५	,, भजन लाल शान्ती चन्द्र ..	सफदरगंज	२	३	९
१६	,, विशम्भर सिंह ..	अगनपुर	५	७	८
१७	,, रघुबीर प्रसाद ऐन्ड सन्स ..	उतिया	४	६	८
१८	,, विशाल सिंह ..	सरेहमऊ	३	६	९
१९	,, रफी मेमोरियल ..	मसौली	२	१२	१३
२०	,, मुहम्मद शफात किदवाई ..	नेवलाकरसन्डा (१९५८ तक) तत्पश्चात् जैदपुर।	२	६	९
२१	श्रीमती सुशीला देवी ..	फैजुल्लागंज	६	८	१७

(संख्या वैगनों में)

क्रम-संख्या	भट्टे वालों का नाम	स्थान	जो बगन एलाट किया गया १९५७, जनवरी-दिसम्बर	१९५८, जनवरी-दिसम्बर	१९५९, जनवरी-दिसम्बर
१	२	३	४	५	६
२२	सर्वश्री शाह अब्दुल अली	.. चक काजीपुर (१९५८ तक) तत्पश्चात् बैलहारा।	३	७	१०
२३	,, महाबीर प्रसाद	.. सतोखर तालाब	५	५	१३
२४	,, मुहम्मद अशरफ	.. मुफकारनगर (१९५८ तक) तत्पश्चात् ढकौली।	२	८	१२
२५	,, मुहम्मद इस्माईल	.. पलहरी	४	६	१६
२६	,, डी० एन० गोयल	.. बरैल	२	४	१२
२७	,, रघुनन्दन प्रसाद	.. चिरैयाबाग (१९५८ तक) तत्पश्चात् सोहील-पुर।	१	५	११
२८	,, मुहम्मद सबूर राम चन्द्र	.. फतेहपुर	४	६	१०
२९	,, रामेश्वर प्रसाद अन्सार हुसैन	पतरंगा	५	७	१९
३०	,, शैख विलायत अली	.. चिलौकी	२	५	७
३१	,, ब्रिज मोहन लाल गुप्ता	.. नगेश्वरनाथ मन्दिर।	२	५	१०
३२	,, एम० जे० जानी	.. चिरैयाबाग	३	६	१७
३३	,, दबीर उद्दीन किदवाई	.. मिथवारा	१	७	१
३४	,, राम लाल हकीम राय	.. मांझपुरवा	१	५	५
३५	,, गया प्रसाद अवस्थी	.. कोठी	१	६	५
३६	,, जगदम्बा बक्स सिंह	.. पूरे टालेसिंह]	३	४	११
३७	,, बी० एस० जैसवाल	.. पलहरी (१९५७ तक) तत्पश्चात् सुल्तान-पुर।।	१	४	१०
३८	,, राम भरोसे सादी लाल	.. शहाबपुर	१	३	६
३९	,, राधे श्याम सिंह	.. टिनडोला	१	५	८
		योग ..	१२६	२३८	४७२

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६७ पर)

प्रदेश में नवम्बर, १९५८ तथा नवम्बर, १९५९ में विभिन्न दड़ा किस्म के खाद्यान्नों के उपभोक्ता बाजार में प्रति मन थोक भाव की तालिका

क्रम-संख्या	खाद्यानों के नाम	खाद्यानों के उपभोक्ता बाजार के थोक भाव (खुले बाजार में)		विशेष विवरण
		नवम्बर, १९५८ रु० प्रति मन	नवम्बर, १९५९ रु० प्रति मन	
१	गेहूं ..	२०.५९ से २४.६२ तक	१४.०० से १६.०० तक	पहाड़ी क्षेत्रों के अतिरिक्त।
		*{१० मन से अधिक क्रय-विक्रय पर कन्ट्रोल भाव।}		
२	चावल नं० ३ अरवा	१९.०६ से २६.६१ तक	१६.७५ ..	गवर्नमेंट को खरीद के जिलों में।
		*{१० मन से अधिक क्रय-विक्रय पर कन्ट्रोल भाव।}		
		२२.००	२३.५० ..	गवर्नमेंट खरीद के जिलों के अतिरिक्त जिलों में।
३	चना ..	१८.०० से १९.७५ तक	११.५० से १४.५० तक	
४	मक्का ..	१३.१३ से १५.२५ तक	१०.००से १३.०० तक	
५	बाजरा ..	१३.०६ से १६.२५ तक	११.६४ से १४.५० तक	

*फुटकर भाव प्रति मन नवम्बर, सन् १९५९ में। {गेहूं तथा चावल के १० मन अथवा इस से कम की खरीद के फुटकर भाव प्रति मन :
गेहूं १६.८४ से २३.०० रु०।
चावल नं० ३ (अरवा) २०.०० से २५.०० रु०।}

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६७ पर)

प्रदेश के विभिन्न जिलों में १ सितम्बर, १९५९ से १ दिसम्बर, १९५९ तक बढ़ी अथवा घटी दुकानों की संख्या की तालिका

	जिले का नाम	बढ़ी अथवा घटी दुकानों की संख्या		जिले का नाम	बढ़ी अथवा घटी दुकानों की संख्या
१	आजमगढ़	+५०	२७	बिजनौर	—
२	बलिया	+६०	२८	पीलीभीत	—
३	बस्ती	+१८	२९	खीरी लखीमपुर	—
४	देवरिया	+३२	३०	राय बरेली	—
५	गाजीपुर	+ ७	३१	बाराबंकी	—
६	गोरखपुर	+४१	३२	टेहरी गढ़वाल	+१०
७	जौनपुर	+७०	३३	देहरादून	—
८	वाराणसी	+ १	३४	आगरा	+ ३
९	मिर्जापुर	+४२	३५	मेरठ	—
१०	गोंडा	+ २	३६	सहारनपुर	+ ९
११	बहराइच	+ २	३७	मथुरा	—
१२	अल्मोड़ा	+३७	३८	मुजफ्फरनगर	(–)२
१३	गढ़वाल	+ ६	३९	अलीगढ़	—
१४	नैनीताल	+११	४०	बुलन्दशहर	—
१५	फैजाबाद	+४१	४१	मैनपुरी	—
१६	प्रतापगढ़	+ ५	४२	एटा	—
१७	सुल्तानपुर	+१७	४३	बांदा	—
१८	लखनऊ	—	४४	फतेहपुर	—
१९	बरेली	—	४५	इलाहाबाद	+ १
२०	रामपुर	—	४६	कानपुर	(–)९
२१	मुरादाबाद	+१२	४७	फर्रुखाबाद	—
२२	सीतापुर	—	४८	झांसी	—
२३	उन्नाव	+ ४	४९	इटावा	—
२४	बदायूं	—	५०	हमीरपुर	—
२५	हरदोई	—	५१	जालौन	—
२६	शाहजहांपुर	—			

\+ बढ़ी हुई दुकानें।

(–) घटी हुई दुकानें।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३–६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७१ पर)

तालिका "क"

क्रम संख्या	फार्म का नाम	तहसील का नाम	फार्म का क्षेत्रफल (एकड़ में)
१	२	३	४
१	सिसई कैम्पिंग ग्राउण्ड ..	हरैया	३०.८१
२	बंजरिया ..	बस्ती	८७.२८६
३	रसालपुर ..	नौगढ़	५१.२५
४	गहरवार ..	नौगढ़	५१.२५
५	सेहरी बुजुर्ग ..	बांसी	२८.२५
६	अमरडीह ..	डोमरियागंज	३५.००
७	खेरौला ..	डोमरियागंज	४६.००

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७२ पर)

प्रदेशीय फसल प्रतियोगिता

१९५७–५८			१९५८–५९		
काश्तकार का नाम	फसल का नाम	पुरस्कार का स्थान	काश्तकर का नाम	फसल का नाम	पुरस्कार का स्थान
१––श्री जय लाल वर्मा, ग्राम सेलडे, जिला अल्मोड़ा।	धान	प्रथम	१––श्री श्यामलाल वर्मा, ग्राम सेलडे, जिला अलमोड़ा।	धान	प्रथम
२––श्री केसर सिंह, मकौनी, ग्राम मंगा, जिला अल्मोड़ा।	धान	द्वितीय	२––श्री जय लाल वर्मा, ग्राम टीट बाजार, जिला अल्मोड़ा।	धान	द्वितीय
३––श्री श्याम लाल वर्मा, ग्राम सेलडे, जिला अल्मोड़ा।	धान	तृतीय	३––श्रीमती भगवती, देवी, ग्राम टीटा बाजार, जिला अल्मोड़ा।	धान	तृतीय
१––श्री रणधीर सिंह, ग्राम माच्छा, जिला कानपुर।	गेहूं	प्रथम	१––श्री रणधीर सिंह, ग्राम माच्छा, जिला कानपुर।	गेहूं	प्रथम
२–फार्म अधीक्षक, कृषि फार्म शाहगढ़, जिला पीलीभीत।	गेहूं	द्वितीय	२––श्री जगदीश नारायन सिंह, ग्राम गंगापुर, जिला नैनीताल।	गेहूं	द्वितीय
३––श्री मंगल प्रसाद, ग्राम रानीपुर, जिला शाहजहांपुर।	गेहूं	द्वितीय	३––श्री दयाशंकर हजेला, बलरामपुर, जिला गोंडा।	गेहूं	तृतीय
४––श्री कौशल प्रसाद, ग्राम नाकुर, जिला सहारनपुर।	गेहूं	तृतीय			
१–– ..	आलू	प्रतियोगता नहीं हुई	१––श्री अब्दुल सलाम, पुत्र मुल्ला अहमद, सिकन्दर-बाद, जिला बुलन्दशहर।	आलू	प्रथम

नोट––(१) इस वर्ष प्रदेशीय स्तर पर आलू की प्रतियोगता में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया क्योंकि उपज बहुत कम हुई थी।

(२) इस फसल प्रतियोगता के हर स्तर पर केवल प्रथम पुरस्कार ही रहता है।

प्रदेशीय गन्ना प्रतियोगिता

१९५७–५८			१९५८–५९		
काश्तकार का नाम	फसल का नाम	पुरस्कार का स्थान	काश्तकार का नाम	फसल का नाम	पुरस्कार का स्थान
१—श्री जगदेव चौधरी, जिला बस्ती ।	गन्ना (पौधा)	प्रथम	१—श्री पी० एन० मेहता, जिला नैनीताल ।	गन्ना (पौधा)	प्रथम
२—श्री अल्ताफ हुसैन, जिला नैनीताल ।	,,	द्वितीय	२—श्री विरेंद्र सिंह, जिला मेरठ ।	,,	द्वितीय
३—श्री पी० एन० मेहता, जिला नैनीताल ।	,,	तृतीय	३—एस्कार्ट फार्म, जिला नैनीताल ।	,,	तृतीय
१—श्री पी०एन० मेहता, जिला नैनीताल ।	गन्ना (रैटून) (पैडी)	प्रथम	१—एस्कार्ट फार्म, जिला नैनीताल ।	गन्ना (रैटून) (पैडी)	प्रथम

नोट—गन्ना के रैटून फसल में केवल प्रथम पुरस्कर दिया जाता है।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७२ पर)

सूची "क"

गोरखपुर जिले के सहकारी बीज भंडारों द्वारा किसानों को वितरित रबी बीज वर्ष ५९-६० का विवरण—

क्रम-संख्या	बीज भंडार का नाम	वितरित बीज का परिमाण मन	सेर	छ०	क्रम-संख्या	बीज भंडारों का नाम	वितरित बीज का परिमाण मन	सेर	छ०
१	मिथवा बजार ..	७१२	३२	०	२७	कुरी बाजार ..	१७३	२५	०
२	देव घाटी ..	४६६	२०	०	२८	मौनपुर ..	१६५	२३	८
३	मोतीराम अड्डा ..	७२८	१५	०	२९	काठा ..	६८९	१८	८
४	पकारी नौनियां ..	४०३	१०	०	३०	आशापार ..	२३९	२०	०
५	लेजर महादेव ..	४९१	१९	०	३१	मल्हानपार ..	१७०	०	०
६	खेम पिपारा ..	३६८	२७	०	३२	अरांव जगदीश ..	६९३	३०	०
७	लक्ष्मीपुर अकडंगा	२४९	३०	०	३३	भैसा बाजार ..	५५०	४	०
८	मिटौली ..	६०८	६	०	३४	हाटा ..	२२४	२५	०
९	मनीराम ..	९८३	३८	०	३५	दरिया मिसर ..	१९०	०	०
१०	डेवरा ..	१,२१९	१२	०	३६	राम नगर ..	१६९	१०	०
११	गुलाबा बाजार ..	१,००६	६	०	३७	भांटपार ..	१६९	१०	०
१२	नौतनवा ..	६१८	२८	०	३८	मदनपुरा ..	२२३	१०	०
१३	पिपरौली ..	२१५	२४	८	३९	गोला ..	४४३	१५	०
१४	दोहरिया बाजार	३८२	२१	०	४०	गागाट्ठा ..	६५७	३३	०
१५	रेतबहिया ..	३८४	४	०	४१	लहसरी ..	२३४	३३	०
१६	भटहेट ..	१,८०१	३४	०	४२	सदगुर ..	४१८	३८	०
१७	जगदीशपुर ..	३२७	३७	८	४३	निचलौल ..	४९१	२४	०
१८	बेलीपार ..	१७९	३	८	४४	श्याम डेरवा ..	१,३२८	१२	०
१९	मिसरौलिया ..	२००	०	०	४५	कनोछा ..	४५१	२५	४
२०	रेतवाखोर ..	२६५	०	०	४६	कर्महा ..	३७४	१२	०
२१	गरौरा ..	४२०	१९	०	४७	धानी बाजार ..	२९९	२५	०
२२	लक्ष्मीपुर ..	३२०	३०	०	४८	पीपीगंज ..	१११३	३	०
२३	जगदीशपुर (एस)	४३३	१८	०	४९	भावा पार ..	१५०	०	०
२४	परतवाल बाजार	१,४२८	३७	८	५०	बन्स पार ..	३४७	५	०
२५	बहादुरी बाजार	३२९	१७	०	५१	सरहारी ..	९४१	१०	०
२६	चौरी-चौरा ..	४५५	१७	५	५२	आनन्दनगर ..	४९७	१०	०

सूची "ख"

गोरखपुर जिले में सहकारी बीज भण्डारों द्वारा किसानों को वितरित खरीफ बीज वर्ष १९५९–६० का विवरण।

क्रम-संख्या	बीज भंडारों के नाम	वितरण बीज का परिमाण			क्रम-संख्या	बीज भंडारों के नाम	वितरण बीज का परिमाण		
		मन	सेर	छ०			मन	सेर	छ०
१	सरहरी ..	४९९	१९	०	२१	परतवाल ..	१,५४३	०	०
२	भांटमार ..	९६	०	०	२२	मियवा ..	२,५७६	१९	०
३	लेजर महादेव ..	१,४६०	८	८	२३	सतगुर ..	६९६	१५	०
४	आनन्दनगर ..	८४०	३३	०	२४	लहसर ..	११२	३९	०
५	रेतवा खोर ..	२३४	०	०	२५	मोतीराम अड्डा ..	४१०	३०	०
६	जगदीशपुर (एस)	१,१६०	२५	०	२६	लक्ष्मीपुर अकंडगा	५५५	०	०
७	बहादुरी बाजार	७००	०	०	२७	मिटौली ..	१,८२८	२०	०
८	पिपरौली ..	१७५	२५	८	२८	लक्ष्मीपुर ..	१,८९८	२०	०
९	जगदीशपुर (बी)	१८८	२१	०	२९	देवघाटो ..	२६१	३५	०
१०	वेलीपार ..	२६	३७	०	३०	नौतनवा ..	२,०९०	२०	०
११	गुबरीहा ..	१,५२०	३४	०	३१	नगोहा ..	१४९	१६	४
१२	माइट ..	२,५६०	१७	०	३२	गाला ..	९१	२४	०
१३	धारा बाजार ..	१००	०	०	३३	बरांव जगदीश ..	२२०	३६	०
१४	पीपीगंज ..	३७५	०	८	३४	मनीराम ..	१५७	३२	०
१५	कनैछा ..	१७८	३	१२	३५	रेतवहिया ..	१८७	४	०
१६	काथा ..	२०५	१४	०	३६	निचलौल ..	३,१७७	२०	०
१७	आशापुर ..	१००	०	०	३७	गोरौरा ..	२,५१२	२०	०
१८	भैंसा बाजार ..	१५९	०		३८	चौरी-चौरा ..	३०६	२६	४
१९	श्याम डेरवा ..	२,२७७	०	०	३९	पकरी नौनियां ..	१,०८७	२०	०
२०	डेरवा ..	२,८५५	०	०	४०	खान पियरा ..	६८९	२०	०

तत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ के पीछे पृष्ठ ७७३ पर)

सूची "ग"

१-४-५९ से ३१-१२-५९ तक गोरखपुर के बीज भंडारों द्वारा विवरण

क्रम-संख्या	बीज भंडारों के नाम	अमोनियम सल्फेट	सुपर फास-फेट	यूरिया	मिक्सचर
१	२	३	४	५	६
		टन	टन	टन	टन
१	रतवा खोर ..	१४.७०	—	—	—
२	भैंसा बाजार ..	३४.१०	—	२.३०	—
३	चौरी-चौरा ..	१८४.५६	—	२.००	—
४	पकरी नौनियां ..	२१.१०	२.००	.४०	६.५०
५	गुलरिहा ..	१३.९०	.५०	.३०	३.६०
६	भटहट ..	२९.००	१.७८	५.३६	८.५३
७	पिपरौली ..	१५.३०	—	.५०	३.०५
८	आनन्दनगर ..	३३.८०	८.४५	४.८३	८.००
९	लेजर महादेव ..	३२.२०	१०.०१	२.२०	८.१५
१०	कोठा ..	४१.७०	१.००	२.८	—
११	कनैछा ..	१८.८०	१.००	१.४०	२.००
१२	गगहा ..	२३.४०	—	—	—
१३	गोला ..	१९.४०	—	—	—
१४	अरांव जगदीश ..	२४.४८	१.४०	.१७	—
१५	जगदीशपुर (सदर) ..	३६.२०	.१०	—	१.०५
१६	सतगुर ..	१०.८०	१.९०	१.८६	—
१७	मिथौरा ..	९.४०	—	—	—
१८	सरहरी ..	५.२०	.८०	—	—
१९	नौतनवा ..	२५.००	.५०	—	३.५३
२०	पिपरीगंज ..	३२.५०	१.००	—	—
२१	धानी ..	३.००	—	—	०.१०
२२	जगदीशपुर (बी) ..	१४.६०	१३.५०	.२०	४६.४०
२३	बेलीपार ..	४.५०	१.४०	१.८५	२५.२०
२४	मोतीराम अड्डा ..	२६८.२०	४३.०५	३.३०	३.६०
२५	लहसरी ..	८.८०	४.५०	—	१४.१४
२६	देवघाटी ..	२.७५	.५०	—	४.५०
२७	मांटपार ..	३१.९०	—	२.१०	—
२८	डेरवा ..	१४.१०	—	१.६५	१.५०
२९	परतवाल ..	१२.६०	—	२.१०	३.१५
३०	श्याम डेरा ..	१४.७०	—	.७०	८.२०
३१	मनीराम ..	५३.७०	.६५	८.०७	५.३५

क्रम-संख्या	बीज भंडारों के नाम		अमोनियम सल्फेट	सुपर फास-फेट	यूरिया	मिक्सचर
१	२		३	४	५	६
			टन	टन	टन	टन
३२	रेतवहिया	..	३४.३०	—	१.२५	४.४७
३३	गगौरा	..	५.९०	३.००	—	४.२५
३४	निचतौल	..	१५.६०	१६.२०	१.५०	७.००
३५	लक्ष्मीपुर	..	५.००	२.७५	—	—
३६	मिटौली	..	९.००	५.००	—	—
३७	लक्ष्मीपुर	..	.३०	—	—	—
३८	आशापार	..	—	—	—	—
३९	बहादुरी बाजार	..	६.२०	४.६०	—	.८०
४०	खेम पिपरा	..	.९०	५.००	.३०	५.४०
४१	मदन पुरा	..	७.००	—	.१०	—
४२	मनवापार	..	१२.७५	.६०	—	२.००
४३	डोहरिया बाजार	..	.६०	—	—	—
४४	अन्सपार	..	१.६०	—	—	—

प्रतिलिपि अधिनियम

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३१३ एल० ए०— १९६०-८४५ ।